द्वितीय माला, खण्ड २३—अंक १६

८ दिसम्बर, १९५८ (सोमवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

2nd Lok Sabha

(Sixth Session)

सत्यमेव जयते

(खण्ड २३ में अंक ११ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में) ३ शिलिंग (विदेश में)

287 (AI) L.S.D.

विषय-सूची

[द्वितीय माला खंड २३-अंक ११ से २०--१ दिसम्बर से १२ दिसम्बर, १९५८]

अंक ११—सोमवार, १ दिसम्बर, १९५८ — पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९२, ३९४, ३९५, ३९७ से ३९९, ४०१ और ४०४ से ४०७ . . . १०५५—७८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . १०७८—८०

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या ३९३, ३९६, ४००, ४०२, ४०३, ४०८, से ४२४ और ४२६ से ४५२ . . . १०८०—११०४

अतारांकित प्रश्न संख्या ५९५ से ६१०, ६१२ से ६३० और ६३२ से ७०५ . . . . ११०४—४८

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ११४८

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . ११४९—५१

खण्ड २, ३ और ३-क . . . ११५१—८०

कार्य मंत्रणा समिति—

बत्तीसवां प्रतिवेदन . . . ११८१

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (संगठन तथा कार्यवाही) के बारे में . . . ११८१

दैनिक संक्षेपिका . . . ११८२—८८

अंक १२—मंगलवार, २ दिसम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४५३ से ४५६, ४५८ से ४६०, ४६२ से ४६४ और ४६६ से ४६८ . . . ११८९—१२१२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४६१, ४६५ और ४६९ से ४९४ . . . १२१२—२५

अतारांकित प्रश्न संख्या ७०६ से ८०३ . . . १२२५—६६

अतारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि . . . १२२५

स्थगन प्रस्ताव . . . १२६७–६८
गन्ने का मूल्य बढ़ाने में कथित विफलता . १२६७–६८
सभा पटल पर रखे गये पत्र १२६८–६९
संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक १२७०–८५
खण्ड ४ और अनुसूची १२७५–८०
गाड़ियों के देर से चलने के बारे में चर्चा . १२८२–१३०४
दैनिक संक्षेपिका १३०५–१२

अंक १३—बुधवार, ३ दिसम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ४९५ से ५००, ५०२ से ५०४ ५०६, ५०७ और ५०९ . १३१३–३६
प्रश्नों के लिखित उत्तर
तारांकित प्रश्न संख्या ५०५, ५०८, ५१० से ५१३, ५१५ से ५४९ और ५५१ से ५५९ १३३६–५८
अतारांकित प्रश्न संख्या ८०४ से ८२०, ८२२ से ८४६, और ८४८ से ८८४ १३५८–९३
सभा पटल पर रखे गये पत्र . १३९३–९४
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
इकत्तीसवीं प्रतिवेदन १३९४
समिति के लिए निर्वाचन
राजघाट समाधि समिति १३९४–९५
संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक १३९५–१४०२
खण्डों और अनुसूची पर विचार . १३९५–९९
संशोधित रूप में पारित करने का विचार १३९९–१४०२
हिमाचल प्रदेश विधान-सभा (गठन तथा कार्यवाही) मान्यीकरण विधेयक
विचार करने का प्रस्ताव १४०२–१५
निर्यात व्यापार की वर्तमान प्रवत्तियों के बारे में प्रस्ताव १४१५–२८
चिकित्सा विज्ञान के विद्यार्थियों के बारे में आधे घंटे की चर्चा १४२८–३३
दैनिक संक्षेपिका १४३४–४०

अंक १४—गुरुवार, ४ दिसम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
तारांकित प्रश्न संख्या ५६० से ५६३ और ५६५ से ५७४ . १४४१–६३

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६४ और ५७५ से ६०३ . १४६४—७४

अतारांकित प्रश्न संख्या ८८५ से ६६५ और ६६७ १४७४—१५०६

सभा पटल पर रखे गये पत्र १५०६—११

राज्य-सभा से संदेश . . १५११—१२

राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक—सभा पटल पर रखा गया . १५१२

त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों से ऋण की वसूली के बारे में याचिका १५१२

निर्यात व्यापार की वर्तमान प्रवृत्ति के बारे में प्रस्ताव १५१२—४६

दैनिक संक्षेपिका १५४७—५८

अंक १५—शुक्रवार, ५ दिसम्बर, १६५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६०६, ६०७, ६०६, ६११ से ६१७, ६१६, ६२० और ६२३ से ६२६ १५५५—७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६०४, ६०५, ६०८, ६१०, ६१८, ६२१, ६२२ और ६२७ से ६५६ . . . . . १५७६—६५

अतारांकित प्रश्न संख्या ६६८ से १०१८, १०२० से १०३४ और १०३६ से १०३६ १५६५—१६२३

सभा पटल पर रखे गये पत्र १६२४—२५

राज्य सभा से संदेश १६२५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा किये गये ठेके १६२६—३२

सभा का कार्य . . १६३२

निर्यात व्यापार की वर्तमान प्रवृत्ति के बारे में प्रस्ताव . . १६३३—४०

हिमाचल प्रदेश विधान-सभा (गठन तथा कार्यवाही) मान्यीकरण विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १६४०—४३

आसाम रायफल्स (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १६४३—४६

खण्ड २ और १ १६४६

पारित करने का प्रस्ताव . . . १६४६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इकतीसवां प्रतिवेदन १६४६

सैनिक व्यय के ढांचे की जांच करने के लिये एक समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प . . . १६४७—६७

पृष्ठ

देश में भूमि सुधारों की प्रगति का अनुमान लगाने के बारे में एक समिति के बारे में संकल्प १६६७
एयर इण्डिया इंटरनेशनल की साप्ताहिक भारवाही विमान सेवा के बारे में आधे घंटे की चर्चा १६६८–७२
दैनिक संक्षेपिका . . १६७३–७६

अंक—१६ सोमवार, ८ दिसम्बर, १६५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६५७ से ६६४ और ६६६ से ६७२ १६८१–१७०६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६६५, ६७३ से ६६१ और ६६३ से ७२३ १७०६–२८

अतारांकित प्रश्न संख्या १०४० से १०५८ और १०६० से ११११५ १७२८–६०

सभा पटल पर रखे गये पत्र १७६१–६२

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति १७६२

लोक लेखा समिति—

दसवां प्रतिवेदन १७६२

१६५८–५६ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगों के बारे में विवरण १७६२
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

पटसन के मूल्यों में गिरावट के कारण उत्पादकों की दशा १७६३–६४

विधेयक पुरःस्थापित . १७६४–६५

(१) प्रतिभूत संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक

(२) भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक

(३) भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव १७६५–१८०१

दैनिक संक्षेपिका . १८०२–०८

अंक—१७ मंगलवार, ६ दिसम्बर, १६५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७२६, ७२८ से ७३०, ७३५, ७५३, ७३३, ७३६ से ७४१, ७४३ और ७४६ . १८०६–३२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ १८३२–३३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७२४, ७२५, ७२७, ७३१, ७३२, ७३४, ७४२, ७४४, ७४५, ७४७ से ७५२ और ७५४ से ७७५ . १८३३–४८

पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न संख्या ११११६ से ११६७ . १८४८—८७

सभा पटल पर रखे गये पत्र १८८८

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव . . . १८८८—१६०३

हिमाचल प्रदेश (विधान-सभा (गठन तथा कार्यवाही) मान्यीकरण विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव . . १६०४—०६

संगठन तथा रीति विभाग के प्रतिवेदन के बारे में चर्चा १६०६—२५

शरवती जल विद्युत परियोजना के बारे में आधे घं की चर्चा . १६२५—२७

दैनिक संक्षेपिका . . १६२८—३४

अंक—१८ बुधवार, १० दिसम्बर, १६५८

मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के दसवें वार्षिक दिवस की ओर निर्देश १६३५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७७६ से ७७६, ८०७, ७८० से ७८७ १६३६—५८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७८८ से ८०६ और ८०८ से ८३८ . १६५८—७८

अतारांकित प्रश्न संख्या ११६८ से १२८० . . . १६७६—२०१५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . २०१५-१६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन—
बत्तीसवां प्रतिवेदन . . २०१६

समिति के लिये निर्वाचन—

विश्वभारती की संसद २०१७

फार्मेसी (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित २०१७

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (गठन तथा कार्यवाही) मान्यीकरण विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव २०१८—२८

खण्ड १ से ५ २०२८

पारित करने का प्रस्ताव . २०२८—३०

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव . . . २०३०—५३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २०५४—६१

अंक--१६, गुरुवार, ११ दिसम्बर, १६५८ पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८३६ से ८४३, ८४६ से ८५१ और ८५४ . . . २०६३--८५

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८४४, ८४५, ८५२, ८५३ और ८५५ से ८८६ . २०८५--२१०२

अतारांकित प्रश्न संख्या १२८२ से १२६६ और १३०१ से १३४२ . . २१०२--२८

सभा पटल पर रखे गये पत्र २१२६

तारांकित प्रश्न संख्या ४६७ के उत्तर को शुद्ध करने के लिए वक्तव्य . २१२६-३०

जानकारी का प्रश्न . . . २१३०

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव . . २१३०--३२

संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव . . २१३२--५४

खण्ड २ से ८ और १ . . . २१५४--६१

पारित करने का प्रस्ताव २१६१-६२

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) १६५५-५६ और १६५६-५७ . २१६५--७३

दैनिक संक्षेपिका . . . २१७५--८०

अंक --२० शुक्रवार, १२ दिसम्बर, १६५८

प्रश्नो के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८६० से ८६५, ८६६, ६०१, ६०२, ६०४, ६२६, ६०५, ६०६ और ६०८ . . . . २१८१--२२०३

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८६६ से ८६८, ६००, ६०३, ६०७, ६०६ से ६२५ और ६२७ से ६३३ . . . . . २२०३--१५

अतारांकित प्रश्न संख्या १३४३-१४२३ और १४२५ से १४६३ . २२१६--७१

सभा पटल पर रखे गये पत्र २२७१

विशेषाधिकार समिति--

छठा और सातवां प्रतिवेदन . २२७२

राज्य सभा से सन्देश . २२७२-७३

सभा का कार्य . . २२७३

विधेयक पुरस्थापित २२७३-७४

विदेशी विनिमय विनियमन (संशोधन) विधेयक

चलचित्र (संशोधन) विधेयक

दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक— पृष्ठ

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . २२७४—९३

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

बत्तीसवां प्रतिवेदन २२९३-९४

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक पुरस्थापित २२९४-९५

(१) श्री राम कृष्ण का औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक (धारा १५ का संशोधन)।

(२) श्री राम कृष्ण का जांच आयोग (संशोधन) विधेयक (धारा ८ का संशोधन)।

(३) श्री राम कृष्ण का न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक (अनुसूची का संशोधन)

(४) श्री राजेन्द्र सिंह का संविधान (संशोधन) विधेयक (प्रस्तावना का संशोधन तथा अनुच्छेद ३८ का प्रतिस्थापना)

(५) श्री श्रीनारायण दास का संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद १३६, २२६, २२७ २२८ और ३२९ का संशोधन)

सिख गुरुद्वारा विधेयक—

परिचालित करन का प्रस्ताव . . . . . २२९६—२३१२

संसदीय विशेषाधिकार विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव २३१२

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . २३१३—२०

नोट : मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

सोमवार, ८ दिसम्बर, १९५८

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

केरल राज्य व्यापार निगम

+

†*६५७. { **श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :**
श्री वि० च० शुक्ल :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** २२ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ४२० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित केरल राज्य व्यापार निगम की अन्तर्ग्रस्तताओं पर विचार पूरा कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या ब्यौरा है ; और

(ग) इस विषय में किये गये निर्णय का क्या स्वरूप है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) राज्य सरकार का प्रस्ताव अभी भारत सरकार के विचाराधीन है। इस विषय पर राज्य के वित्त मंत्री के साथ चर्चा की गई थी।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :** केरल सरकार का प्रस्ताव २५ जनवरी, १९५८ तक भेजा गया था। पिछली बार जब माननीय मंत्री ने इस प्रश्न का उत्तर दिया था तो उन्होंने बताया था कि इस विषय पर उनकी केरल सरकार के साथ पहले ही चर्चा हो गई थी। इस विषय पर निर्णय करने में अब सरकार को कितना समय लगेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

287(A)LSD—1.

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : लगभग एक महीना अथवा इस से कुछ पहले केरल के मुख्य मंत्री यहां थे और मैंने उनके साथ चर्चा की थी। राज्य के मंत्री के अधिकारियों ने मंत्रालय में हमारे अधिकारियों के साथ भी बातचीत की थी। राज्य सरकार से अभी और स्पष्टीकरण मांगा गया है और मैं आशा करता हूं कि अब इसमें अधिक समय नहीं लगेगा।

†श्री त्रिदिव कुमार चौधरी : क्या केरल सरकार के प्रस्ताव के अन्तर्गत विदेशी व्यापार भी सम्मिलित हैं ?

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : इस बारे में पहले भी निर्देश किया गया था। किन्तु यहां उनके साथ जो चर्चा हुई थी उसमें वह इस बात से सहमत हो गये थे कि जहां तक निर्यात का सम्बन्ध है वह पूर्णरूपेण केन्द्रीय सरकार के मार्फत किया जायेगा।

†श्री त्रिदिव कुमार चौधरी : निर्यात के बारे में ?

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : मैं ने निर्यात के बारे में कहा था।

पंजाब के लिये इस्पात का कोटा

+

†*६५८. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री दलजीत सिंह :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य में छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये १९५८-५९ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पंजाब सरकार ने प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम हुआ है ; और

(ग) उपरोक्त राज्य को छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये कितना इस्पात आवंटित किया गया था और कितना वास्तविक रूप में सम्भरित किया गया था ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). अप्रैल-सितम्बर, १९५७ में ४०५० टन का आवंटन किया गया था और अप्रैल-सितम्बर, १९५८ में ६७५६ टन आवंटित किया गया। अक्तूबर,-दिसम्बर १९५८ के लिये अभी आवंटन करना शेष है। यथार्थ रूप में सम्भरित की गई मात्रा के बारे में सरकार के पास जानकारी नहीं है।

†श्री दी० चं० शर्मा : पंजाब सरकार ने कितने कोटे की मांग की थी और इसमें कितनी पूर्ति की गई है ?

†श्री मनुभाई शाह : कोटे की अनेक अवसरों पर मांग की गई थी। एक बार तो उन्होंने ११,००० टन की मांग की थी। हम इतना नहीं दे सकते थे।

†श्री दी० चं० शर्मा : इस्पात आवंटन का कोटा निर्धारित करने में किस सिद्धान्त का आश्रय लिया जाता है तथा सभी राज्यों के मामले में इसी सिद्धान्त का अनुकरण किया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मनुभाई शाह : मैंने सामान्य सिद्धांत यहां कई बार बताया है इसके अनुसार प्रत्येक राज्य द्वारा प्रयुक्त पिछली मात्रा पर ध्यान दिया जाता है। चूंकि छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास द्रुतगति से हो रहा है, प्रत्येक राज्य अधिक कोटे की मांग कर रहा है : मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि पंजाब राज्य का नाम सूची में सबसे उपर है क्योंकि उन्हें सबसे अधिक आवंटन हुआ है।

†श्री आसर : उपरोक्त अवधि में बम्बई राज्य को इस्पात का कितना कोटा आवंटित किया गया है ?

†श्री मनुभाई शाह : ५६९१ टन ।

†श्री अ० सिं० सहगल : मैं जानना चाहता हूं कि क्या मध्य प्रदेश की सरकार ने अपना कोटा बढ़ाने के बारे में भी आपसे प्रार्थना की थी और क्या उसे बढ़ाया गया है अथवा नहीं ?

†अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रकार के प्रश्नों की अनुमति नहीं दूंगा ।

†श्री मनुभाई शाह : हर एक स्टेट ने प्रार्थना की है और हर एक के बारे में हम विचार करते हैं ।

†अध्यक्ष महोदयः यदि यह प्रश्न किसी एक विशेष राज्य से सम्बन्धित है तो प्रत्येक माननीय सदस्य उसे अपने राज्य के बारे में मान लेता है । मैं १४ प्रश्नों की अनुमति नहीं दूंगा ।

†सरदार अ० सिं० सहगल : श्रीमान्, मेरा निवेदन है कि यह प्रश्न राज्य का कोटा बढ़ाने के बारे में है, यह केवल पंजाब राज्य से ही सम्बन्धित नहीं है ।

†अध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्य ने मध्य प्रदेश की ओर निर्देश किया था ।

†श्री नारायणन् कुट्टी मेनन : कोटे के लिये आवेदन करने वाले कुछ व्यक्तियों के उदाहरणों से यह प्रतीत होता है कि इसमें काफी विलम्ब है अतः कोटा निश्चित समय पर नहीं मिलता है । क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि यथार्थ लाइसेंस मंजूर करने में काफी विलम्ब हो जाता है तथा क्या लाइसेंस देने में शीघ्रता करने के लिये कार्यवाही की जायेगी ?

†श्री मनुभाई शाह : माननीय सदस्य एक भिन्न प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं । यह प्रश्न छोटे पैमाने के उद्योगों से सम्बन्धित है और उसका उत्तरदायित्व राज्य सरकार पर है । यहां से सीधा कोटा आवंटित नहीं किया जाता है । जहां तक बड़े उद्योगों का सम्बन्ध है यथा सम्भव शीघ्र ही कोटा मंजर करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं और उसे वसूल करने का उत्तरदायित्व कोटा धारी पर है ।

औद्योगिक श्रमिकों के लिये सामाजिक सुरक्षा योजना

†६५९. { श्री रामकृष्ण :
श्री तंगामणि :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री त० ब० विट्ठल रावः }

क्या श्रम और रोजगार मंत्री ११ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक श्रमिकों के लिये व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना तैयार करने के लिये नियुक्त अध्ययन दल की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य सिफारिशें क्या क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने इनका परीक्षण किया है ?

†श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभासचिव (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†श्री राम कृष्ण : क्या अभी तक कोई अन्तरिम रिपोर्ट अथवा निर्दिष्ट सिफारिशें प्रस्तुत की गई हैं ?

†श्री ल० ना० मिश्र : समिति ने नैनीताल में हुई श्रम मंत्रियों की कान्फ्रेंस के समक्ष सिफारिशें प्रस्तुत की थीं । अभी अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

†श्री राम कृष्ण : चूंकि यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण नहीं है अतः यह रिपोर्ट कब तक मिल जायेगी ?

†श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा) : अब हमें सूचना मिली है कि यह रिपोर्ट तैयार है और शीघ्र ही सरकार को उपलब्ध हो जायेगी ।

†श्री तंगामणि : क्या सरकार नई योजना में सुरक्षा निधि, ई० एस० आई० और उपदान लेने के प्रश्न पर विचार करेगी और उपयुक्त विधान निर्माण करेगी ?

†श्री नन्दा : जी हां । सुरक्षा निधि भी इस योजना का एक भाग रहेगी । मैं माननीय सदस्यों को सूचित कर दूं कि इस प्रश्न पर उनके साथ विचार करने के लिये हम अगले महीने में नियोजकों की एक कान्फ्रेंस आमंत्रित कर रहे हैं ।

†श्री तंगामणि : क्या अध्ययन दल की रिपोर्ट की प्रति हमें उपलब्ध हो सकती है ?

†श्री नन्दा : जी हां ।

†श्री जाधव : अध्ययन दल के क्या क्या निर्देश पद हैं ?

†श्री नन्दाः यह सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिये गये हैं ।

†श्री तंगामणि : क्या निर्देश पद में फैक्टरी अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले उद्योग ही हैं अथवा बागान, खनिज तथा इस प्रकार के अन्य उद्योग भी सम्मिलित हैं ?

†श्री ल० ना० मिश्र : इस समिति से विद्यमान अधिनियमों को ध्यान में रख कर ही प्रस्तावों का परीक्षण करने के लिये कहा गया था और वे उद्योगों के बारे में उतनी ही सिफारिशें कर रहे हैं जो वर्तमान विधान के अधीन हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नारियल जटा गवेषणा संस्था

+
†*६६०. श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एलप्पी के निकट नारियल जटा गवेषणा संस्था और कलकत्ता में एक ब्रांच संस्था का निर्माण प्रारम्भ कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) यह कब तक पूरे होने की आशा है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (ग) लोक सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

एलप्पी के निकट केन्द्रीय नारियल जटा गवेषणा संस्था के लिये लगभग दस एकड़ जमीन और वहीं पर एक इमारत ले ली गई है । इस इमारत में परिवर्तन एवं परिवर्धन प्रारम्भ कर दिया गया है । केन्द्र के टेक्नीकल परामर्शदाता ने इसका कार्य संभाल लिया है । जहां तक पश्चिम बंगाल में ब्रांच गवेषणा संस्था का सम्बन्ध है उसके लिये हावड़ा के निकट उलुबेरिया में लगभग पौने दो एकड़ जमीन ले ली गई है । और इमारत के निर्माण का कार्य पश्चिम बंगाल सरकार के विकास विभाग के चीफ इंजीनियर के सुपुर्द कर दिया गया है । चालू वर्ष के अन्त तक निर्माण कार्य पूरा करने के लिये भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : विवरण से यह प्रतीत होता है कि नारियल जटा संस्था की इमारत में कुछ परिवर्तन और परिवर्द्धन किये जा रहे हैं । यह परिवर्तन और परिवर्द्धन क्या क्या हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : किराये की इमारत में इस संस्था को रखने के लिये उसमें कुछ सुधार कराया गया है । इसलिये यह सब परिवर्तन किये जा रहे हैं ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : इन दोनों संस्थाओं को कितनी रकम आवंटित की गई है ?

†**श्री मनभाई शाह** : मुख्य संस्था के लिये १८ लाख रुपये और ब्रांच संस्था के लिये १.८ लाख रुपये ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : नारियल समिति जैसी वस्तु समितियों के गवेषणा केन्द्र हैं और राज्य सरकारें उनका संचालन कर रही हैं । फिर नारियल जटा गवेषणा संस्था का संचालन स्वतंत्र रूप से नारियल जटा बोर्ड क्यों कर रहा है और राज्य सरकार क्यों नहीं कर रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : नारियल जटा बोर्ड अखिल भारतीय निकाय है यह सामान्य वस्तु समितियों से पृथक है । अखिल भारतीय बोर्ड जैसे नारियल जटा बोर्ड, रेशम बोर्ड, हथकरघा बोर्ड इत्यादि के विषय में गवेषणा में एकीकरण और समन्वय कर एक केन्द्रीभूत संस्था का विकास करना श्रेयस्कर है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री स० चं० सामन्त : क्या उसके साथ उत्पाद व प्रशिक्षण केन्द्र भी जुड़े रहेंगे अथवा उन्हें कहीं अन्यत्र खोला जायेगा ?

†श्री मनुभाई शाह : जी नहीं । उत्पादन कार्यों के लिये इसमें प्रशिक्षण का कोई प्रश्न नहीं है । इसका सम्बन्ध अधिकांशतः गवेषणा और विपणन सर्वेक्षण से है—ताकि उत्पादन कम मूल्य पर हो, नारियल जटा का अधिकतम उपयोग किया जा सके, नारियल जटा के सह-उत्पाद तथा अन्य रद्दी वस्तुओं को पूर्ण रूप से प्रयुक्त किया जा सके और नारियल जटा का सर्वांगीण विकास हो ।

†श्री अरविन्द घोषाल: गत सैशन में एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया था कि उलुबरिया में नारियल जटा गवेषणा सस्था के लिये इमारत का निर्माण कराने के लिये नारियल जटा बोर्ड ने ६०,००० रुपये की सिफारिश की थी । क्या केन्द्रीय सरकार ने यह सुझाव स्वीकार कर लिया है ?

†श्री मनुभाई शाह : यदि माननीय सदस्य विवरण पढ़ें तो उसमें यह सब ब्यौरा दिया गया है। केन्द्रीय सरकार ने न केवल यह सिफारिशें स्वीकार की हैं प्रत्युत इस कार्य की यथार्थ रूप में क्रियान्विति हो रही है ।

†श्री वें० प० नायर : क्या इस संस्था में नारियल जटा को मुलायम करने में रासायनिक प्रक्रिया की सहायता से समय कम करने के बारे में कोई गवेषणा कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है अथवा करने का विचार है ?

†श्री मनुभाई शाह : गवेषणा सस्था में इन विषयों के बारे में कार्य किया जा रहा है नारियल जटा के धागे को अधिक किस्मों में बदलना ; रासायनिक भौतिक अथवा यांत्रिक पद्धति की सहायता से इसे मुलायम बनाना ; ताकि यह अधिक मजबूत होकर उसका कड़ापन कम हो जाये ; धागे तैयार करने के पहले ही उसमें तेज रगों का मिश्रण और ग्रहण ; भूसी को मुलायम करने की अवधि में कमी करना और मुलायम करने की पद्धतियों का आधुनिकीकरण ।

†श्री वें० प० नायर : यह विषय इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है ।

†श्रीमती इला पालचौधरी : क्या सरकार को मालूम है कि कनाडा द्वारा भारत से नारियल के आयात में कमी हो गई है और अब इसकी डिजाइनें वहां पसन्द नहीं की जाती हैं ? हम इस दिशा में क्या कर रहे हैं ? इनकी डिजाइनों में क्या सुधार किया जा रहा है ताकि कनाडा में फिर इसकी खपत से हमें लाभ हो ?

†श्री मनुभाई शाह : वस्तुतः कनाडा अथवा अन्य किसी देश के आयात में किसी प्रकार की गम्भीर कमी नहीं हुई है । किन्तु यह सच है कि विश्व के अन्य भागों में तैयार होने वाले संश्लिष्ट रेशे नारियल जटा के प्रतिद्वन्द्वी हैं इसके साथ ही अन्य देशों में उत्पन्न नारियल जटा से हमारी प्रतियोगिता चल रही है । इन सब बातों पर हम बराबर विचार करते रहते हैं और इस कमी को रोकने तथा इसका निर्यात बढ़ाने के लिये हम निरन्तर प्रयास करते रहते हैं ।

†श्री वें० प० नायर : मैंने यह प्रश्न पूछा था कि क्या नारियल जटा को मुलायम करने में लगने वाले समय में कमी करने के लिये कोई गवेषणा कार्यक्रम है । माननीय मंत्री ने उत्तर दिया कि उसे मजबूत बनाने के लिये यांत्रिक, भौतिक और रासायनिक पद्धतियों का सहारा लिया जा रहा है । यदि उक्त कार्यक्रम प्रारम्भ नहीं किया गया है तो इस का क्या कारण है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री मनुभाई शाह : कदाचित माननीय सदस्य ने मेरी बात ध्यानपूर्वक नहीं सुनी। मैंने जटा की भूसी को मुलायम करने की अवधि के बारे में कहा था।

†श्री आसर : क्या कोकण की सहायता के लिये बम्बई राज्य में ब्रांच संस्था खालने की कोई योजना है ?

†श्री मनुभाई शाह : हम उन क्षेत्रों में एक मुख्य और एक ब्रांच संस्था प्रारम्भ कर रहे हैं जहां देश का ८० से ८५ प्रतिशत उत्पादन होता है। यदि हमारा अनुभव उपयोगी सिद्ध हुआ और हम यह अनुभव करें कि अधिक गवेषणा संस्थाओं की आवश्यकता है तो हम निस्संदेह ही अन्य राज्यों पर विचार करेंगे।

हिमाचल प्रदेश में रेशम उद्योग

***६६१. श्री पद्म देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में रेशम उद्योग के विकास के लिये अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). हिमाचल प्रदेश में १९५१ से सरकारी विभाग के जरिये रेशम उद्योग चालू किया गया है और इस समय मुख्य रूप में सिल्क फार्म तथा नर्सरियां ही खोली गयीं हैं। रेशम के कीड़े के एक बीच केन्द्र के अलावा बहुत से सिल्क फार्म तथा नर्सरियां स्थापित की जा चुकी हैं। वहां की सरकार रेशम उत्पादकों को रेशम के कीड़े देती है तथा लच्छियां बनाने के लिये उनके यहां उत्पादित कोये खरीद लेती है। एक विवरण सभा की मेज़ पर रखा जाता है, जिस में इन कार्यों का व्यौरा तथा अब तक हुई प्रगति दिखायी गयी है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ५८**]

श्री पद्म देव : विवरण में बतलाया गया है कि सन् १९५६ तक दस नर्सरीज़ रेशम की प्रगति के लिये स्थापित की गई हैं तो क्या दत्तनगर की तथाकथित नर्सरी भी इसमें सम्मिलित है ?

श्री मनुभाई शाह : जहां तक डिटेल्स का ताल्लुक है अगर आनरेबुल मेम्बर उसको जानना चाहेंगे तो मैं उसको देख कर बता दूंगा लेकिन इतना ज़रूर है कि दसियों नर्सरीज़ का जो प्रोग्राम था वह सब का सब एम्प्लीमेंट किया गया है।

†**श्री दासप्पा** : रेशम की कौन सी किस्म वहां तैयार की जा रही है, और क्या आयात की गई रेशम के बारे में भी कुछ विचार है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जहां तक हिमाचल प्रदेश का सम्बन्ध है वहां शहतूतों की काफी पैदायश है अतः इसकी भी यही किस्म है। जहां तक आयात किये गये कोकून का सम्बन्ध है हम मैसूरी किस्म को प्रयुक्त करने का विचार कर रहे हैं यह हिमाचल प्रदेश के लिये अधिक उपयुक्त है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : मैं यह जानना चाहता हूं कि अभी तक इसमें क्या प्रगति हुई है, आगे के लिए क्या नक्शा बनाया गया है, कितना रुपया इसमें लगाया जा रहा है और इससे रेशम उद्योग में किपना विकास हो सकेगा ?

श्री मनुभाई शाह : जहां तक हिमाचल प्रदेश का ताल्लुक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में २ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। अब तक की जो प्रोग्रेस है वह स्टेटमेंट में दे दी गई है। हिमाचल प्रदेश के अन्दर चूंकि बड़ी इंडस्ट्रीज़ नहीं लगाई जा सकतीं इसलिए ऐसी छोटी छोटी सनतों और लघु उद्योगों को वहां पर बढ़ाने के लिए सोचा जा रहा है और उनका विकास किया जा रहा है।

मशीनी औज़ार कारखाना, बंगलौर

+

†*६६२. { **श्री तंगामणि** :
श्री स० म० बनर्जी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बंगलौर के मशीनी औजार कारखाने के प्रबन्ध में मज़दूरों के भाग लेने के बारे में लागू की गई योजना सफल रही है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : योजना केवल जुलाई १९५८ से लागू हुई है। अतः अभी इसके परिणामों का निर्णय नहीं किया जा सकता।

†**श्री तंगामणि** : पंद्रहवीं भारतीय मज़दूर सभा के उपरान्त यह निर्णय किया गया था कि यह योजना अधिक से अधिक कारखानों में लागू हो। क्या सरकार का विचार इस वर्ष इसे सरकारी क्षेत्र में हिन्दुस्तान मशीनी औज़ार कारखाना (हिन्दुस्तान मशीन टूल्स) के अतिरिक्त अन्य उद्योगों में लागू करने का है।

†**श्री मनुभाई शाह** : योजना का परिणाम अब तक बहुत अच्छा रहा है। अतः हमारा विचार १९५८ में सरकारी क्षेत्र की दो परियोजनाओं के प्रबन्ध में कदाचित् मजदूरों के भाग लेने की योजना लागू करने का है।

†**श्री तंगामणि** : सरकारी क्षेत्र के जिन अन्य दो उद्योगों में मज़दूरों का यह भाग लेना लागू होता हो तो उनके नाम क्या है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इनका अभी निर्णय नहीं हुआ है। उन पर बातचीत चल रही है।

†**श्री नागी रेड्डी** : हिन्दुस्तान मशीनी औज़ार कारखाने के प्रबन्ध में मज़दूरों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या तरीके अपनाये गये हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : प्रबन्ध संबंधी संयुक्त परिषद् में आधे सदस्यों का चुनाव मज़दूर करते हैं और आधे सदस्यों का चुनाव प्रबन्धक वर्ग के व्यक्ति। इस प्रणाली द्वारा ही यह ऐसा देखा जाता है कि मज़दूर प्रबन्ध में अधिक भाग लें।

श्री नागी रेड्डी : क्या सरकार अपनाये गये तरीकों का पुनरीक्षण करने तथा यदि आवश्यक हो तो उन्हें बदलने का प्रयत्न कर रही है ताकि मज़दूर उचित रूप से भाग ले

---

†मूल अंग्रेज़ी में

सकें? बात यह है कि कारखानों में विभिन्न विभागों का होना आवश्यक है। क्या कोई अलग अलग विभागीय समितियां हैं जिनमें मज़दूर व प्रबन्धक मिलकर उत्पादन-प्रक्रिया तथा अन्य बातों का पुनरीक्षण करते हैं अथवा पूरे कारखाने के लिये कोई सामान्य प्रबन्ध समिति है?

†श्री मनुभाई शाह: इस बात पर देश में कई सम्मेलनों व गोष्ठियों में चर्चा हो चुकी है तथा इसके लिए एक सूत्र निर्धारित किया गया है। संयुक्त प्रबन्ध परिषद् के अन्तर्गत समूचा प्रबन्ध आता है। गोष्ठियां आदि इस तरीके से सहमत हैं। जहां तक इस मंत्रालय का संबंध है, सरकारी क्षेत्र के केवल एक उद्योग में यह आरम्भ हुआ है तथा इसे आरम्भ हुए अभी पूरे छः मास भी नहीं हुए हैं। अतः अभी हमें परिणामों की प्रतीक्षा करनी है तथा यह देखना है कि क्या हो रहा है एवं किन किन नये उद्योगों में यह तरीका लागू किया जा सकता है। फिर यह प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि क्या वर्तमान तरीकों में लक्ष्य की दृष्टि से कुछ कमी है।

†श्री तंगामणि: क्या यह सच नहीं है कि जुलाई में योजना के लागू होने के उपरान्त इस विशिष्ट यूनिट में उत्पादन बढ़ गया है?

†श्री मनुभाई शाह: संयुक्त प्रबन्ध परिषद् से उत्पादन में वद्धि होने का कोई अधिक संबंध नहीं है। क्योंकि सदन को विदित है कि यह कारखाना वैसे ही काफी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और इसके उत्पादन में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। परन्तु हमें आशा है कि मज़दूरों व प्रबन्ध के उत्तम संबंधों का प्रभाव प्रत्येक कारखाने के विकास पर पड़ेगा।

†श्री मोहम्मद इमाम: प्रबन्ध में मज़दूरों के सम्मिलित होने के उपरान्त उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है?

†श्री मनुभाई शाह: श्री तंगामणि ने भी अभी यही पूछा था?

†श्री त्यागी: क्या इन कारखानों के मज़दूरों को वेतन नियमित रूप से निर्धारित आधार पर दिया जाता है या काम के अनुसार दिया जाता है?

†श्री मनुभाई शाह: प्रश्न बहुत ही संगत है। हमने उत्पादन में वृद्धि के लिए बोनस प्रोत्साहन योजना चालू की है। इस योजना के अन्तर्गत कार्य के अनुसार मजूरी के आधार पर अधिक कार्य के लिये अधिक मजूरी देने की व्यवस्था है।

†श्री त्यागी: क्या प्रत्येक प्रकार के कार्य के लिए कोई सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं?

†श्री मनुभाई शाह: हां।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

अथर्टन वेस्ट मिल्स लि० कानपुर

+

†*६६३. श्री नागी रेड्डी :
श्री स० म० बनर्जी :
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अथर्टन वेस्ट मिल्स, कानपुर के कार्य की जांच करने के लिए नियुक्त की गई समिति ने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो, इसकी सिफारिशें क्या हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री नागी रेड्डी** : क्या यह कारखाना आजकल चल रहा है या नहीं ?

†**श्री कानूनगो** : यह बन्द है ?

†**श्री नागी रेड्डी** : बन्द होने के क्या कारण है ?

†**श्री कानूनगो** : वित्त संबंधी कठिनाइयां बढ़ गई हैं ।

†**श्री नागी रेड्डी** : आजकल कितने मज़दूर बेकार है तथा कारखाने को पुनः चालू करने के लिए क्या किया जा रहा है ?

†**श्री कानूनगो** : कारखानों के कार्य की जांच करने तथा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए अक्टूबर के आरम्भ में एक समिति नियुक्त की गई है। यह शीघ्र ही अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।

इसका प्रभाव चार हज़ार से अधिक मज़दूरों पर पड़ा है।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : एक दिन माननीय मंत्री ने कहा था कि देश में तेरह कारखाने बन्द हो गये हैं। क्या सरकार की इच्छा इनमें से कुछ कारखानों को उसी प्रकार पुनः चालू करने की है जैसे कि उस ने एक कारखाना शोलापुर में और एक कारखाना बम्बई में, उनके बन्द होने की जांच करने के लिए कोई समिति नियुक्त करने के उपरान्त, चालू किया है।

†**श्री कानूनगो** : जब कभी आवश्यक होता है, जांच समितियां नियुक्त की जाती हैं। वर्तमान मामले में, कानपुर के विशिष्ट कारखाने के लिए एक जांच समिति नियुक्त की गई है। आवश्यकता होने पर ऐसी समितियां नियुक्त की जायेंगी।

†**श्री वें० प० नायर** : इस समिति के निर्देश-पद क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री कानूनगो : कोई निर्देश-पद नहीं है। यह समिति उद्योग विकास तथा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त हुई है। उसके कृत्यों का उल्लेख उपरोक्त अधिनियम में है।

†श्री वें० प० नायर : क्या समिति से किसी विशिष्ट बात के बारे में प्रतिवेदन देने को नहीं कहा गया है?

†अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं देता क्योंकि माननीय सदस्य बैठे हुए प्रश्न पूछ रहे हैं।

†श्री वें० प० नायर : क्षमा कीजिये। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या समिति कारखाने के किसी विशिष्ट पहलू की विशेष रूप से जांच कर रही है; और यदि हां, तो वह क्या है? कुप्रबन्ध में अनेक बातें आ जाती हैं।

†श्री कानूनगो : अधिनियम में कार्यों तथा जांच के पदों का उपबन्ध है।

†श्री वें० प० नायर: : वे कार्य क्या हैं?

†श्री रघुनाथ सिंह : इसका मेरे राज्य से संबंध है। क्या कारखाना पुनः चालू होने वाला है।

†श्री कानूनगो : सर्व प्रथम हमें जांच का प्रतिवेदन प्राप्त होना चाहिए और फिर हम देखेंगे कि क्या कार्यवाही की जा सकती है?

†श्री रघुनाथ सिंह : इसमें कितना समय लगेगा, एक वर्ष, दो वर्ष या अधिक? क्योंकि चार हज़ार से अधिक श्रमिक बेकार हैं?

†श्री कानूनगो : मैंने अभी बताया था कि समिति अक्टूबर में नियुक्त की गई थी और प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में इसे कम से कम तीन मास लगेंगे।

†श्री तंगामणि : अथर्टन मिल्स को बन्द हुए आठ मास से अधिक हो गये। क्या सरकार के विचारानुसार यह उन कारखानों में से एक है जो पुनः चालू होने चाहिए या उन कारखानों में से एक है जो मशीन के पुराने होने आदि के कारण पुनः चालू नहीं होने चाहियें?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लालबहादुर शास्त्री): समिति नियुक्त हो गई है। मुझे आशा है यह यदि पहिले नहीं तो इस मास के अन्त तक अपना प्रतिवेदन दे देगी। कुछ दिन पूर्व ही मैंने बम्बई से पता किया था कि समिति को प्रतिवेदन देने में कितना समय लगेगा और मुझे बताया गया था कि हो सकता है कि यह एक पखवाड़े में अपना प्रतिवेदन दे सके।

कारखाने के विषय में साधारण मत यह है कि यह एक काफी अच्छा कारखाना है और कदाचित् मितव्ययतापूर्ण चल सकता है। यदि उत्तर प्रदेश सरकार का विचार इसे अपने हाथ में लेने का हो तो हम प्रतिवेदन प्राप्त होने पर निश्चय ही राज्य सरकार को इस मामले की जांच करने की सलाह देंगे और उसकी सहायता भी करेंगे।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

खादी का उत्पादन तथा विक्रय

†*६६४. श्री श्रीनारायण दास : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी के उत्पादन व विक्रय की नवीनतम स्थिति क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि खादी की कुछ किस्मों का निर्यात होता है ;

(ग) यदि हां, तो उसकी क्या मात्रा है ; और

(घ) खादी उद्योग में केन्द्रीय सरकार ने कुल कितना धन लगाया है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ५६]

†श्री श्रीनारायण दास : विवरण से विदित होता है कि लगभग १८ करोड़ गज खादी का उत्पादन हुआ है। क्या यह सच है कि खादी की बहुत बड़ी मात्रा का विक्रय नहीं हुआ है तथा इसका कारण यह है कि कुछ ऐच्छिक संस्थाओं ने खादी विक्रय के लिए विशेष छूट दी थी ?

†श्री मनुभाई शाह : नहीं, कोई विशेष स्टाक जमा नहीं है। अवहार सामान्य भुगतान है और योजना के आरम्भ से यह उसका अभिन्न अंग रहा है।

†श्री श्रीनारायण दास : क्या सरकार को विदित है कि खादी की बहुत बड़ी मात्रा का विक्रय नहीं हुआ है ; और यदि हां, तो उसकी मात्रा क्या है ?

†श्री मनुभाई शाह : यह साधारण बात है तथा कोई असाधारण बात हमारी नजर में नहीं आई है। किसी भी खादी भण्डार अथवा खादी आयोग ने हमें किसी विशेष जमाव की सूचना नहीं दी है।

†श्री दासप्पा : परम्परागत खादी का उत्पादन जो १९५७-५८ में ५·२१ करोड़ वर्ग गज़ था, इस वर्ष घट कर १·५५ करोड़ वर्ग गज़ क्यों रह गया है ? जबकि अम्बर चर्खा की खादी में समवर्ती वृद्धि हुई है।

†श्री मनुभाई शाह : नहीं। बात यह है कि १९५८-५९ के लिए विवरण में दिये गये आंकड़े को यहां कहे गये रूप में नहीं मानना चाहिए क्योंकि पिछले आंकड़े इससे संबद्ध हैं। केवल वर्ष के अन्त में अर्थात मार्च १९५९ में हम वास्तविक स्थिति जान सकेंगे। हम अपने स्वयं के अनुभव से देखते हैं कि परम्परागत चर्खा की खादी का भी उत्पादन बढ़ रहा है। मुझे आशा है कि वर्ष के अंत तक उत्पादन के आंकड़ों में वृद्धि हो जायेगी।

†श्री त्यागी : खादी प्रयोग करने वालों को छूट के रूप में कुल कितनी आर्थिक सहायता दी गई ?

†श्री मनुभाई शाह : यह बताया जा चुका है। उत्पादनानुसार यह तीन आने से चार आने प्रति गज़ तक है।

†श्री त्यागी : पिछले वर्ष में कुल कितना धन दिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री मनुभाई शाह : यह इस बात से संबंधित ५ विशिष्ट प्रश्न की पूर्वसूचना दी जाये तो में यह बता सकता हूं। साधारण रूप में, उत्पादन ६·४ करोड़ गज़ था। अतः राशि लगभग १·६ करोड़ रुपये होगी।

†श्री त्यागी : १·६ करोड़ रुपये ? यह बहुत ज्यादा है।

†श्री मा० कृ० गायकवाड़ : क्या सरकार का विचार है कि खादी कभी लाभप्रद उद्योग होगी, और यदि नहीं, तो अब तक इस उद्योग में सरकार ने कितनी हानि उठाई है ?

†अध्यक्ष महोदय : नहीं, नीति का मामला है। मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं देता।

†श्री मा० कृ० गायकवाड़ : मैं केवल यह जानना चाहता था कि इस उद्योग में सरकार ने कितनी हानि उठाई है।

†अध्यक्ष महोदय : श्री त्यागी ने भी यही प्रश्न पूछा था, अर्थात् माननीय सदस्य के अनुसार कितनी हानि हुई है।

†श्री मनुभाई शाह : आर्थिक शब्दावलि में, इन अर्थों में वस्तुतः कोई हानि नहीं हुई है क्योंकि विभिन्न रूपों में संवर्धनात्मक सहायता जैसे प्रशिक्षण, छूट, एम्पोरियम की स्थापना आदि को उस दृष्टि से देखना है जिसे यह सदन इस कार्यक्रम की अनुमति देते समय स्वीकार कर चुका है।

रोज़गार के विषय में मैं सदन की सूचनार्थ यह कह सकता हूं कि खादी उद्योग से परम्परागत चर्खा केन्द्रों में अब तक १३ लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलता है। अम्बर चर्खा कार्यक्रम से, जिसमें लगे हुए कुल धन का उल्लेख मैं अपने उत्तर में कर चुका हूं, २,१४,००० व्यक्तियों को रोज़गार दिया है।

श्री वाजपेयी : क्या यह सच है कि पोस्ट एंड टेलीग्राफ विभाग के कर्मचारियों को और विशेषकर चपरासियों और खलासियों को पहले खादी पहनना अनिवार्य था लेकिन कुछ दिनों से यह अनिवार्यता हटा दी गयी है। यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री मनुभाई शाह : जहां तक मुझे मालूम है अनिवार्यता जितनी थी उतनी चालू है। हम तो इसे और बढ़ा रहे हैं कि जहां जहां हो सके सरकारी दफ्तरों में खादी का उपयोग और बढ़ाया जाये। लेकिन चूंकि मेम्बर साहब ने पूछा है, मैं इस बारे में छानबीन करूंगा और मेम्बर साहब को बताऊंगा।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या यह सच है कि उन्होंने खादी पहनने की अथवा खादी की वर्दी आदि देने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : वास्तव में कुछ श्रेणियों के लिए वर्दी विहित की गई थी। वर्दी डाक तथा तार विभाग के या रेलवे विभाग के सारे कार्यकर्ताओं एवं सारे कर्मचारियों के लिए विहित नहीं की गई थी। मुझे याद है कि एक बार निश्चय ही यह देखा गया कि वस्त्र का रंग पक्का न था। अतः रेलवे मंत्रालय ने सुझाव दिया कि वे अभी तो उस श्रेणी विशेष के कर्मचारियों के लिए उस कपड़े का प्रयोग

---

†मूल अंग्रेज़ी में

बन्द कर देंगे। फिर यदि उन्हें अपनी आवश्यकता की खादी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो सकी तो वे पुनः उसका प्रयोग आरम्भ कर देंगे। अतः, अभी यह समाप्त नहीं हुआ है अपितु कुछ मामलों में थोड़े समय के लिए कुछ छूट दी गई है।

†श्री आसर : क्या इस खादी उद्योग में अन्त में कातने व बुनने वालों को शुद्ध न्यूनतम वेतन से भी कम वेतन मिलता है?

†श्री मनुभाई शाह : यह सच है। यह योजना का एक अभिन्न अंग है। हम चाहते हैं कि उत्तमोत्तम वेतन के लिए धीरे धीरे होने वाली उन्नति के साथ उच्चतर प्रवधि का विकास हो।

†श्री श्रीनारायण दास : विवरण से वदित होता है कि अब तक इस उद्योग में लगभग २२ से २३ करोड़ तक रुपये आ चुके हैं। इसमें से कितना धन खादी उद्योग व्यय कर रहा है कितना धन अन्य संस्थाओं को दिया गया है?

†श्री मनुभाई शाह : अधिकतर धन खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा व्यय किया जाता है। यह एक संविहित आयोग है और दो प्रकार से कार्य करता है। एक तो राज्यों में जहां कहीं संविहित बोर्ड स्थापित है वहां राज्य के उनके संविहित बोर्डों द्वारा और दूसरे, जहां कहीं संविहित बोर्ड नहीं है, वहां वे खादी आन्दोलन में निहित सिद्धान्त के मानने वाली कुछ संस्थाओं को मान्यता दे देते हैं तथा उन्हें अनुदान और भिन्न भिन्न ऋण देते हैं।

सीमा घटनायें

†*६६६. श्री रामेश्वर टांटिया : क्या प्रधान मंत्री १२ सितम्बर, १९५८ के अपने वक्तव्य के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई-अगस्त की सीमा पर की घटनाओं में पाकिस्तानी फौज ने किन्हीं भारतीयों को बन्दी बनाया ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या थी तथा उनमें से कितनों को पाकिस्तानी अधिकारियों ने छोड़ दिया है।

†वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हजारिका): (क) जी हां।

(ख) जुलाई और अगस्त १९५८ की सीमा घटनाओं में पूर्वी पाकिस्तानी फौज ने पांच भारतीयों को बन्दी बनाया था। वे सब छोड़ दिये गये हैं।

†श्री रामेश्वर टांटिया : पाकिस्तान में सैनिक राज्य स्थापित होने के उपरान्त इन घटनाओं की प्रवृत्ति क्या है, अर्थात् उनकी संख्या घटी है या बढ़ी है?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : कुछ दिन पूर्व कदाचित १९ या २० नवम्बर को मैंने एक कागज सभा पटल पर रखा था जिसमें ऐसी घटनाओं की सूची दी गई थी तथा पता चलता था कि इनकी संख्या बढ़ रही है।

† मूल अंग्रजी में

†श्री रामेश्वर टांटिया : माननीय प्रधान मंत्री के कथनानुसार उनकी संख्या बढ़ रही है, तो उन्हें रोकने के लिए हमारा विचार क्या कार्यवाही करने का है?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : ये घटनायें अनेक कारणों से होती हैं। अन्य मौसमों की अपेक्षा यह मौसम घटनाओं का मौसम है। इसका कारण यह है कि जब फसल कटती है या खेतों में कोई काम होता है तो सीमा के दोनों ओर के किसानों में झगड़ा होता है। अर्थात् उस ओर के कुछ किसानों के इस ओर कुछ खेत होते हैं या वे अपने कुछ खेत होने का दावा करते हैं और आकर फसल काटना चाहते हैं। फिर झगड़ा होता है और उनकी अपनी पुलिस उनका पक्ष लेती है। एक कारण तो यह है। फिर, 'चार' भूमि आती है और वह अर्थात् उस भूमि का स्वामित्व झगड़े की जड़ बनता है।

जहां तक इस बात का संबंध है कि हम क्या कार्यवाही करते हैं, ऐसी बातों में हम केवल निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं, अर्थात् विरोध करना, जांच करना, दो दलीय बैठक बुलाना। छोटे मामलों में दो दण्ड-अधिकारी या आयुक्त मिलते हैं और साधारणतया कोई निर्णय कर लेते हैं, अथवा कभी कभी मामला सरकारों के पास भेजा जाता है।

†श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि पाकिस्तानी पुलिस ने जिन दो भारतीयों को हाल में ही पकड़ा था वे अभी तक पाकिस्तान सरकार के कब्जे में हैं तथा उन्हें छुड़ाने के लिए सचिवों को कान्फ्रेंस में आसाम सरकार के सारे प्रयत्न विफल रहे? क्या यह भी सच है कि हाल ही में पाकिस्तानियों ने कुशियारा नदी में एक नौका पकड़ ली थी और ४०० रु० का माल लूट लिया?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं एक विवरण रख रहा हूं। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६०**] इसमें १९ या २० नवम्बर से ६ दिसम्बर तक हुई घटनाओं के बारे में जानकारी दी गई है।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य विवरण देखने की कृपा करें।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : कुछ घटनायें हुई हैं और मेरा विचार है कि उनमें उल्लिखित घटना भी सम्मिलित है।

†श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : क्या दो प्रधान मंत्रियों के समझौते का पकड़े हुए व्यक्तियों की रिहाई संबंधी खण्ड लागू हो गया है अथवा क्या इन बाद में पकड़े गये व्यक्तियों के संबंध में भी पाकिस्तान सरकार का ध्यान इस खण्ड की ओर आकर्षित किया गया है?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : हां। इन मामलों की सूचना दी जाती है। मैं ठीक से नहीं कह सकता कि ऐसा कोई पकड़ा हुआ व्यक्ति है जो नहीं छोड़ा गया है। सामान्यतया, वे दो दिन बाद या कुछ दिन बाद लौट आते हैं।

†श्री हेम बरुआ : कम से कम दो व्यक्तियों को अभी नहीं छोड़ा गया है।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे खेद है कि मैं यह नहीं बता सकता। यदि माननीय सदस्य एक कागज पर ठीक से लिख दें तो मैं कल उन्हें बता सकूंगा।

---

† मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ:** बहुत अच्छा।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** जब से हमने सीमा की रक्षा करने के लिए सेना व पुलिस लगाई है, तब से छापा मारने और हमारे व्यक्तियों के पकड़ने के लिये आये कितने व्यक्तियों को हमारी पुलिस या सेना ने पकड़ा है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** यह एक साधारण प्रश्न है। समय समय पर उन्हें पकड़ा जाता है। सामान्यतया जब कोई अपने आस पास सेना देखता है तो उसके छापा मारने की सम्भावना नहीं होती। छापा उस समय मारा जाता है जबकि सेना आस पास नहीं होती।

†**राजा महेन्द्र प्रताप :** दोनों बंगालों का पुनः एकीकरण ही एक मात्र समाधान है।

†**श्री हेम बरुआ:** क्या यह सच है कि हमारी पुलिस और सेना दूसरी ओर की अपेक्षा कम सशस्त्र है तथा उसकी संख्या भी थोड़ी है जिसके परिणामस्वरूप देखभाल कम होती है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं नहीं कह सकता। मैं इसकी तुलना नहीं कर सकता। परन्तु मेरा विचार है कि मुख्य मुख्य स्थानों पर वे पर्याप्त संख्या में हैं।

जिन दो व्यक्तियों के बारे में माननीय सदस्य ने पूछा है, उनके बारे में हमें सूचना मिली है कि उनका कोई पता नहीं है। इसका चाहे जो भी मतलब हो।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सूचना पाकिस्तान सरकार ने दी है या हमारी अपनी खोज है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** पाकिस्तान सरकार की सूचना के अनुसार, उन्हें उनका कोई पता नहीं है। वे उनका कोई पता नहीं लगा सकते।

†**श्री बाजपेयी :** क्या यह सच है कि हमारी पुलिस व सेना को दूसरी ओर से गोली चलाये जाने पर भी गोली न चलाने के आदेश दिये गये हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** नहीं। ऐसा कोई आदेश या निदेश नहीं है। उन्हें गोली न चलाने अर्थात् पहिले गोली न चलाने का आदेश दिया गया है। परन्तु यदि उनपर आक्रमण किया जाता है तो निश्चय ही उन्हें अपनी रक्षा के लिए गोली चलानी पड़ेगी।

†**श्री हेम बरुआ :** श्री गोरे और मैं स्वयं भारत-पाकितान सीमा पर गये हैं और हमने यह देखा है। क्या सरकार को विदित है कि वे पाकिस्तान की सीमा पर मजबूत कंक्रीट की मेंड बना रहे हैं जबकि हमारी मेंड मिट्टी की ही है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** हमें कुछ स्थानों के बारे में ऐसी सूचनायें मिली हैं। मैं नहीं समझता कि इससे कोई बहुत अन्तर पड़ता है। ये चीजें—मेंड़ आदि—अत्याधिक शत्रुता की स्थिति में महत्व रखती हैं अन्यथा नहीं।

---

† मूल अंग्रेजी में

†**श्री बि० दास गुप्त :** क्या किसी घटना का संबंध पश्चिमी बंगाल के एक पर्यवेक्षण अधिकारी से है जिसके साथ पाकिस्तान सेना के व्यक्तियों ने कुव्यवहार किया और जिसके परिणामस्वरूप अधिकारी सीमा क्षेत्रों का निर्णय करने के लिए पाकिस्तान-सीमा पर जाने से मना करते हैं?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा है तो अब मैं इसका प्रसन्नता से उत्तर दूंगा। वैसे भी मैं इसका बाद में उल्लेख करता। यह प्रश्न हमारे उप पर्यवेक्षण निदेशक श्री बी० एन० चटर्जी के संबंध में है जिन्हें पाकिस्तान से लौटते हुए सीमा पर रोका गया था तथा तलाशी ली गई थी। यह एक खेदपूर्ण घटना थी। अखबारों में पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा बताई गई बातों से कहीं अधिक बातें छपी थीं। मूल प्रेस सूचना में कहा गया था कि उनके साथ बुरा व्यवहार आदि किया गया। परन्तु मेरा विचार है कि स्वयं पश्चिमी बंगाल सरकार ने कल इन बातों को गलत बताया है। इसमें कहा गया था कि कोई कुव्यवहार नहीं किया गया अपितु उनकी पूरी तलाशी ली गई थी। हां, वह तलाशी भी अनुचित थी। वह पर्यवेक्षण के संबंध में पाकिस्तानी व्यक्तियों के साथ सरकारी कार्य कर रहे थे। वास्तव में, हमने इसका विरोध किया है। अब मेरा ख्याल है कि स्वयं पाकिस्तान सरकार ने हम से सच्ची बातों के बारे में पूछा है। ये बातें सीमा पर कुछ छोटे छोटे अधिकारियों द्वारा की जाती हैं। कदाचित वहां छोटे छोटे अधिकारी साधारणतया बहुत अधिक काबू में नहीं हैं। विशेषकर, जब से फौजी कानून लागू हुआ है, कुछ छोटे छोटे सेना अधिकारी न करने वाले कार्य करते हैं।

†**राजा महेन्द्र प्रताप:** बंगाल की राष्ट्रीयता के बारे में माननीय प्रधान मंत्री का क्या विचार है। क्या हम बंगाल की राष्ट्रीयता फैला सकते हैं, क्योंकि बंगाल की राष्ट्रीयता दोनों बंगालों को मिला सकती है?

काफी विपणन सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति[1]

+

†*६६७. **श्री वासुदेवन नायर:**
श्री केशव:
श्री वारियर:
श्री सुब्बया अम्बलम्:

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या काफी विपणन सम्बन्धी काफी बोर्ड की विशेषज्ञ समिति ने अपना कार्य पूरा कर लिया है और सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उसकी सिफारिशों को कहां तक स्वीकार कर लिया है?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो):** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री वासुदेवन नायर :** मेरा अनुमान है कि काफी बोर्ड द्वारा यह विशेष समिति इसलिये नियुक्त की गयी थी कि काफी विपणन के सम्बन्ध में कई समस्यायें थीं। यदि हां, तो फिर जांच से पहले ही काफी हाउस क्यों बन्द कर दिये गये?

---

† मूल अंग्रेजी में

[1]Expert Committee on Coffee marketing.

†**श्री कानूनगो :** यह समिति तो विशेष रूप से काफी के निर्यात के सम्बन्ध में नियुक्त की गयी थी, काफी के आन्तरिक विपणन के लिये नहीं।

खेल का सामान तैयार करने का उद्योग

†*६६८. **श्री रा० च० माझी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खेल का सामान तैयार करने वाले उद्योग को काश्मीर से विलों (सरपत) तथा शहतूत की लकड़ी की वस्तुएं प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) जी हां। जम्मू और काश्मीर सरकार विलो (सरपत) की फालतू लकड़ें नहीं भेज सकती क्योंकि वहां पर उपलब्ध लकड़ी स्वयं काश्मीर राज्य की खेल कूद के सामान के सरकारी कारखाने की मांग को भी पूरा नहीं कर सकती। शहतूत की लकड़ी वहां की सरकार द्वारा रेशम के कीड़े के लिये परिरक्षित कर दी गयी है, अतः वह भी उपलब्ध नहीं है।

(ख) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

(१) जम्मू तथा काश्मीर सरकार ने कच्चे सामान के संभरण की स्थिति को सुधारने के लिये काश्मीर राज्य में इंग्लिश विलो के और अधिक पेड़ उगाने का प्रयत्न किया है।

(२) पंजाब और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने अपने अपने राज्यों के विभिन्न भागों में विलो (सरपत) और शहतूत के वृक्ष लगाने प्रारम्भ कर दिये हैं। अन्य सरकारों से भी कहा गया है कि ` अपने अपने क्षेत्रों में शहतूत की लकड़ी के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयत्न करें।

(३) इस बात का पता लगाने का प्रयत्न किये जा रहे हैं कि क्या आसाम में भी शहतूत तथा विलो के पेड़ उगाये जा सकते हैं।

(४) खेल का सामान तैयार करने के लिये अन्य प्रकार का लकड़ी की उपयुक्तता के संबंध में भी अध्ययन किया जा रहा है।

†**श्री रा० च० माझी :** खेल के सामान के लिए उद्योग के लिये विलो और शहतूत की लकड़ी की कुल कितनी आवश्यकता है और उसमें से कितना अंश काश्मीर द्वारा संभरित किया जाता है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** जैसा कि मैंने पहले ही उत्तर में बता दिया है, काश्मीर सरकार सम्पूर्ण मामले पर विचार कर रही है। पहले यह ख्याल था कि विलो और शहतूत की सम्पूर्ण लकड़ी काश्मीर से आती थी। परन्तु यह गलत ख्याल है। वास्तव में पंजाब के खेल के सम्पूर्ण उद्योग के लिये विलो और शहतूत की लकड़ी पश्चिमी पंजाब के लाहौर के

---

† मूल अंग्रेजी में

क्षेत्र से प्राप्त होती थी। अब हम काश्मीर पंजाब तथा अन्य पहाड़ी स्थानों पर विलो और शहतूत की लकड़ी उगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। काश्मीर सरकार हमारे उद्योग के लिये जरा भी शहतूत की लकड़ी संभरित नहीं कर सकती।

†**श्री जयपाल सिंह :** क्या निर्यात संवर्धन परिषद ने खेल के सामान के निर्यात को बढ़ाने के लिये कोई कार्यवाही करने का सुझाव दिया है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** जी हां। कई कार्यवाहियों का सुझाव दिया है कि जैसे प्रशुल्क समाप्त कर देना, कच्चे सामान के आयात के लिये मुद्रा निर्दिष्ट करना, और देश तथा विदेशों में एम्पोरियम स्थापित करना तथा प्रदर्शनियां आयोजित करना आदि।

श्री अ० मु० तारिक : जो कुछ अभी फरमाया गया है उस सिलसिले में मैं यह जानना चाहता हूं कि मरकज़ी सरकार हकूमत काश्मीर की विलो वुड को डिवेलेप करने में क्या मदद कर रही है ?

श्री मनुभाई शाह : जी मदद तो जैसी हम हर एक चीज़ में देते हैं वैसे ही दी जाती है जैसे लोन हम देते हैं, ग्रांट देते हैं वगैरह। हमें आशा है कि काश्मीर की इंडस्ट्री भी इस समय काफी बढ़ रही है और वहां विलो काफी बढ रही है। लेकिन सिर्फ काश्मीर पर ही निर्भर रहना ठीक नहीं होगा क्योंकि हर एक स्टेट में विलो और मलवरी को और बढ़ाया जा सकता है। इसलिए उत्तर प्रदेश में, पंजाब में और दूसरी स्टेट्स में भी हम मदद कर रहे हैं।

†**श्री जाधव :** खेल के सामान के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** १९५७ में २४ लाख रुपये और १९५८ में आठ महीनों में २१ लाख रुपये। अब वह बढ़ रही है।

†**श्री जयपाल सिंह :** क्या निर्यात संवर्धन परिषद् ने यह भी सुझाव दिया है कि डाक की दरों में भी कुछ कमी की जाये और यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई निर्णय किया गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** परिषद् ने सिफारिश तो की थी, और हम इस सम्बन्ध में मंत्रालय से पत्र व्यवहार भी कर रहे हैं। हमें आशा है कि डाक की दरों में कुछ कमी अवश्य कर दी जायेगी।

प्राकृतिक उड़नशील तेल[1]

†*६६६. **श्री दामानी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिवर्ष कितनी कीमत के प्राकृतिक उड़नशील तेलों का आयात किया जाता है ; और

(ख) देश में उड़नशील तेलों के उत्पादन के उद्योग के विकास के लिये क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

---

† मूल अंग्रेजी में

[1]Natural Essential Oils.

विवरण

(क) गत वर्षों में निम्नलिखित राशियों के मूल्य के उड़नशील वनस्पति तेलों का आयात किया गया :—

१९५७	७४,३२,००० रुपये
१९५८ (जनवरी—अगस्त)	३२,१५,००० रुपये

(ख) केन्द्रीय सरकार उद्योग के जिन कार्यों में सहायता कर रही है वे ये हैं—आवश्यक कच्चे सामान व पैकिंग सामग्री का समाहार, विदेशों में मुकाबले से रक्षा और निर्यात के लिये सुविधायें। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् की उड़नशील तेल गवेषणा समिति इस उद्योग के विकास के लिये गवेषणा-कार्य प्रारम्भ करा रही है और इस प्रकार की योजनाओं के लिये प्रविधिक मार्ग प्रदर्शन तथा वित्तीय सहायता दे रही है।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकारें भी वित्त व भूमि की व्यवस्था तथा बढ़िया किस्म के बीजों के आयात के रूप में सहायता कर रही हैं।

†**श्री दामानी** : देश में उड़नशील तेलों के उत्पादन को उस सीमा तक कब तक बढ़ाया जा सकेगा कि उससे देश की आवश्यकता पूरी हो जाये ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह उद्योग बड़ी तेजी से विकसित हो रहा है। यह ठीक नहीं है कि हमारा लक्ष्य केवल आत्मनिर्भरता प्राप्त करना हो। यदि हमें कुछ माल बाहिर से आयात करना भी पड़े तो भी हमें विभिन्न प्रकार के तेलों का उत्पादन करना है, उनके प्रयोगों का विकास करना है और तैयार माल का निर्यात करना है।

†**श्री वें० प० नायर** : हम किन-किन उड़नशील तेलों का आयात कर रहे हैं, क्योंकि मैं देखता हूं कि हमने १९५७ में लगभग ७४ लाख रुपयों का तेल आयात किया था ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यूकलिप्टस आयल, ग्रेनियम आयल, लेमन आयल, सिट्रोनेली आयल तथा अन्य कई सुगन्धित तेल।

†**श्री दासप्पा** : क्या सरकार ने देश की चन्दन की लकड़ी को बीमारी से बचाने के लिये कोई प्रभावकारी उपाय किये हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हम इस की रोक थाम करने के लिये बड़े चिन्तित हैं। इससे चन्दल के तेल के उत्पादन में भी कुछ कमी हो गयी है। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि संबंधित मंत्रालय और हमारा मंत्रालय इस समस्या पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहा है।

†**श्री वें० प० नायर** : माननीय मंत्री ने बताया है कि यूकलिप्टस आयल भी बाहिर से आयात किया जाता है। क्या देश की इस संबंध में मांग को पूरा करने के लिये युकलिप्टस के पत्तों से तेल निकालने के उद्योग का विकास करने के संबंध में कोई प्रयत्न किया जा रहा है ?

† मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : वह ठीक है। परन्तु सभी बातों को एक साथ विकसित करना कठिन कार्य है। यूकलिप्टस आयल का उत्पादन अब एक प्रकार से स्थिर अवस्था में पहुंच गया है। फिर भी हम इसके उत्पादन को ३ लाख पौंड से बढ़ा कर ४ लाख पौंड कर देने के संबंध में प्रयत्न कर रहे हैं।

†**श्री तंगामणि** : क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् द्वारा उड़नशील तेलों के संबंध में कोई गवेषणा की गयी है, यदि हां, तो किस प्रकार की गवेषणा की गयी है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी, हां। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् की उड़नशील तेल संबंधी समिति नामक एक उप-समिति है। जड़ी बूटियों तथा पौधों से बढ़िया से बढ़िया तेल निकालने के लिये विभिन्न प्रयोगशालाओं में अत्यधिक रुपया खर्च किया जा रहा है। हैदराबाद, पूना और अन्य प्रयोगशालाओं में इस बारे में प्रयोग किये जा रहे हैं।

†**श्री मा० कृ० गायकवाड़** : सरकार द्वारा उड़नशील तेलों के उत्पादन के विकास पर कुल कितना धन विनियोग किया गया है और यह राशि किस प्रकार से खर्च की गयी है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : सरकार किसी भी वस्तु पर सीधा ही धन विनियोग नहीं करती। हम तो विभिन्न निर्माताओं और तेल निकालने वालों को केवल प्रेरणा देते हैं ताकि उनकी वस्तुएं आधुनिक रूप धारण कर सकें और उनका उत्पादन भी बढ़ सके। हम तो केवल यही चाहते हैं कि उन पौधों का अधिक उत्पादन किया जाये जिनसे उड़नशील तेल निकल सकें।

†**श्री वें० प० नायर** : लैमन ग्रास आयल उद्योग के विकास के लिये किस प्रकार की सहायता दी जाती है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं इस सभा में कई बार बता चुका हूं कि हमने केरल सरकार तथा केरल के विभिन्न बागानों को किस प्रकार की सहायता दी है और आपको ज्ञात होगा कि १९५६ में केवल ८०० टन लैमन ग्रास आयल का उत्पादन हुआ था जबकि १९५८ में १०५० टन के उत्पादन का अनुमान है।

बेतिया कैम्प में शरणार्थी

†*६७०. **श्री राजेन्द्र सिंह** : क्या पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि (बिहार के) बेतिया कैम्प के कुछ एक शरणार्थी भूख हड़ताल कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने उनकी कुछ मांगों को स्वीकार नहीं किया है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी क्या-क्या मांगें हैं ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)**: (क) राज्य सरकार की दिनांक ११ अक्तूबर, १९५८ की रिपोर्ट के अनुसार केवल एक ही व्यक्ति (जिसका नाम श्रीमती आलोरानी डे है) ८ अक्तूबर, १९५८ के अपराह्न से भूख हड़ताल पर है।

(ख) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

वहां के स्थानीय पदाधिकारियों को प्रस्तुत किये गये एक कागज में निम्नलिखित ८ मांगें निहित हैं :—

(१) विस्थापित व्यक्तियों को उनकी इच्छानुसार उपयुक्त स्थानों पर शीघ्रता से पुनः बसाना ।

(२) आगामी फसल होने तक शरणार्थियों को नकद सहायता व राशि देना ।

(३) अक्तूबर, १९५८ के बाद भी १५ प्रतिशत सहायता राशि देते रहना ।

(४) असम्बद्ध यूनिटों को भी सम्मिलित करना ।

(५) उन दण्ड अभियोग को वापिस ले लिया जाये जो विचाराधीन हैं ।

(६) पश्चिमी बंगाल और बिहार के मुख्य मंत्रियों द्वारा कैम्प का निरीक्षण करना और विस्थापित व्यक्तियों को उनसे स्वतंत्रतापूर्वक मिलने की अनुमति ।

(७) सर्वश्री विष्णुपाद डे और सुधीर मंडल की रिहाई ।

(८) सर्वश्री विष्णुपाद डे और सुधीर मंडल को फिर से नकद सहायता-राशि दी जाये ।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** : क्या यह सच है कि बिहार सरकार के पदाधिकारियों ने इन शरणार्थियों पर गोली चलायी है और उसकी न्यायिक जांच की मांग के उपरांत भी उसकी जांच नहीं की गयी है; और यदि हां, तो वह जांच क्यों नहीं करायी गयी है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : बेतिया कैम्प में वह गोली कुछ मास पहले चलायी गयी थी, परन्तु उसका इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** : क्या वह मुख्य हड़ताल अभी तक जारी है अथवा इस संबंध में कोई फैसला हो गया है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : श्रीमती आलोरानी डे ने १० अक्तूबर, १९५८ तक भूख हड़ताल को जारी रखी । तब जिला मजिस्ट्रेट ने उन्हें जेल भेज दिया और उन्हें अस्पताल में रखा गया । वहां से प्राप्त होने वाली रिपोर्ट के अनुसार उनकी स्थिति अब सामान्य है । उनकी सभी मांगों पर सरकार ने विचार किया है और उनमें से केवल एक को ही स्वीकार किया है ।

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** : वह क्या है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : अक्तूबर, १९५८ के बाद भी १५ प्रतिशत सहायता राशि दी जायेगी ।

†**श्री मोहम्मद इलियास** : क्या संख्या ७ में यह मांग की गयी थी कि सर्वश्री विष्णुपाद डे और सुधीर मंडल को रिहा कर दिया जाये । क्या उन्हें रिहा कर दिया गया है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : उन दो व्यक्तियों को भारी जुर्मों पर गिरफ्तार किया गया था और उनके मामलों पर न्यायालय में विचार किया जा रहा है ।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** : बिहार के शरणार्थी हमारे लिये ट्रस्ट के समान हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी

†**अध्यक्ष महोदय** : परन्तु आपका प्रश्न क्या है ?

†**श्री राजेन्द्र सिंह** : वहां पर गोली चलने के उपरांत उसकी न्यायिक जांच करानी चाहिये थी। मैं यह पूछना चाहता हूं कि उसकी जांच क्यों नहीं करायी गयी थी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री यह कह चुके हैं कि जांच का प्रस्तुत प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

†**श्री पू० शे० नास्कर** : जी, हां। मैंने कहा है कि इसका प्रस्तुत प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसके लिये एक अलग प्रश्न की पूर्व सूचना दी जाये।

इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन

\+
*६७१. { **श्री भक्त दर्शन** :
श्री नवल प्रभाकर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन ने १९५९ की गर्मियों में एवरेस्ट पर्वत का सर्वेक्षण करने तथा १९६० में उसकी चोटी पर चढ़ने के लिये नेपाल सरकार की अनुमति मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें अनुमति मिल गई है ; और

(ग) क्या उक्त संस्था को इस काम के लिये भारत सरकार द्वारा कोई सहायता दी जा रही है ?

वैदेशिक कार्य-मन्त्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां): (क) इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन अभी तक नहीं बनी है। बहरहाल, भारतीय चो ओयू अभियान दल, १९५८ की आयोजक समिति (स्पोन्सरिंग कमेटी) ने यह प्रार्थना पत्र दिया था कि १९५९ में माउंट एवरेस्ट का प्रारम्भिक सर्वेक्षण (रिकानेसेंस) करने, १९५९ में पुमोरी पर्वत और १९६० में माउन्ट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिये नेपाल सरकार उन्हें अनुमति दे।

(ख) जी हां। अनुमति दे दी गई है।

(ग) जब तक फाउंडेशन नहीं बन जाती, तब तक उसे सहायता देने का सवाल नहीं उठता। माउंट एवरेस्ट आदि का प्रारंभिक सर्वेक्षण करने से संबद्ध अभियानों के लिये, भारतीय चो ओयू अभियान दल, १९५८ की आयोजक समिति की ओर से, राजनयिक सूत्रों के द्वारा नेपाल सरकार की इजाजत ली गई थी।

[इसके पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया]

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले वर्ष चो ओयू पर्वत पर जो अभियान हुआ था उसमें हमारे देश के प्रसिद्ध पर्वतारोही मेजर एन० डी० जयाल का आकस्मिक देहांत हो गया था। मैं जानना चाहता हूं कि इस बार क्या कोई ऐसी मेडिकल वगैरह की व्यवस्था की जा रही है ताकि इस तरह की दुर्घटनाएं न हो सकें ?

---

†**मूल अंग्रेजी में**

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : जी ऐसा कोई इरादा नहीं है। इस तरह की दुर्घटना न होने के मानी तो यह है कि लोग घरों में ही चारपाइयों पर बैठे रहें।

श्री भक्त दर्शन : मैं यह जानना चाहता हूं कि जब कि पिछले अभियान में भारत सरकार के विविध मंत्रालयों का काफी रुपया खर्च हुआ था और जो नया अभियान होने वाला है अवश्य ही उसमें भी काफी रुपया खर्च होगा तो क्या इन अभियानों की मंशा केवल यही है कि पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ा जाय या वहां पर बुटेनिकल, जिओलौजिकल तथा अन्य वैज्ञानिक सर्वेक्षण भी कराये जायें, ताकि भारत और सारे संसार को भी उनसे लाभ हो सके ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : असल मकसद उन एक्सपेडिशंस का यह है कि लोगों की हिम्मत बढ़े, दिलेरी आये और उनके दिलों से डर निकले। उसके साथ ही साथ बुटैनिकल वगैरह २ काम भी होते रहते हैं।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि इस पर्वतारोही संस्था के अन्दर जो म्युजियम है संग्रहालय है, उसमें कुछ तथ्य दिये हैं, आंकड़े वगैरह दिये हैं कुछ एक पर्वतों के शिखरों के संबंध में, उनका सर्वेक्षण करके देखा गया है या किन्हीं आफिसेज से आंकड़े इकट्ठा करके वहां लगा दिये गये हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : किस जगह का कहते हैं मैंने सुना नहीं। लेकिन जो आंकड़े दिये जाते हैं वह आखिरी इतिला पर दिये जाते हैं। अगर पिछली है आखिरी तो वही ही नई है और अगर कोई नई इत्तिला हो तो वह नई इत्तिला रख दी जायगी।

श्री नवल प्रभाकर : वहां पर कुछ आंकड़े उन्होंने लगाये हैं, चार्टस वगैरह लगाये हैं, तो जो चार्टस हैं उनकी शुद्धता का प्रमाण क्या है, यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैंने अर्ज किया कि जो हमारे पास आखिरी सूचना होती है इस बारे में, वही नई गिनी जाती है और अगर कोई पुरानी गलत पाई जाती है तो नई दे दी जाती है।

श्री भक्त दर्शन : इस समय भारत सरकार की सहायता से दार्जिलिंग में जो हिमालियन माउंटेनियरिंग इंस्टीच्यूट बनाया गया है, मैं यह जानना चाहता हूं कि उसका और यह जो नई संस्था बन रही है, उसका क्या संबंध है, और मैं जानना चाहता हूं कि क्या उसके इंस्ट्रक्टर्स जैसे तेन सिंह वगैरह भी उसमें भाग ले रहे हैं या नहीं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जहां तक मुझे मालूम है कोई बाकायदा संबंध तो नहीं है लेकिन लोग उनमें अक्सर वह हैं जो चो ओयू पर गये थे जैसे मेजर जयाल जिनका कि देहांत हो गया वह माउंटेनियरिंग इंस्टीच्यूट के डाइरेक्टर थे और और लोग थे। उनमें से ज्यादातर माउन्टेनियरिंग इंस्टीच्यूट में सिखाये गये थे।

†**श्री आसर :** क्या यह सच है कि भारत आने वाले विदेशी पर्वतारोही अत्यन्त महत्वपूर्ण जानकारी और आंकड़े एकत्रित करते हैं और फिर उनके संबंध में हमारी सरकार को अपने प्रतिवेदन की कोई प्रति प्रस्तुत किये बिना ही वापिस चले जाते हैं, और यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य किस प्रकार की जानकारी की ओर संकेत कर रहे हैं। वैसे तो प्रति मास पर्वतयात्राओं में आने वाले खतरों और रोमांचकारी

† मूल अंग्रेजी में

घटनाओं के संबंध में एक पुस्तक के रूप में रिपोर्ट छपवायी जाती है। दूसरी बातें किन्हीं विशेष सर्वेक्षणों के संबंध में होती हैं, जिनमें यह बताया जाता है कि ११,००० या १२,००० फुट की ऊंचाई पर कोई वृक्ष नहीं है, और उससे ऊपर तो केवल बर्फ ही बर्फ होती है। तीसरे प्रकार की जानकारी तो केवल पर्वतारोहण की टेक्नीक के संबंध में है।

†**श्री हेम बरुआ :** फिर पर्वतारोही पर्वतों के मानचित्रों और प्राणि विज्ञान सम्बन्धी जो जानकारी एकत्रित करते हैं. . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य संभवतः यही पूछना चाहते हैं कि जब भी कोई विदेशी पर्वतारोही यहां आते हैं तो क्या वे एकत्रित की गयी जानकारी की एक प्रति भारत सरकार को भी प्रस्तुत करते हैं या नहीं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं इसके सम्बन्ध में इस समय तो कोई उत्तर नहीं दे सकता। पर हां, पर्वतारोही दो प्रकार के होते हैं, एक तो ऐसे होते हैं जो कि केवलमात्र अर्ध-पर्वतीय क्षेत्रों अथवा मार्गों से जानकारी एकत्रित करते हैं। वनस्पति विज्ञान तथा प्राणि विज्ञान के विशेषज्ञ वहां पर वनस्पति विज्ञान तथा प्राणि विज्ञान संबंधी सर्वेक्षण करते हैं। हमारे वनस्पति विज्ञान तथा प्राणि विज्ञान सर्वेक्षण के सदस्य उनके साथ जाया करते हैं।

शेष लोग केवलमात्र पर्वतारोहण के लिये जाया करते हैं। इस प्रकार के लोगों से किसी विशेष प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त नहीं की जाती, क्योंकि उसका कोई विशेष लाभ नहीं है।

आसाम में रेशम की मिल

*६७२. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आसाम में जापान के सहयोग से जो रेशम मिल खोलने का विचार है उस से कब तक उत्पादन प्रारम्भ होगा ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : आशा है कि इस रेशम मिल में १९६० के शुरू में उत्पादन होने लगेगा।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** इस मिल में कितना रेशम तैयार किया जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह :** वहां पर ३०,००० पौंड से ७५,००० पौंड तक रेशम तैयार किया जायेगा। उसका उत्पादन विभिन्न राज्यों ने उपलब्ध रेशमी धागों की किस्म पर निर्भर करता है।

श्री रघुनाथ सिंह : इस बात को देखते हुये कि बनारस में ८० कांउट से ज्यादा का सिल्क होता है और बनारस में कम से कम १, २ करोड़ रुपये का सिल्क बाहर से आता है तो उस सिल्क को अपने देश में इस मिल में प्रोडयूस करने का क्या प्रबन्ध हो रहा है ?

श्री मनुभाई शाह : उस मिल में तो वेस्ट सिल्क यार्न जो कि ७५ कांउन्ट से नीचे का होगा, बनाया जायेगा। जिस सिल्क के लिये मेम्बर साहब कह रहे हैं वह तो अच्छे सिल्क में से जो अच्छी क्वालिटी का यार्न बनाया जाता है उसके लिये है और उसके लिये हमारी कोशिश यह है कि हिन्दुस्तान का यार्न जो उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है जितना जापान और अन्य देशों का होता है और उसको सुधारा जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती मफीदा अहमद :** जापान ने किस प्रकार की सहायता देने का प्रस्ताव किया है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** येन करार के अधीन संयंत्र तथा मशीनरी के आयात के लिये लगभग ३८ लाख रुपये का ऋण देने का प्रस्ताव।

†**श्री हेम बरुआ :** प्रस्तावित कारखाने की उत्पादन क्षमता कितनी होगी और यह बनावटी रेशम और नायलोन से होने वाली होड़ का कितना मुकाबला कर सकेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह :** इस कारखाने में प्रतिवर्ष ७५,००० पौंड सिल्क वेस्ट यार्न ५०,००० पौंड नायल यार्न और १०,००० पौंड नायल का उत्पादन किया जा सकेगा। इससे हमारा देश इस दिशा में पूर्णरूपेण आत्मनिर्भर नहीं बन सकेगा।

†**श्री दासप्पा:** इस बात को ध्यान में रखते हुये कि इस कारखाने में अब उत्पादन प्रारम्भ किया जा रहा है और इसके अतिरिक्त एक और कारखाने में भी उत्पादन किया जा रहा है, क्या सरकार वेस्ट सिल्क के निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध लगाने का विचार रखती है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** उतनी सीमा तक प्रतिबन्ध लगाया जायगा जितनी आवश्यकता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

खान अधिनियम, १९५२ का संशोधन

†*६६५. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री १४ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १३६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खान अधिनियम, १९५२ को संशोधित करने वाला विधेयक प्रस्तुत न करने के क्या कारण हैं ; और

(ख) उसके कब तक प्रस्तुत किये जाने की आशा है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा) :** (क) संशोधन के संबंध में कुछ एक प्रस्थापनायें विवादस्पद हैं और सबंधित पक्षों से उनके बारे में अभीं बातचीत कीं जा रही है उनके बारे में अभी तक कोई अन्तिम फैसला नही किया गया है।

(ख) आशा है कि विधेयक संसद् के आगामी सत्र में प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

निर्माण कार्यों के लिये धन आवण्टन

†*६७३. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने हाल ही में कुछ एक निर्माण कार्यों के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना की राशि के अतिरिक्त १५ करोड़ रुपयों की एक और राशि मांगी है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी मंजूरी दे दी गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र):** (क) जी, हां।

(ख) और (ग). इन सभी प्रस्थापनाओं पर विचार करने के लिये एक कार्यकारी दल नियुक्त किया जायेगा।

औद्योगिक श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण

†*६७४. **श्री पाणिग्रही :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक श्रमिकों के लिये नियोजनोत्तर प्रशिक्षण (सांयकालीन कक्षा) योजना कार्यान्वित कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो यह योजना इस समय किन किन स्थानों पर चल रही है ; और

(ग) क्या उड़ीसा के औद्योगिक श्रमिकों ने १९५७–५८ के वर्ष से लेकर इस अवसर का कोई लाभ उठाया है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा):** (क) जी हां।

(ख) इस समय वह योजना बम्बई, ग्वालियर, इन्दौर मद्रास, बंगलौर, अमृतसर, जयपुर, नई दिल्ली और दालमिया नगर में चल रही है।

(ग) अभी नहीं। उड़ीसा के लिये इस योजना की मंजूरी दे दी गई है और राज्य सरकार शीघ्र ही प्रशिक्षण आरम्भ करने के संबंध में कार्यवाही कर रही है।

भूटान

†*६७५. **श्री वोडयार :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने भूटान सरकार को यह आश्वासन दिया है कि वह उसकी सीमाओं की रक्षा करेगी ; और

(ख) क्या यह सच है कि पीप्लस रिपब्लिक आफ चाइना के नकशों में भूटान के क्षेत्र को चीन का एक अभिन्न अंग दिखाया गया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) इस संबंध में कोई विशेष आश्वासन तो नहीं दिया गया है भारत और भूटान के बीच की गई संधि के अनुच्छेद २ में यह उल्लिखित है :—

> "भारत सरकार यह बात मानती है कि वह भूटान के आंतरिक प्रशासन में कोई हस्तक्षेप न करेगी। भूटान सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि वह वैदेशिक मामलों में भारत सरकार के परामर्श के अनुसार काम करेगी।"

वैदेशिक कार्यों के अन्तर्गत प्रतिरक्षा का प्रश्न भी सम्मिलित है। परन्तु अभी तक ऐसी आवश्यकता न ही उत्पन्न हुई है और न हो उत्पन्न होने की संभावना है।

---

† **मूल अंग्रेजी में**

(ख) कुछ एक मान चित्रों से ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्वी भूटान का कुछ भाग चीनी राज्य में दिखाया गया है। चीनी सरकार का ध्यान इन मानचित्रों की ओर आकृष्ट किया गया था और यह कहा गया था कि वे नक्शे गलत हैं। चीनी सरकार ने उसी समय हमें यह सूचित किया किये नक्शे चीन के स्वतंत्र होने से पहले के नक्शों के आधार पर ही तैयार किये गये हैं। उन्होंने अभी तक चीन की सीमाओं का सर्वेक्षण नहीं किया है और न ही उन्होंने अन्य सम्बधित देशों से इसके बारे में बातचीत प्रारम्भ की है। कुछ समय के उपरांत इन सर्वेक्षणों तथा अन्य देशों से की जाने वाली बात चीत के आधार पर चीन की निश्चित सीमाओं के अनुसार ही नक्शे तैयार किये जायेंगे।

भारत और भूटान की मुख्य सीमायें पूर्णरूपेण स्पष्ट हैं और उनके बारे में कोई भी विवाद नहीं है।

चपड़ा और दरदरी लाख का न्यूनतम क्रय मूल्य निश्चित किया जाना

†*६७६. { **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री नागी रेड्डी :
श्री नारयणन् कुट्टी मेनन : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चपड़ा के निर्माताओं ने सरकार से यह प्रार्थना की है कि वह चपड़ा और दरदरी लाख की निर्यातकों द्वारा खरीद के लिये न्यूनतम दाम निश्चित कर दिये जायें ;

(ख) क्या चपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद ने चपड़ा और दरदरी लाख के निर्यात के लिये कोई न्यूनतम दाम निश्चित करने का फैसला किया है ;

(ग) क्या चपड़ा के निर्माताओं ने यह भी प्रार्थना की है कि लाख के छोटे निर्माताओं की मशीनें इस्तेमाल करने वाले बड़े पैमाने के निर्माताओं से कुटीर उद्योगों के समान ही परीक्षा की जाये ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो):** (क) जी हां। पालामऊ चपड़ा लाख सन्या डाल्टनगंज (बिहार) ने इस प्रकार की प्रार्थना की थी।

(ख) इसके न्यूनतम निर्यात मूल्य निश्चित करने के लिये एक योजना को संतोषजनक रूप से चलाने के लिये भारतीय लाख निर्यात संथा नि ति संवर्धन परिषद से बातचीत कर रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†**मूल अंग्रेजी में**

अन्दमान और निकोबार द्वीप-समूह का औद्योगिक विकास

†*६७७. { **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री कुन्हन :
श्री नारायणन् कुट्टी मेनन : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह के औद्योगिक विकास की कोई योजना बनायी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख). अन्दमान और निकोबार क्षेत्र के औद्योगिक विकास की संभावनाओं का पता लगाने के लिये एक विशेष अधिकारी को वहां जाने के लिये नियुक्त किया गया था ।

इस प्रतिवेदन में दी गयी प्रस्थापनाओं पर विचार किया जा रहा है ।

अमरीका को टाट का निर्यात

†*६७८. { **श्री संगण्णा:**
श्री रघुनाथ सिंह : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत से अमरीका को टाट के निर्यात व्यापार पर जापान के टाट निर्यात का असर पड़ा है ; और

(ख) टाट के निर्यात में इस होड़ का सामना करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री काननगो):** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

विदेशों में चाय संबंधी जन सम्पर्क यूनिट

†*६७९. **श्री अरविन्द घोषाल :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिस्र और आस्ट्रेलिया में चाय बोर्ड की किसी जन सम्पर्क यूनिट की स्थापना की गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र):** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

पंजाब में निष्क्रम्य व्यक्तियों के मकानों में रहने वाले हरिजन

†*६८०. { **श्री दलजीत सिंह :**
श्री चूनी लाल : }

क्या **पुनर्वास तथा अल्प संख्यक कार्य** मंत्री २५ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २८२६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निष्क्रम्य व्यक्तियों के मकानों में रहने वाले हरिजनों को सुविधायें देने की समस्या के आकार के बारे में जानकारी एकत्र कर उस पर विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर):** (क) यह जानकारी अब भी एकत्र हो रही है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

इन्डिया हाउस, लन्दन

†*६८१. { **श्री वाजपेयी :**
श्री उ० ल० पाटिल :
श्री रघुनाथ सिंह : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई कार्य अध्ययन दल लन्दन में भारतीय उच्च आयुक्त के कार्यालय के विभिन्न विभागों में कर्मचारि ों की नियुक्ति की समस्या की जांच कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन की उपपत्तियां क्या हैं ; और

(ग) उनके अनुसरण में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) :** (क) जी हां।

(ख) और (ग). यह अध्ययन अब भी पूरा नहीं हुआ है और सरकार प्रतिवेदन की प्रतीक्षा में है ।

जादवपुर पॉलिटेक्निक में व्यापार संबंधी पाठ्यक्रम

†*६८२. { **श्रीमती रेणू चक्रवर्ती :**
श्री ही० ना० मकर्जी :
श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :
श्री तंगामणि :
श्री प्रभात कार: }

क्या **पुनर्वास तथा अल्प संख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार की विसर्जन योजना, १९५२ के अधीन जादवपुर पॉलिटेक्निक का व्यापार संबंधी पाठ्यक्रम बन्द होने वाला है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या सरकार द्वारा चलाये गये कालेज बन्द कर दिये जायेंगे ;

(ग) पौलिटेक्निक किस तारीख से बन्द कर दी जाने वाली है ;

(घ) वहां कितने शरणार्थी छात्र पढ़ रहे हैं ; और

(ङ) उसे बन्द क्यों किया जा रहा है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)**: (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) पहली दिसम्बर, १९५८ से यह सेक्शन, पौलिटेक्निक नहीं बन्द होने वाला है ।

(घ) ३० जून, १९५८ को रजिस्टर में ३०२ नाम थे जबकि मन्जूरी ३२८ स्थानों की थी ।

(ङ) व्यापार-सेक्शन में प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष थी । अनुभव से यह सिद्ध हो गया था कि जो प्रशिक्षार्थी एक वर्ष का प्रशिक्षण लेकर जाते हैं वह पूर्ण प्रशिक्षित नहीं हो पाते, और इसी लिये वह नौकरी पाने में उन लोगों के सामने होड़ में नहीं टिक पाते जो पुनर्वास तथा रोजगार महानिदेशालय की प्रशिक्षण योजनाओं के अधीन सामान्य रूप से अधिक समय तक चलने वाला प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं । इस लिये एक वर्ष वाला पाठ्यक्रम समाप्त कर दिया गया है और उसके स्थान पर दो वर्षों का दूसरा पाठ्यक्रम चालू करने के विषय में राज्य-सरकार से व्यवस्था कर ली गयी है ।

प्याज का निर्यात

†*६८३. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५७ की तुलना में इस वर्ष प्याज के निर्यात की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो कितना ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) जी हां ।

(ख) पत्री वर्ष की पहली तीन तिमाहियों के निर्यात से लगभग २०,००० टन अधिक । यह लगभग ४० लाख रुपये के बराबर होता है ।

गोलमुड़ी की टाटानगर फाउन्ड्री

†*६८४. **श्री नागी रेड्डी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोलमुड़ी की टाटानगर फाउन्ड्री में स्लीपर फाउन्ड्री, पाइप फाउन्ड्री और फर्नेस कास्टिंग बनाकर दी गयी हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इनके बन्द होने के संबंध में पहले से सूचना दे दी गयी थी ;

(ग) इन्हें क्यों बन्द किया गया ; और

(घ) इन विभागों को चलाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (घ). लोक सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

बिहार सरकार ने भारत सरकार को यह सूचना दी थी कि जमशेदपुर की टाटानगर फाउन्ड्री कम्पनी लिमिटेड ने कच्चे लोहे के संभरण के संबंध में अस्थायी कठिनाई के कारण २८ अक्तूबर १९५८ को कुछ श्रमिकों की काम बन्दी कर दी । काम बन्दी वाले श्रमिकों की संख्या ९५० थी । टाटा नगर फाउन्ड्री कम्पनी लिमिटेड ने कच्चे लोहे के संभरण के लिये जमशेदपुर की टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड और बर्नपुर की इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को आर्डर दिये थे । टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के नये कारखानों में कार्य आरम्भ नहीं हुआ था और उनके अपने विस्तार कार्यक्रम के कारण कुछ अव्यवस्था हो गयी थी इसलिये यह कम्पनी समय रहते इस फरम के मांगें पूरी नहीं कर पाई । जहां तक मेसर्स इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को दिये गये आदेश पर कच्चे लोहे के संभरण का प्रश्न था, रेलवे वैगन न मिलने के कारण उसे भेजने में कुछ कठिनाई आ गयी थी । इन परिस्थितियों में प्रबन्धकों को ३००० श्रमिकों में से ९५० श्रमिकों का काम अस्थायी रूप से बन्द कर देना पड़ा ।

राज्य सरकार ने रेलवे अधिकारियों और लोहा तथा इस्पात नियंत्रक से यह प्रश्न उठाया और अब कम्पनी को कच्चा लोहा मिल गया है । काम बन्दी का नोटिस १२ नवम्बर, १९५८ को वापस ले लिया गया था और श्रमिकों ने अब फिर से कार्य आरम्भ कर दिया है ।

डीजल इंजन

†*९८५. **श्री वें० प० नायर**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनरल मोटर्स फर्म ऐसे डीजल इंजन विकसित करने में सफल हो गयी है जिनका मशीनें बनाने वाली मशीनों का आयात करने के लिये बहुत अधिक अतिरिक्त विदेशी मुद्रायें पाये बिना भी भारत के मोटर कारखाने निर्माण कर सकते हैं ;

(ख) क्या इस इंजन का निर्माण करने के लिये भारत की किसी फर्म ने औद्योगिक लाइसेंस मांगा है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

जनरल मोटर्स ने मोटरों के कई डीजल इंजन बनाये हैं जिनमें बहु-ईंधन चालित इंजन भी है । जनरल मोटर्स के साथ प्रविधिक सहयोग करने वाली भारतीय फर्म ने बेडफोर्ड ट्रकों के लिये बेडफोर्ड डीजल इंजनों के निर्माण के लिये आवेदन किया था । लेकिन देशी वहित्र[1] डीजल इंजन निर्माताओं की उपलब्ध क्षमता को ध्यान में रखते हुये यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]. Automotive.

दुर्गापुर का कोक-भट्टी संयंत्र[1]

†*६८६. श्री बिमल घोष : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार से दुर्गापुर के कोक-भट्टी संयंत्र की क्षमता दूनी कर देने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) जी हां ।

(ख) अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है ।

मद्रास के कपड़ा रंगने वालों और उत्पादकों का सम्मेलन

†*६८७. श्री आचार : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मद्रास के कपड़ा रंगने वालों और उत्पादकों के पिछले सितम्बर के सम्मेलन के उस संकल्प पर विचार कर लिया है जिसमें उनकी शिकायतें और कठिनाइयां बतायी गयी थी ; और

(ख) क्या सरकार ने उनकी शिकायतों और कठिनाइयों को दूर करने के लिये कोई कार्यवाही की है, या कुछ कार्यवाही करने वाली है ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो): (क) और (ख). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

२८ सितम्बर, १९५८ को मद्रास स्टेट टेक्सटाइल डायर्स एण्ड प्रिंटर्स एसोसियेशन के तीसरे सम्मेलन में स्वीकृत कुछ संकल्प प्राप्त हुये हैं । यह मुख्यतः इन विषयों के बारे में हैं :—

(१) वस्त्र उद्योग को रंगों और रसायनिक पदार्थों के सम्भरण का मूल्य क्या हो ।

(२) हथकरघा बोर्ड और अन्य संस्थाओं में डायर्स एण्ड प्रिंटर्स एसोसियेशन के प्रतिनिधि भी रखे जायें ।

(३) वस्त्रों की छपाई के उद्योग को कुछ सुविधायें प्रदान की जायें ।

जहां तक रंगों और रसायनिक पदार्थों के भावों का प्रश्न है, खबर मिलते ही तत्काल कार्यवाही की गई थी । पहला काम यह किया गया कि जहां तक सहकारी समितियों की आवश्यकताओं का प्रश्न है, शीर्ष समितियों की मार्फत उन की आवश्यकता की वस्तुयें उचित मूल्यों पर प्राप्त करने का प्रबन्ध किया गया । जहां तक अन्य उपभोक्ताओं का प्रश्न था, उपलब्ध रंगों का समन्याय्य और उचित ढंग से वितरण करने और रंगाई के सामान के भावों में अनुचित रूप से वृद्धि को रोकने में सहायता पहुंचाने के लिये अक्तूबर के अन्त में टेक्स्टाइल कमिश्नर ने एक सम्मेलन किया था । स्थिति पर बराबर निगाह रखी जा रही है और अभी आयात किये जाने वाले रंगों आदि के भावों पर नियंत्रण करना आवश्यक नहीं समझा गया ।

संकल्पों में उठाई गई अन्य बातों पर अभी विचार जारी है ।

---

† मूल अंग्रेजी में

1 Coke-oven Plant.

किसान

†*६८८. श्री विश्वनाथ राय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या किसी देश ने यह मांग की है कि भारतीय किसान उस देश में जा कर बस जायें ?

† वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री जो० ना० हजारिका) : जी नहीं ।

ट्रैक्टरों के कारखाने

†*६८९. { श्री ले० अचौ सिंह :
श्री प्र० के० देव :
श्री बि० चं० प्रधान :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में सरकारी क्षेत्र में खेती के काम आने वाले ट्रैक्टरों के कारखाने खोलने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि नहीं, तो इन ट्रैक्टरों के निर्माण के लिये किन एजेंसियों को लाइसेंस दिये गये हैं और उन एजेंसियों की कार्यपूंजी कितनी है ; और

(ग) वास्तव में उत्पादन कब आरम्भ होगा ?

† उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

(ख) मद्रास की मेसर्स स्टैण्डर्ड मोटर प्राडक्ट्स आफ इंडिया लिमिटेड ही अकेली ऐसी फर्म है जिसे उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अधीन खेती के काम आने वाले ट्रैक्टरों के निर्माण का लाइसेंस दिया गया है ।

३०-९-१९५८ तक इस फर्म द्वारा १,४६,५५,९३२ रुपये की पूंजी लगाई जा चुकी थी । इस में फर्म द्वारा मोटरों के निर्माण के लिये लगाई गई पूंजी भी शामिल है ।

हाल ही में (लाइसेंस देने वाली समिति की सिफारिशों के आधार पर) सरकार ने दो और योजनाओं का अनुमोदन किया है और विदेशी सहयोग की शर्तों का अनुमोदन होते ही उन्हें लाइसेंस दे दिये जायेंगे ।

(ग) उत्पादन कार्यक्रम के शीघ्र ही आरम्भ हो जाने की आशा है । अभी तक अन्य पुराने आयात करने वालों की तरह यह फर्म भी पुर्जे जोड़ कर ट्रैक्टरों का निर्माण करने में लगी थी ।

गोल मिर्च का निर्यात

†*६९०. श्री कोडियान : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष गोल मिर्च के निर्यात में कमी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

† **वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां ।

(ख) मुख्यता इस कारण से कि आयात करने वालों ने अन्य सूत्रों से मिलने वाली सस्ती गोल मिर्चों का आयात ज्यादा पसन्द किया । और साथ ही हमारी भाड़ा-दर भी तुलनात्मक रूप से अधिक थी ।

(ग) गोल-मिर्च के भाड़े में कमी करा ली गई है ; अमरीका में खपत बढ़ाने के उद्देश्य से अमरीकी मसाला व्यापार संघ का सहयोग प्राप्त किया गया है ; काली मिर्चों की लोकप्रियता बढ़ाने के लिये प्रचार किया जा रहा है ; किस्मों पर नियंत्रण रखने और पहले ही निरीक्षण कर लेने की योजना चलाई गई है और गोल-मिर्चों का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है ।

घड़ियां और दीवार घड़ियां

†* ६६१. **श्री न० रा० मुनीस्वामी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बात का ध्यान रखते हुए कि घड़ियों और दीवार-घड़ियों के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है, इन के निर्माण में लगे देशी उद्योग को किस प्रकार की सुविधायें प्रदान की गई हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है:

विवरण

देशी दीवार-घड़ी निर्माताओं को निम्नलिखित सुविधायें प्रदान की जाती हैं :—

(१) कच्चे माल, मशीनी औजारों आदि के आयात के लिये विदेशी मुद्रायें दे कर आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है ।

(२) वर्तमान निर्माताओं को अपनी क्षमता का विस्तार करने के लिये प्रोत्साहन दिया जा रहा है ताकि उत्पादन बढ़ सके ।

(३) जो नये उत्साही व्यक्ति दीवार-घड़ियों के कारखाने खोलना चाहें, उनका स्वागत किया जायेगा।

(४) फोर्ड फाउनडेशन के दो परामर्श दाता अनेक छोटी २ फर्मों को प्रविधिक परामर्श दे रहे हैं और उनका मार्ग दर्शन कर रहे हैं ।

जहां तक घड़ियों का प्रश्न है, अभी तक देश में इनका एक भी निर्माता नहीं है । यदि उत्साही व्यक्ति अपनी योजनाओं के लिये उपयुक्त विदेशी सहयोग प्रात करलें तो घड़ियों के निर्माण की योजनाओं को प्रोत्साहन दिया जायगा ।

भारत में दीवार-घड़ियों, मेज-घड़ियों और घड़ियों के निर्माण का विकास करने की दृष्टि से एक तालिका बनायी जा रही है । वह तालिका दीवार-घड़ियों, मेज-घड़ियों और घड़ियों संबंधी देश की वर्तमान और भावी आवश्यकताओं का पता लगायेगी, उनके निर्माण के लिये देश में पहले से ही उपलब्ध सुविधाओं की जांच करेगी उस उद्योग के विकास के तरीकों के बारे में सिफारिश करेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कल्याण रुई

†*६९३. **श्री पु० र० पटेल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ मार्च, १९५८ के बाद से कल्याण रूई की कितनी गांठें भारत की कपड़ा मिलों ने खरीदी हैं और इस किस्म की कितनी गांठ रुई का विदेशों को निर्यात किया गया है ;

(ख) १ मार्च, १९५८ को इस किस्म की रुई का कितना स्टाक था ; और

(ग) रुई-व्यापारियों के पास कल्याण-रुई का कितना स्टाक अनबिका पड़ा है और यह पिछले वर्ष की इसी अवधि के स्टाक की तुलना में कैसा बैठता है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) १–३–१९५८ से ३१–१०–१९५८ की अवधि में भारत की कपड़ा मिलों १,५३,४०३ गांठ कल्याण-रुई खरीदी थी। इसी अवधि में ४००० गांठ कल्याण रुई का निर्यात किया गया।

(ख) १–३–१९५८ को मिलों के स्टाक में ३४,२५० गांठ और व्यापारियों के पास १५,००० गांठ कल्याण रुई थी।

(ग) अनुमान है कि इस समय लगभग २०,००० गांठ रुई व्यापारियों के पास अनबिकी पड़ी है जब कि पिछले वर्ष की इस अवधि में ३५,००० गांठें नहीं बिक पाई थीं।

नाभिकीय परीक्षणों का पता लगाने के संबंध में जेनेवा-सम्मेलन

†*६९४. { **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री राम कृष्ण :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नाभिकीय परीक्षणों का पता लगाने के संबंध में जेनेवा में जो सम्मेलन हुआ था उसमें किन-किन देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

(ख) सम्मेलन में क्या क्या निर्णय हुए और उसने कौन-कौन सी सिफारिशें की हैं ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) अमरीका, इंग्लैण्ड, फ्रांस, कनाडा, रूस, पोलैण्ड, चेकोस्लोवाकिया और रूमानिया के विशेषज्ञों ने सम्मेलन में भाग लिया था।

(ख) सर्व सम्मति से एक प्रतिवेदन स्वीकार किया गया। इसमें नाभिकीय विस्फोटों को पहचानने और उनका पता लगाने के संबंध में विभिन्न तरीकों, कन्ट्रोल प्रणालियों में काम आने वाले प्रविधिक उपकरणों और सम्पूर्ण कंट्रोल प्रणाली के बारे में जानकारी दी हुई थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

सम्मेलन इस निष्कर्ष पर पहुंचा विश्व-व्यापी आधार पर एक सुचारु और प्रभावशाली कंट्रोल-पद्धित की स्थापना करना प्रविधिक दृष्टि से पूर्णरूपेण संभव है।

(ग) हम इसका स्वागत करते हैं। पुनश्शस्त्रीकरण की दिशा में हाल के महीनों में जो कार्यवाही की गयी है उसमें यह पहला ही ठोस कदम है।

राज्य गृह-निर्माण बोर्डों की स्थापना

†*६९५. { **श्री राम कृष्ण :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त : }

क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री २७ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ६०७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्यों में गृह-निर्माण और घरों के प्रबन्ध के लिये उत्तरदायी और गृह-निर्माण कार्यों के लिये वित्तीय उपबन्ध करने के लिये राज्य-गृह-निर्माण बोर्डों की स्थापना का प्रश्न इस समय किस अवस्था में है?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** इस मसले पर आगे विचार करने के पश्चात यह निश्चय किया गया है कि केन्द्र के लिये इस प्रकार के बोर्डों की स्थापना के लिये विधान बनाना आवश्यक नहीं है। पिछले अक्तूबर में दार्जिलिंग में गृह-निर्माण मंत्रियों का जो तीसरा सम्मेलन हुआ था उसमें यह विचार प्रगट किया था कि ऐसे राज्य गृह निर्माण बोर्डों की स्थापना के लिये आवश्यक विधान बनाना राज्यों के लिये ही अधिक अच्छा रहेगा जो गृह-निर्माण बस्तियों की स्थापना और प्रबन्ध करें और साथ ही राज्यों के अन्य गृह-निर्माण कार्यों के लिये वित्त की व्यवस्था करें। यह सिफारिश आवश्यक कार्यवाही के लिये राज्य सरकारों के पास भेज दी गयी है।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (प्राइवेट) लिमिटेड

†*६९६. **श्री सुबोध हंसदा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अपना ढलाई घर न होने के कारण हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (प्राइवेट) लिमिटेड को १९५७–५८ में ढले हुए हिस्से प्राप्त करने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जिसकी वजह से उनका खर्च बढ़ गया है; और

(ख) इस कम्पनी के लिये हिस्से ढालने के लिये ढलाई घर की स्थापना के लिये क्या प्रयास किये गये हैं?

† **उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) जी हां।

(ख) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (प्राइवेट) लिमिटेड में एक ढलाई घर की स्थापना की परियोजना द्वितीय पंच वर्षीय योजना में शामिल कर ली गयी है। इस परियोजना को शीघ्र क्रियान्वित करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिमाचल प्रदेश में खानों से नमक निकालना

†६९७. **श्री पद्म देव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १३ मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ९३५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करें कि मण्डी की सेंधे नमक की खानों से वैज्ञानिक तरीके से नमक निकालने की योजना के सम्बन्ध में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** दो शाफ्टे बनाने तथा पहली शाफ्ट खोदने के लिये हैडगीयर स्थापित करने के सभी प्रारम्भिक काम पूरे किये जा चुके हैं। एक शाफ्ट १९ फीट की गहरायी तक बनायी जा चुकी है। जहां दूसरी शाफ्ट खोली जाएगी, उस जगह तक जाने के लिये सड़क बनकर तैयार हो गयी है। शाफ्टें बनने के स्थान पर जो मशीन तथा उपकरण लगाये जायेंगे, उनका एक भाग बनाकर केदार ने पूरा कर लिया है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

†*६९८. **श्री स० म० बनर्जी :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अधीन एक अस्पताल स्थापित करने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसे अंतिम रूप प्रदान कर दिया गया है ; और

(ग) इसकी स्थापना कब तक हो जाने की संभावना है ?

† **श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नंदा) :** (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) इसके १९५९ तक पूरे हो जाने की संभावना है।

एक्स-रे फिल्मों का आयात

†*६९९. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या यह सच है कि एक्स-रे फिल्मों के आयात पर प्रतिबन्ध लग जाने के कारण इस प्रकार की वस्तुयें अब मुश्किल से मिलती हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि जनता को ये चीजें बाजार में ज्यादा कीमत पर भी नहीं मिलती ;

(ग) १९५७–५८ और १९५८–५९ में अब तक इस प्रकार की कितनी सामग्री के आयात की अनुमति दी गयी है ;

(घ) क्या इस प्रकार का अधिकांश आयात सरकार के हिसाब में किया जाता है ; और

(ङ) जनता की आवश्यकताओं को उचित दामों पर पूरा करने की दृष्टि से समन्यायय वितरण सुगम बनाने के लिये किस प्रकार की कार्यवाही की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) अस्थायी रूप से कुछ कमी हो गयी थी लेकिन अब हालत सुधर गई है।

(ख) सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ग) आयात के परिमाण के विषय में जानकारी उपलब्ध नहीं है। जितनी जितनी कीमत के आयात के लिये लाइसेंस जारी किये गये थे उनका एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६१]

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि भावों में कोई असाधारण वृद्धि नहीं हुई है।

प्रबन्ध में श्रमिकों का सहयोग

†*७००. { **श्री केशव** :
श्री राम कृष्ण :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह दिखाया गया हो कि :

(क) प्रत्येक राज्य की किन-किन मिलों में अब तक प्रबन्ध में श्रमिकों द्वारा भाग लिये जाने की योजना को क्रियान्वित करने की दृष्टि से मालिकों और कर्मचारियों की प्रबन्ध कारिणी परिषदें स्थापित हो गयी हैं ; और

(ख) यह किस हद तक सफल रही हैं ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नंदा)** : (क) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६२]

(ख) अभी से इस योजना के परिणामों के विषय में कुछ कहना कठिन है।

राज्य व्यापार निगम

†*७०१. **श्री वि० च० शुक्ल** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री २५ अप्रैल, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २७५२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि किन कारणों से और किन परिस्थितियों में कलकत्ता पत्तन में राज्य व्यापार निगम के माल उतारने और चढ़ाने वाले समवाय मैसर्ज एन० एन० मुकर्जी की दर १ अक्तूबर, १९५७ से रु० ३/२/- से घटा कर ३ रुपये प्रति टन कर दी गई ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

जुलाई, १९५७ से सरकार ने यह निश्चय किया कि लौह अयस्क के निर्यात का काम पूर्णतः राज्य व्यापार निगम को सौंप दिया जाये जिसके फलस्वरूप मैसर्ज नरेश नाथ मुकर्जी के काम की मात्रा उस समय बहुत बढ़ गई जबकि माल उतारने और चढ़ाने की दर रु० ३/२/- निश्चित की गई थी। पहले मालूम नहीं था कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। इस आधार पर उस समवाय ने अक्तूबर, १९५७ से अपनी दर में २ आने प्रति टन कमी करना स्वीकार कर लिया।

---

†मूल अंग्रेजी में।

विदेशी सार्थों का भारतीयकरण

†*७०२. श्री दामानी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी सार्थों की पर्यवेक्षक अथवा प्रबन्धक पदालियों में भारतीय पदाधिकारी नियुक्त करने के सम्बन्ध में कोई प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका व्योरा क्या है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी हां।

(ख) विदेशी मिल्कीयत/नियंत्रण वाली सार्थों के भारतीयकरण का कार्यक्रम १९५२ में आरम्भ किया गया था। इस समय स्थिति यह है कि १००० रुपये से कम वेतन वाले लगभग सभी स्थानों पर भारतीय नियुक्त हैं। इससे अधिक वेतन वाले पदों पर भारतीयों को नियुक्त करने सम्बन्धी प्रगति भी संतोषजनक है जैसा कि सभा-पटल पर रखे गये विवरण से स्पष्ट है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६३]

कैलाश मानसरोवर के लिए तीर्थ-यात्री

*७०३. { श्री भक्त दर्शन :
श्री नवल प्रभाकर :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष तिब्बत स्थित कैलाश मानसरोवर की तीर्थयात्रा के लिये कितने भारतीय तीर्थयात्री गये ;

(ख) क्या इन तीर्थ-यात्रियों को अपनी तीर्थयात्रा के दौरान में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा ; और

(ग) उन कठिनाइयों को दूर करने के लिये तथा भविष्य में उनके घटित न होने देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव : (श्री सादत अली खां) : (क) ६३५।

(ख) और (ग). कोई ऐसी आम शिकायत नहीं रही है, लेकिन असुविधा होने के जो दो-एक मामले हमारे सामने आए थे, उनकी ओर हमने चीन लोक गणराज्य सरकार का ध्यान, उनके राजदूतावास के द्वारा आकर्षित किया था और यह प्रार्थना की थी कि वे ऐसा प्रबन्ध कर दें कि इस तरह की घटनाएं भविष्य में न हों।

सरकारी क्वार्टरों का आवंटन

†*७०४. श्री राजेन्द्र सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में बहुत से क्वार्टर आवंटित नहीं किये गये हैं और वे कई महीनों से खाली पड़े हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) यदि हां, तो ऐसे क्वार्टरों की कुल संख्या क्या है और इन्हें खाली रखने के क्या कारण हैं ?

†निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) और (ख). २५४ क्वार्टर खाली पड़े हैं क्योंकि उन में मरम्मत का काम काफी है।

न्यूजीलैंड का उच्च आयुक्त

†*७०५. श्री रघुनाथ सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि न्यूजीलैन्ड ने नई दिल्ली में उच्च आयुक्त के कार्यालय की स्थापना करके भारत के साथ प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित करने का निश्चय किया है ?

†वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : जी हां : वस्तुतः न्यूजीलेन्ड के उच्च आयुक्त का कार्यालय भारत में खुल गया है।

भारतीय फर्में

†*७०६. { श्री वोडयार :
श्री वि० च० शुक्ल :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार एक ऐसी विशिष्ट संस्था की स्थापना करने के बारे में विचार कर रही है जो विदेशी समवायों को भारतीय फर्मों के स्तर और उनकी साख के बारे में जानकारी दे सके ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का व्योरा क्या है और इस समय यह किस अवस्था में है ; और

(ग) इस समय विदेशी समवायों को यह जानकारी कौन देता है ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). भारत सरकार ऐसी संस्थाओं की स्थापना करने के लिये प्रोत्साहन देने की सम्भावनायें देख रही है जो विदेशी समवायों को विदेशी व्यापार करने वाले भारतीय समवायों के स्तर और साख के बारे में जानकारी दें।

(ग) व्यापार मंडलों, सम्बन्धित फर्म के बैंकरों और एक या दो गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा दी जाती है।

सान-फ्रेंसिस्को में स्मारक आश्रम

†*७०७. { श्री अ० क० गोपालन :
श्री कुन्हन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सान-फ्रेंसिस्को में गद्दार दल का मुख्यालय उनकी आस्तियां और नगदी १९४८ में सान फ्रेंसिस्को स्थित भारतीय वाणिज्य दूत के सुपुर्द कर दी गई ;

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) क्या इमारत और नगदी प्राप्त करते समय भारतीय वाणिज्य दूत ने गद्दार दल के विख्यात व्यक्तियों को यह आश्वासन दिया था कि उस निधि से भारत सरकार एक स्मारक आश्रम का निर्माण करेगी ; और

(ग) उस आश्वासन को पूरा करने के लिये भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी हां। गद्दार दल का मुख्यालय भारतीय महा वाणिज्य दूत को १९४८ में नहीं बल्कि १९४९ में सौंपा गया था। आस्तियों में एक पुरानी इमारत, हाथ से चलने वाली एक पुरानी प्रिंटिंग मशीन और कुछ फर्नीचर था जो कि उस इमारत में पड़ा था। नगदी कुछ नहीं थी।

(ख) १९४९ में जब यह सम्पत्ति सरकार को सौंपी गई उस समय सरकार ने अथवा सरकार की ओर से गद्दार दल को किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया गया था। परन्तु बाद में गद्दार दल की इच्छा के अनुसार भारत सरकार वहां एक स्मारक भवन का निर्माण करने पर सहमत हो गई थी ;

(ग) कई प्रस्तावों पर विचार करने के पश्चात सरकार ने एक स्मारक और कुछ 'फ्लेट' बनाने के लिये ८२,८६६ डालर की मंजूरी दी थी। आर्थिक कमी और विदेशी मुद्रा को बचाने की आवश्यकता के कारण निर्माण कार्य लम्बित करना पड़ा।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मभारित कर्मचारी[1]

†*७०८. श्री तंगामणि : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री २७ फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ७१० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मभारित कर्मचारियों के कुछ वर्गों को नियमित वर्गों में शामिल करने के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

†निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : भारत सरकार ने २६ मार्च, २१ मई और ६ नवम्बर, १९५८ को तीन आदेश जारी किये थे जिन में कर्मभारित पदों को नियमित पदों में बदलने की सामान्य प्रक्रिया और उनके वर्गों की परिभाषा की गई है ; १४–८–१९५७ को लोक सभा में की गई घोषणाओं को कार्यान्वित करने के लिये एक तदर्थ समिति की स्थापना की गई है और नियमित कर्मचारियों में शामिल करने के हेतु कर्मभारित कर्मचारियों की वरिष्ठता और निवृत्ति वेतन का हिसाब लगाने के सिद्धांत थे। कुछ समय से तदर्थ समिति डिवीजनल कार्यालयों के रिकार्ड देख रही है ताकि नियमित कर्मचारी वर्ग में शामिल करने के लिये प्रत्येक व्यक्ति के बारे में विचार कर लिया जाये। आशा है कि शीघ्र ही कर्मचारियों को यह विकल्प व्यक्त करने के लिये फार्म दे दिये जायेंगे कि वे कर्मभारित कर्मचारी वर्ग में रहना चाहते हैं या नियमित कर्मचारी वर्ग में रहना चाहते हैं।

ब्रिटेन में चाय परिषद्

†*७०९. श्री अरविन्द घोषाल : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन में कोई चाय परिषद् की स्थापना की गई है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में।

[1] Work Charged Staff

(ख) यदि नहीं, तो क्यों ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी नहीं।

(ख) चाय परिषद् स्थापित करने से यह जरूरी नहीं कि ब्रिटेन में भारतीय चाय का आयात बढ़े। चाय परिषदों की स्थापना इस प्रयोजन से की जाती है कि चाय उत्पादक और स्थानीय चाय व्यापारी मिल कर उस देश में चाय की खपत का प्रचार करें। ब्रिटेन में चाय की प्रति व्यक्ति खपत संसार में सब से अधिक है। इसलिये ब्रिटेन में चाय परिषद् के न होने से भारतीय चाय का निर्यात करने वालों के लिये कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी।

विस्थापित व्यक्तियों का चारबतिया कैम्प

†*७१०. श्री पाणिग्रही : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार शीघ्र ही उड़ीसा में विस्थापित व्यक्तियों को चारबतिया कैम्प को बन्द करने के बारे में विचार कर रही है ; और

(ख) उस कैम्प में अब कितने शरणार्थी परिवार रह रहे हैं ?

†पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) उड़ीसा सरकार के साथ परामर्श करके यह निश्चय किया गया है कि मार्च, १९५९ तक चारबतियां कैम्प बन्द कर दिया जाये।

(ख) ३९९ परिवार।

ब्रिटेन को लाख का निर्यात

†*७११. श्री पांगरकर : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन में भारतीय लाख की बिक्री कम होतीं जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

हथकरघा उद्योग के लिये रंग

†*७१२. श्री नागी रेड्डी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि हथकरघा उद्योग में इस्तेमाल होने वाले रंगाई के सामान के मूल्य बहुत बढ़ गये हैं।

(ख) यदि हां, तो उचित मूल्यों पर रंगाई के सामान की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या सरकार का विचार आयात किये गये रंगाई के सामान के मूल्यों पर नियन्त्रण करने का है ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी हां। हथकरघा उद्योग के लिये आवश्यक रंगाई के सामान में मूल्य बढ़ने की सूचना मिली थी।

(ख) सूचना मिलते ही तुरन्त कार्यवाही की गई थी। पहले तो सहकारी संस्थाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये शीर्ष समितियों के द्वारा उचित मूल्यों पर सामग्री प्राप्त की गई थी। अन्य उपभोक्ताओं के लिये अक्तूबर की समाप्ति पर वस्त्र आयुक्त ने एक सम्मेलन किया था जिस का उद्देश्य उपलब्ध रंगाई के सामान का समानोचित वितरण करना और उनके मूल्यों को अधिक बढ़ने से रोकना था।

(ग) स्थिति का निरंतर पुनरावलोकन किया जा रहा है और आयात किये गये रंगाई के सामान के मूल्यों पर नियंत्रण करने का कोई विचार नहीं है।

राजस्थान में नमक क्षेत्र

†*७१३. { श्री बाजपेयी :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान के नमक वाले क्षेत्रों में १९६० के बाद काम करने के बारे में कोई और प्रस्थापनायें तैयार करके राजस्थान सरकार को, उन पर विचार करने के लिये भेजी हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने उन के बारे में अपनी प्रतिक्रियायें बताई हैं ; और

(ग) यदि भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो तो वार्ता किस अवस्था में है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इस मामले पर राजस्थान सरकार और केन्द्रीय सरकार विचार कर रही हैं।

पेट्रोल उद्योग के लिये राष्ट्रीय न्यायाधिकरण

†*७१४. { श्री दलजीत सिंह :
श्री हेम बरुआ :
श्री पु० र० पटेल :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री ९ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १०७२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या सरकार ने उसके पश्चात राज्य सरकारों से परामर्श करके पैट्रोल उद्योग के विवाद का अनुसंधान करने के हेतु एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण स्थापित करने का निर्णय किया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) न्यायाधिकरण की स्थापना कब तक होगी ?

†श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). अभी नहीं। विषय विचाराधीन है।

चंडीगढ़ परियोजना

† ७१५. { श्री वि० च० शुक्ल :
श्री राम कृष्ण :

क्या योजना मंत्री १९ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५७२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में चंडीगढ़ राजधानी परियोजना पर अतिरिक्त व्यय के बारे में योजना आयोग द्वारा भेजे गये सुझावों का उत्तर पंजाब सरकार से प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, इस प्रस्थापना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस विषय में यदि कोई निर्णय किया गया है तो वह क्या है ?

†योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : (क) से (ग). जी हां। उसका परीक्षण किया जा रहा है।

सीमा घटनायें

†*७१६. श्री दी० चं० शर्मा : क्या प्रधान मंत्री २७ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ५६९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत-पाक सीमा पर पंजाब में अमुर्का सिचाई नहर पर पाकिस्तानी सशस्त्र पुलिस द्वारा किये गये आक्रमण के बारे में पाकिस्तान सरकार से किये गये पत्र व्यवहार का क्या परिणाम निकला ?

†वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां) : जुलाई, १९५८ में हमने पाकिस्तानी प्राधिकारि ों को बताया कि उन्होंने जो यह आरोप लगाया था कि पहले भारत की ओर से ोली चलाई गई थी वह निराधार था। हमने आग्रह किया कि वे अपरा यों को दण्ड ें और जो भारतीय पुलिस कर्मचारी मारे गये उनके परिवारों को प्रतिकर दिया जाये। अभी पाकिस्तानी प्राधिकारियों से अन्तिम रूप से कोई उत्तर नही मिला है।

शीशे और शीशे के सामान का आयात

*७१७. श्री पद्म देव : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मं ी यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५८ में अब तक भारत में कितने मूल्य के शीशे तथा शीशे की वस्तुओं का आयात किया गया ; और

(ख) भारत को न केवल आत्मनिर्भर बनाने के लिये अपितु इन वस्तुओं को निर्यात करने के योग्य भी बनाने के लि े सरकार द्वारा क्या का वाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). एक विवरण स ा की मेज पर रखी जाती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

(क) १९५८ (जनवरी-अगस्त) में ४०·९२ लाख रु० का कांच और कांच का सामान आयात किया गया ।

(ख) कांच उद्योग की जो चीजें देश में नहीं बनतीं या जिनका उत्पादन अभी अपर्याप्त है, वे ये हैं :—प्लेट, ग्लास, प्रयोगशालाओं में काम आने वाला कांच का सामान, आप्टीकल ग्लास, बिल्डिंग-ब्लाक, ग्लास वूल तथा पैनिसिलीन वियाल । इन चीजों का उत्पादन शुरू करने के लिये उद्योग का उपकरणों के आयात तथा कच्चे माल की पूर्ति के रूप में सभी संभव सहायता दी जा रही है । आशा की जाती है कि प्रयोगशाला में काम आने वाली कांच की चीजों, आप्टीकल और औप्थैल्मिक ग्लास, ग्लास वूल और पैनिसिलीन वियालों के बारे में देश दो सालों में आत्म-निर्भर हो जायेगा जबकि इस समय अमल में लाई जा रही योजनाओं के अनुसार उत्पादन होने लगेगा ।

कांच और कांच के सामान का हमारा निर्यात इस समय २५ लाख रु० प्रतिवर्ष का है और इस निर्यात में वृद्धि की सम्भावना है ।

सीमेंट का निर्यात

†*७१८. **श्री दामानी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) २ लाख टन सीमेंट का जो निर्यात किया जाना था उसमें से भारत का राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड कितना निर्यात कर पाया ;

(ख) किन देशों को इसका निर्यात किया गया ; और

(ग) शेष मात्रा का निर्यात करने के लिये किन देशों से बातचीत चल रही है ;

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) राज्य व्यापार निगम ने अब तक कुल ५४,००० टन के लिये संविदायें की हैं जिसमें से लगभग ३६,००० टन का निर्यात किया जा चुका है ।

(ख) लंका, फारस की खाड़ी के बन्दरगाह, अदन, कम्बोदिया और पूर्वी पाकिस्तान ।

(ग) और निर्यात के लिये लंका, फारस की खाड़ी के बन्दरगाहों, दक्षिणी वियतनाम और पूर्वी पाकिस्तान से बातचीत चल रही है ।

जापान के साथ व्यापार

†*७१९. { **श्री रघुनाथ सिंह** :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत जापान को सर्वाधिक अनुग्रहीत राष्ट्र मानेगा; और

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों में व्यापार बढ़ने की क्या सम्भावनायें हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) फरवरी, १९५८ में जो भारत-जापान व्यापार करार किया गया उसमें जापान के साथ सर्वाधिक अनुग्रहीत राष्ट्र का बर्ताव करने की शर्त तय हुई थी और 'व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य समझौते' के अन्तर्गत हमने अपने सामान्य प्रभारों के बारे में जो रक्षण किये थे उन्हें हमने वापस ले लिया है ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इन करारों से व्यापार बढ़ाने और अधिक आर्थिक सहयोग प्राप्त करने का वातावरण बनता है ।

रेशम लपेटने के तरीके का आधुनिक ढंग का बनाया जाना

†*७२०. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पश्चिमी बंगाल सरकार को रेशम लपेटने कीं आधुनिक विधि प्रयोग में लाने के लिये कोई ऋण दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो राशि कितनी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ।

(ख) दस लाख रुपये ।

अम्बर चरखा कार्यक्रम

†*७२१. { **श्री दलजीत सिंह** :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १० मार्च, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १११४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पंजाब सरकार से राज्य में १९५८–५९ के अम्बर-चरखा कार्यक्रम के लि` कोई प्रस्थापना, मिली हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके लिये कितनी राशि मांगी गई और कितनी राशि स्वीकृत की गई ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख). खादी और ग्रामोद्योग आयोग अपना कार्यक्रम, जहां स्टेचुटरी स्टेट बोर्ड हैं, वहां उन्हीं के द्वारा पूरा करता है । क्योंकि पंजाब में यह बोर्ड है इसलिये वहां यह बोर्ड ही इस कार्यक्रम को पूरा करता है । आयोग ने १,५१,९०० रुपये अनुदान और २,२३,००० रुपये ऋण का आवंटन किया है और नवम्बर, १९५८ तक इसमें से ६,००० रुपये अनुदान और २,००० रुपये ऋण का भुगतान किया जा चुका है । इसी अवधि में पंजाब की प्रमाणपत्र प्राप्त संस्थाओं को इसके अतिरिक्त ९४,२५० पये अनुदान और २७,३३,००० रुपये ऋण का वितरण किया जा चुका है ।

जम्मू के ऊपर एक बिना पहचान का विमान

†*७२२. { **श्री राम कृष्ण** :
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २१ नवम्बर, १९५८ को दोपहर के बाद जम्मू क्षेत्र में ३०,००० से ४०,००० तक की ऊंचाई पर एक विमान उड़ता देखा गया ;

(ख) क्या यह सत्र है कि वह पाकिस्तान की ओर से आया था और ूंछ की ओर गया था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो क्या विमान की पहचान करने के लिये और उसकी उड़ान के उद्देश्य का पता लगाने के लिये कोई पूछताछ की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो यह विमान किस देश का था ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खाँ)** : (क) और (ख). जी हां।

(ग) और (घ). यह शक था कि वह पाकिस्तानी विमान है और संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक दल के पास युद्ध-विराम अतिक्रमण की शिकायत कर दी गई है। उनकी उपपत्तियों की प्रतीक्षा की जा रही है।

जमसार की जिपसम खानों में हड़ताल

†*७२३. { **श्री वाजपेयी :**
श्री प० ला० बारूपाल :
श्री अ० क० गोपालन : }

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में जमसार जिपसम खानों के श्रमिकों ने १ अक्तूबर, १९५८ से हड़ताल कर रखी है ?

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) हड़ताल समाप्त कर दी गई है।

(ख) प्रबन्धकों ने उनकी मांगें स्वीकार नहीं कीं।

(ग) भारत सरकार ने औद्योगिक सम्पर्क संगठन ने समझौता करा दिया था। भारत सरकार इस बारे में विचार कर रही है कि संघ की कौन सी मांगें न्यायनिर्णयन के लिये भेजी जायें।

मूर्ति स्थापना समिति

†**१०४०. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २५ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १६१७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली और नई दिल्ली में उपयुक्त स्थानों पर मूर्तियों की स्थापना करने के लिये नियुक्त की गई समिति ने आगे और क्या प्रगति की है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : और कोई प्रगति नहीं हुई है क्योंकि समिति को कोई ऐसे उपयुक्त सुझाव नहीं मिले हैं जिन के साथ निधि भी दी जा रही है इसलिये वह कोई ठोस सिफारिश नहीं कर सकी है।

नंगल उर्वरक तथा भारी पानी परियोजना

†**१०४१. श्री दी० चं० शर्मा** :: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १९ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५३५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नंगल उर्वरक तथा भारी पानी परियोजना की स्थापना के सम्बन्ध में आगे और क्या क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : भारी पानी संयन्त्र के संभरण और निर्माण का ठेका बाद में भुगतान करने की शर्त पर पश्चिम जर्मन की एक फर्म को देने का निश्चय किया गया है ।

इलैक्ट्रोलाइज़र संयन्त्र की दूसरी खेप की कुल उपकरण का लगभग २५ प्रतिशत है नंगल पहुंचाई जा चुकी है । इलैक्ट्रोलाइसिस, नाइट्रिक एसिड और अमोनिया संयन्त्रों और गोदामों की इमारतों का निर्माण निश्चित कार्यक्रम के अनुसार किया जा रहा है । कारखाने के चौगिर्द की दीवार के निर्माण में भी काफी प्रगति हुई है । नंगल बांध रेलवे स्टेशन से कारखाने के प्रवेश द्वार तक रेल की पटरी बिछाई जा चुकी है । कारखाने के प्रवेश द्वार से इलैक्ट्रोलाइसिस संयन्त्र को इमारत तक खुदाई आदि का काम लगभग पूरा हो चुका है और अन्य स्थानों पर सन्तोषजनक प्रगति हो रही है । स्थायी बस्ती में ४८८ क्वार्टर बन चुके हैं । शेष मकानों के निर्माण में प्रगति हो रही है ।

मोरनी पहाड़ी क्षेत्रों में रामसर-सेरला में चूने के पत्थर के निक्षेप इस कम्पनी के लिये रक्षित रखे गये हैं और उसके खनन के लिये लाइसेंस प्राप्त करने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

पटसन की मिलें

†१०४२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १९ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५२० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटसन की मिलों को पुनः चालू करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) मिलों को पुनः चालू करने से कितने लोगों को रोजगार मिला है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) बन्द मिलों को पुनः चालू करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली में भूमिगत जल की सतह

†१०४३. { **श्री दी० चं० शर्मा** :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री १७ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १३३८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में भूमिगत जल की सतह को कम करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : तदर्थ समिति की सिफारिश के अनुसार नीचे बताई गई कार्यवाही की गई है :—

१. भूमिगत जल की सतह जानने के लिये निरीक्षण करने वाले पाइपों का जाल बिछा दिया गया है ;

†मूल अंग्रेजी में

२. सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र में १६ नलकूप बनवा दिये गये हैं और वहां से पानी का निकाला जाना शुरू कर दिया गया है। जिन क्षेत्रों पर बहुत कम प्रभाव पड़ा है उनके लिये २८७ और नलकूप बनाने का उपबन्ध करने की एक योजना तैयार की जा चुकी है ;

३. तूफान से जमा हो जाने वाले पानी को निकालने की पद्धति का अध्ययन किया जा चुका है और जल निस्सारण पद्धति को सुधारने के लिये एक योजना तैयार की जा चुकी है ।

४. प्रयोग के तौर पर भूमिगत जल को जमा करने तथा इस बात की जांच पड़ताल करने के लिये कि इस पद्धति का इस क्षेत्र के भूमिगत जल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 'सेंट्रल विस्ता' में छिद्रपूर्ण नाली की लाइन बिछा दी गई है। 'सेंट्रल विस्ता' में इसी प्रकार की चार छिद्रपूर्ण नालियां बनाने की योजना तैयार की जा चुकी है ;

५. हिन्दुस्तान मकान निर्माण कारखाने के समीप की एक बस्ती के लिये छिद्रपूर्ण नाली के जरिये भूमिगत जल निकालने की एक योजना तैयार की गई है ;

६. बंगलों के मैदानों में स्थित लानों में अधिक पानी जमा होने से रोकने के बारे में जांच पड़ताल पूरी की जा चुकी है ; और

७. सिंचाई के लिये अशुद्ध जल के खर्च में मितव्ययिता लाने की दृष्टि से तोते की शक्ल के पानी छिड़कने के फव्वारों का प्रयोग जारी करने की योजना तैयार की जा चुकी है।

तेल उद्योग

†१०४४. **श्री दामानी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक्सपेलर के द्वारा तेल उत्पादन में लगे उद्योग की उत्पादन क्षमता का सरकार द्वारा सर्वेक्षण किया गया है और १९५८–५९ में ऐसे तेल की आवश्यकता कितनी थी ; और

(ख) १९५६–५७ से उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी नहीं।

(ख) १९५७–५८ में उत्पादन के वास्तविक आंकड़े अभी पता नहीं है किन्तु उसमें कोई अधिक वृद्धि की आशा नहीं है।

अभ्रक

†१०४५. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सब से अच्छी किस्म के अभ्रक के कुल कितने निक्षेप का अनुमान लगाया गया है ;

(ख) देश में सबसे अच्छी किस्म की अभ्रक की वार्षिक आवश्यकता क्या है ; और

(ग) १९५८ में अब तक देश वार उसका कितना निर्यात किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) इस खनिज के रक्षित निक्षेप का अनुमान लगाना इस कारण सम्भव नहीं हो सका कि यह अन्य खनिज जैसे पेगमेटाइटिस के साथ मिला हुआ होता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) लगभग १०,००० पाउण्ड।

(ग) एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६४]**

मोटर कारें

†१०४६. **श्री राम कृष्ण :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में मोटर कारें बनाने वाली कम्पनियों के नाम क्या हैं ; और

(ख) भारत में मोटर कारों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) (१) मेसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड, उत्तरपाड़ा, हुगली ज़िला (पश्चिम बंगाल) ।

(२) मेसर्स प्रीमियर आटोमोबाइल्स लिमिटेड, कांस्ट्रक्शन हाउस, बलार्ड इस्टेट, बम्बई ।

(३) मेसर्स स्टैंडर्ड मोटर प्राडक्टस आफ इण्डिया लिमिटेड, २९ माउंट रोड, मद्रास ।

(ख) विदेशी मुद्रा की कठिनाई के कारण जनवरी, १९५७ से मोटर कारों के पुर्जों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाना पड़ा था । जितनी विदेशी मुद्रा उपलब्ध थी उतने में बाजार में अधिक संख्या में मोटरों की व्यवस्था करने के लिये प्रत्येक निर्माता कार के केवल एक प्रकार के पुर्ज़ों के आयात के लिये एक वर्ष तक लाइसेंस लेने के लिये सहमत हो गया है । ये पुर्जे ऐसे हैं जिनके पुर्जों के एक पूरे सेट पर कम से कम विदेशी मुद्रा व्यय करनी पड़ेगी ।

ट्रैक्टर

†१०४७. **श्री राम कृष्ण :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय कृषि के ट्रैक्टर बनाने वाली कम्पनियों के नाम क्या हैं; और

(ख) भारत में इन ट्रैक्टरों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री):** मेसर्स स्टैण्डर्ड मोटर प्राडक्ट्स आफ इण्डिया लिमिटेड, मद्रास केवल ऐसी फर्म है जिसे उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम, १९५१ के अधीन कृषि के ट्रैक्टर बनाने के लिये लाइसेंस दिया गया है ।

(ख) उक्त फर्म को यह सुविधा दे दी गई है कि वह अमरीकी निर्यात-आयात बैंक ऋण योजना के अन्तर्गत अपनी आवश्यकता के संयंत्र और मशीनें आयात कर सकती है । उसे यथासम्भव चालू विदेशी मुद्रा स्थिति के बारे में और पर्याप्त मात्रा में पुर्ज़े तथा कच्चा माल प्राप्त करने में सहायता दी जा रही है । इसके साथ ही जितने आकार के ट्रैक्टर बनाने का लाइसेंस इस फर्म को मिला हुआ है उससे छोटे आकार के ट्रैक्टर बनाने की योजनाओं के लिये सिद्धान्त रूप में हाल ही में स्वीकृति दे दी गई है और उससे सम्बन्धित विस्तृत ब्यौरे की जांच की जा रही है ।

फाउन्टेनपेन

†१०४८. **श्री राम कृष्ण :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में फाउन्टेनपेन बनाने वाली कम्पनियों की संख्या कितनी है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) भारत में फाउन्टेनपेन के निर्माण में वृद्धि करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) संगठित क्षेत्र में फाउन्टेनपेन बनाने वाली लगभग एक दर्जन कम्पनियां हैं। छोटे पैमाने के क्षेत्र के बारे में सरकार को कोई संक्षिप्त जानकारी नहीं है।

(ख) (१) विदेशों से फाउन्टेनपेनों के आयात पर रोक लगा दी गई है।

(२) उस कच्चे माल का आयात करने की अनुमति है जो देश में नहीं होता।

१९५७ में ५१,००० ग्रुस की तुलना में १९५८ में (अनुमानतः) ७०,००० ग्रुस उत्पादन में वृद्धि हुई है।

रेजर ब्लेड

†१०४९. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में ब्लेड तैयार करने वाली कम्पनियों के नाम क्या हैं; और

(ख) ब्लेड उत्पादन में वृद्धि करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) (१) मेसर्स हिन्द रेज़र ब्लेड्स कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई।

(२) मेसर्स हरबंस लाल मल्होत्रा एण्ड संस (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता।

(३) मेसर्स नेशनल रेज़र्स एण्ड ब्लेड्स (प्राइवेट) लिमिटेड।

(ख) निम्न कार्यवाही की गई है :

(१) अप्रैल, १९५८ से सितम्बर, १९५८ के बीच १९५७ के उत्पादन के स्तर की तुलना में १९५८ में ३५ प्रतिशत उत्पादन बढ़ाने के लिये निर्माताओं को कच्चा माल उसी हिसाब से आवंटित किया गया है। उन्हें छः मास का आपातकालीन स्टाक भी स्वीकृत किया गया है।

(२) चालू वर्ष (अक्तूबर, १९५८ से मार्च १९५९) के दौरान में विदेशी मुद्रा के उपलब्ध होने पर उत्पादन में वृद्धि बनाये रखने के लिये कच्चे माल के आवंटन पर विचार किया जायेगा।

(३) जुलाई, १९५७ से ब्लेडों का आयात पूर्ण रूप से बन्द कर दिया गया है।

आसाम की दस्तकारी का एम्पोरियम

†१०५०. **श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २२ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७५५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नई दिल्ली में आसाम की दस्तकारी का एम्पोरियम खोलने के लिये स्थान प्राप्त करने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : और आगे विचार करने पर यह निश्चय किया गया है कि आसाम सरकार का निवेदन इस कारण स्वीकार नहीं किया जा सकता कि सरकार ने छोटे पैमाने के उत्पादों के लिये जो समायोजित बिक्री कार्यक्रम बनाया है उसके अनुसार सिद्धान्त रूप में प्रत्येक बड़े नगर में एक ही इम्पोरियम होना चाहिये, दस्तकारी के लिये दूसरा इम्पोरियम नहीं खोला जा सकता। सेंट्रल काटेज इण्डस्ट्रीज़ इम्पोरियम, नई दिल्ली, जिसे संघ सरकार से सहायता मिलती है, दस्तकारी की खास-खास चीजें भी बेचता है। भिन्न-भिन्न राज्यों की दस्तकारी की चीज़ों की बिक्री बढ़ाने के लिये अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड द्वारा एक केन्द्रीय हथकरघा विपणन समिति बनाई गई है। सभी महत्वपूर्ण इम्पोरियमों के मैनेजर जो इस समिति में होते हैं, इन विभिन्न इम्पोरियमों में विभिन्न राज्यों से उनकी अपनी-अपनी दस्तकारियों के और अधिक रखे जाने के बारे में प्राप्त सुझावों पर विचार करते हैं।

हथकरघा उद्योग द्वारा इस्तेमाल किया गया सूत

†१०५१. श्री प्र० के० देव : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के हथकरघा उद्योग द्वारा १९५७ और १९५८ में कुल कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के सूत का इस्तेमाल किया गया; और

(ख) उड़ीसा में उपर्युक्त काल में हथकरघा उद्योग द्वारा कितने अनुमानित मूल्य का सामान तैयार किया गया ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) १९५७-५८ में हथकरघा बुनकरों ने सहकारी क्षेत्र में १,१०,००,००० मूल्य की ११,००० सूत की गांठें इस्तेमाल की थीं। पत्री वर्ष के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) १९५७ में सहकारी क्षेत्र में २१७.२ लाख गज जिसका मूल्य १६२ लाख रुपये था।

१९५८ में सहकारी क्षेत्र में (सितम्बर १९५८ तक) २८५ लाख गज़ जिसका मूल्य १७७ लाख रुपये था।

सहकारी क्षेत्र के बाहर की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

ब्लेड

†१०५२. श्री पांगरकर : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ में भारत में कितनी संख्या में ब्लेड तैयार किये गये;

(ख) क्या ब्लेडों का निर्यात विदेशों को होता है; और

(ग) यदि हां, तो वे देश कौन-कौन से हैं जिनको इनका निर्यात किया जाता है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) २,८९० लाख।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जी हां, थोड़ी मात्रा में ।

(ग) पाकिस्तान, सिंगापुर, मलाया, अफगानिस्तान, नेपाल, कीनिया और इथोपिया ।

अखिल भारतीय नारियल जटा बोर्ड

†१०५३. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में अब तक अखिल भारतीय नारियल जटा बोर्ड की कितनी बैठकें हुई थीं; और

(ख) इन बैठकों में क्या निर्णय किये गये ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) १९५८-५९ में अभी तक नारियल जटा बोर्ड की दो बैठकें हुई हैं ।

(ख) इन दो बैठकों में किये गये निर्णयों वाला एक विवरण संबद्ध है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६५**]

मोटर उद्योग में विदेशी विनियोग

†१०५४. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय मोटर उद्योग में कितनी विदेशी पूंजी का विनियोग किया गया है;

(ख) इस उद्योग में इस समय कितनी भारतीय पूंजी विनियोजित है; और

(ग) उपर्युक्त उद्योग में भारतीय पूंजी विनियोग में वृद्धि करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) और (ख). १ अक्तूबर, १९५८ को मोटर बनाने वाली विभिन्न फर्मों में अंश पूंजी (प्रदत्त) के रूप में विनियोग संबंधी आंकड़े निम्न प्रकार से थे :—

विदेशी विनियोग	१९३ लाख रुपये
भारतीय विनियोग	१८७० लाख रुपये

टिप्पण : (कुछ फर्मों के विनियोग के आंकड़ों में मोटर निर्माण के अतिरिक्त उत्पादन के आंकड़े भी शामिल हैं)

(ग) कोई विशेष कार्यवाही आवश्यक नहीं जान पड़ती है।

भारतीय विस्फोटक पदार्थ कारखाना, गोमिया

१०५५. **श्री खुशवक्तराय** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(७) गोमिया में भारतीय विस्फोटक पदार्थ कारखाना किस विदेशी समवाय (कम्पनी) के सहयोग से स्थापित किया गया है;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उक्त कारखाने में सरकार और विदेशी समवाय ने कितना-कितना धन लगाया है; और

(ग) उस समवाय का सहयोग किन शर्तों पर प्राप्त किया गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) से (ग). भारतीय विस्फोटक पदार्थ कारखाना मैसर्स इम्पीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज (यू० के०) लि० के सहयोग से स्थापित किया गया है। २ करोड़ रुपये की जारी और प्राप्त पूंजी में से भारत सरकार और मैसर्स इंपीरियल कैमिकल इंडस्ट्रीज लि० ने ४० लाख रु० और १६० लाख रु० लगाया है। मुख्य शर्तें तथा नियम निम्न हैं :—

कारखाने की योजना तथा नक्शा बनाने, संयंत्र तथा साज-सामान की डिजाइने जुटाने, संयंत्र लगाने और उत्पादन चालू करने का दायित्व मैसर्स इंपीरियल कैमिकल इंडस्ट्रीज लि० पर होगा। इस कारखाने को चलाने के लिये आवश्यक टैक्नीकल ज्ञान यह फर्म देगी तथा अपनी गवेषणा से जो और जानकारी मिलेगी, उसे भी यह देती रहेगी। शुरू में प्रबन्ध विभाग के सभी कर्मचारी तथा कारखाना चलाने वाले मुख्य लोग इसी फर्म के होंगे। यह लोग भारतीयों को भी प्रशिक्षित करेंगे। जिस से वे बाद में उत्तरदायित्व के पद संभाल सकें।

पांच डायरेक्टरों को विदेशी फर्म और एक डायरेक्टर भारत सरकार मनोनीत करेगी और जब तक कम्पनी में भारत सरकार के हिस्से रहेंगे, तब तक वह एक व्यक्ति को डायरेक्टर मनोनीत करती रहेगी। मैसर्स इम्पीरियल कैमिकल इंडस्ट्रीज (इंडिया) लि० इस कम्पनी का माल बेचने की ऐजेन्ट होगी।

कारखाना बनाने की सेवाओं और कारखाने में उत्पादन शुरू करने के लिये आवश्यक जानकारी एवं सहायता के लिये मैसर्स इम्पीरियल कैमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड को नयी कम्पनी के कुल वार्षिक कारोबार पर $२^{१}/_{२}$ प्रतिशत की रायल्टी मिलेगी। जिस दिन से कारखाने में उत्पादन शुरू होगा, तब से इसे रायल्टी मिलनी शुरू होगी और तब तक मिलती रहेगी, जब तक उसे इस मद में यह कारखाना बनाने तथा लगाने की कुल पूंजीगत लागत का १० प्रतिशत तक धन नहीं मिल जाता। कारखाने में उत्पादन शुरू होने के बाद जो जानकारी दी जायेगी, उस के लिये मैसर्स इंपीरियल कैमिकल इंडस्ट्रीज लि० को कुल वार्षिक कारोबार पर $२^{१}/_{२}$ प्रतिशत की दर से वार्षिक रायल्टी दी जायेगी। दोनों अवस्थाओं में रायल्टी मैसर्स इंपीरियल कैमिकल इंडस्ट्रीज लि० को स्टर्लिंग मुद्रा में लंदन में दी जायेगी।

ताड़ी से शराब बनाना

†१०५६. **श्री वें० प० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताड़ी से शराब बनाने में उस पर उचित रीति से नियंत्रण लगा कर उस में १० प्रतिशत से कम शराब की मात्रा निश्चित कर देने के बारे में कोई गवेषणा अथवा जांच पड़ताल की गई है;

(ख) क्या यह सच है कि "नीरा" में ताड़ी की तुलना में शराब की मात्रा कुछ अधिक होती है और उस में खाद्य पोषक तत्व का सर्वथा अभाव रहता है; और

(ग) ताड़ की तुलना में नीरा में कितनी कैलोरी होती हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) से (ग): एक जानकारी एकत्र की जा रही है जो सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

साबुन

†१०५७. **श्री वें० प० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साबुन बनाने के काम में आने वाले बनस्पति तेल की तुलना में सारडीन तेल का मूल्य कैसा है; और

(ख) क्या यह सच है कि मछली के तेल जैसे सारडीन मछली के तेल से बने साबुन के निर्यात की अधिक संभावना है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) जहां तक सरकार को पता है मछली के तेल जैसे सारडीन मछली का तेल देश में वाणिज्यिक आधार पर तैयार नहीं किया जाता, इस कारण उस के मूल्य के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ख) सरकार को मछली के तेल से व्यापार की दृष्टि से बनाये गये साबुन के बारे में भी जानकारी नहीं है, अतः निर्यात की संभावना का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

उड़ीसा में अम्बर चर्खा कार्यक्रम

†१०५८. **श्री कुम्भार** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य को १९५८–५९ में अब तक अम्बर चर्खा विकास कार्यक्रम के लिये कितनी राशि दी गई है;

(ख) राज्य में इस समय कितने अम्बर चर्खे काम कर रहे हैं; और

(ग) इस समय सूत का औसत उत्पादन कितना है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) खादी तथा ग्रामोद्योग ने उड़ीसा राज्य के लिये १९५८–५९ में (३१ अक्तूबर, १९५८ तक) १.९ लाख रुपये की राशि अनुदान के रूप में और ४.४२ लाख रुपये की राशि ऋण के रूप में जारी की है।

(ख) ३० जून, १९५८ को २,५०० चर्खे काम कर रहे थे।

(ग) प्रति चर्खा प्रति दिन का औसत उत्पादन लगभग ४ लच्छी है।

पंजाब में औद्योगिक विस्तार केन्द्र

†१०६०. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य के उन औद्योगिक विस्तार केन्द्रों के नाम क्या हैं जिन में उत्पादन आरम्भ हो गया है; और

(ख) इन केन्द्रों में प्रति मास कितना उत्पादन होता है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख): एक विवरण संलग्न है :—

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

(क) पंजाब राज्य में निम्न विस्तार केन्द्र कार्य कर रहे हैं :—

(१) फरीदाबाद का लोहारी और बढ़ईगीरी का विस्तार केन्द्र;

(२) अम्बाला का वैज्ञानिक कांच के बर्तन बनाने का विस्तार केन्द्र;

(३) बटाला में ढ़लाई का विस्तार केन्द्र;

(४) रेवाड़ी में धातु के बर्तन बनाने और चमड़े का विस्तार केन्द्र ।

(ख) इन केन्द्रों का प्रयोजन छोटे पैमाने के उद्योगों को सहायता देना है। ये उत्पादन केन्द्र नहीं हैं, किन्तु इन में कुछ चीजों का कभी कभी उत्पादन होता है। फरीदाबाद केन्द्र में सितम्बर, १९५६ से लेकर जब से यह आरम्भ हुआ है ३५,५८१ रुपये का उत्पादन हुआ है। अन्य केन्द्रों में उत्पादन नहीं हुआ है क्योंकि मशीनरी अभी लागई जा रही है।

सेंट्रल क्राफ्ट्स इंस्टीट्यूट, हैदराबाद

†१०६१. **श्री ई० मधुसूदन राव** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र द्वारा चलाई गई योजना के अधीन सेन्ट्रल क्राफ्ट्स इन्स्टीट्यूट, हैदराबाद में कौन से भिन्न भिन्न पाठ्यक्रम खोले गये हैं ;

(ख) भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को इस कार्य के लिये कितनी राशि दी गई है ; और

(ग) प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों की संख्या कितनी है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) सेण्ट्रल क्राफ्ट इन्स्टीट्यूट, हैदराबाद में निम्न पा्यक्रम खोले ग हैं :—

(१) बिजली का काम

(२) फिटिंग का काम

(३) ढलाई

(४) मोटर की मशीनरी का काम

(५) धातु की चादर बनाने का काम

(६) खराद का काम

(७) वैल्डिंग का काम (गैस और बिजली) ।

(ख) इस कार्य के लिये राज्य सरकार को कुछ भी अग्रिम राशि नहीं दी गई है। आरम्भ में व्यय राज्य सरकार द्वारा किया जाता है और बाद में केन्द्रीय सरकार के अंश के रूप में उस के ६० प्रतिशत का भुगतान कर दिया जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस संस्था के लिये ६·५७ लाख रुपये मंजूर किये गए हैं ।

(ग) प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों की स्वीकृत संख्या .	२२४
३१-१०-५८ को प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों की कुल संख्या .	१६४

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर प्रदेश में बिजली से चलाये जाने वाले करघे

†१०६२. **श्री सरजू पांडे** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में आज तक बिजली से चलाये जाने वाले करघों की संख्या कितनी है ;

(ख) ये कहां लगे हुए हैं और प्रत्येक स्थान पर अलग-अलग उन की संख्या क्या है ;

(ग) १९५७ के अन्त में इन करघों की संख्या क्या थी;

(घ) उक्त राज्य में १९५८-५९ में कितनी संख्या में ऐसे करघे लगाने के लिये मंजूरी दी गई थी और वे कहां-कहां पर लगे हैं ; और

(ङ) उन में से कितनों के लिये व्यक्तियों द्वारा चलाने की और कितनों के लिये सहकारी समितियों द्वारा चलाने की मंजूरी दी गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) कपास—२७२; बिना कपास—७२७ ।

(ख)	कपास	बिना-कपास
मिर्जापुर	६१	..
कानपुर	१०३	४८६
आगरा	७४	..
कन्नौज	३०	
हस्तिनापुर	४	..
मोदीनगर	..	२५०
वाराणसी	..	२१
	२७२	७५७

(ग) १०४३ ।

(घ) और (ङ). कानपुर में व्यक्तियों द्वारा चलाये जाने के लिये बिजली से चलने वाले सात 'टेप' करघों के लि मंजूरी दी गई है । सहकारी क्षेत्र में बिजली से चलाये जाने वाले १००० करघे लगाने की राज्य सरकार की योजना केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है । ये करघे कहां कहां स्थापित होंगे ; यह पता नहीं है ।

अणु शक्ति का विकास

†१०६३. { **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री राम कृष्ण :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि इस देश में रोगों के निदान और उपचार के लिये अणुशक्ति के इस्तेमाल के बारे में क्या प्रगति की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : रेडि ो धर्मी आइसोटोप, जो अण् शक्ति का उत्पाद है, उनका इस्तैमाल देश में इन कामों में होता है :

(क) शरीर-विज्ञान, जीव-रसायनिक और जीवन सम्बन्धी गवेषणा में आधारभूत जांच पड़ताल;

(ख) कुछ बदलने वाली बीमारियों और आहारपोषी तत्वों की कमी तथा कैंसर एवं उससे सम्बन्धित अन्य दशाओं का निदान और उनका उपचार। उदाहरण के लिये रेडियो धर्मी आयोडिन (आई १३१) का इस्तेमाल थिराइड से सम्बन्धित बीमारियों और विशेषकर 'थिराइटोकसीकोसिस' के उपचार में उनके कारणों का पता लगाने के लिये किया गया है। आइरन (एफ ई० ५९) का इस्तेमाल सामान्य स्थिति और बीमारी की दशा में रक्त संचालन के अध्ययन में किया गया है। रेडियो फासफोरस (एफ ३२), रेडियो गोल्ड (ए् १९८) और कोबाल्ट--६० (सी० ओ० ६०) का उपयोग वि न्न प्रकार के ट्यूमरों का निदान और उपचार में निरन्तर बढ़ता जा रहा है।

चीन में नियोजित भारतीय

†**१०६४. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** १४ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ११६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि शंघाई म्युनिसिपल पुलिस तथा चीन के अन्य प्राधिकार के अधीन जो भारतीय राष्ट्रजन सेवा में थे उन पर बकाया राशि की वसूली के बारे में क्या प्रगति की गई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : १४ अगस्त, १९५८ को मैंने जो अपना पिछला उत्तर दिया था उसके बाद से स बारे में कोई ी प्रगति नहीं हुई है।

पूर्वी पाकिस्तान में जेल भेजे गये भारतीय

†**१०६५. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** १९ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५५२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय सेना के हवलदार श्री धुर्जटी प्रसाद दत्ता को, जो अपने सम्बन्धियों को देखने, पूर्वी पाकिस्तान गये थे और जिन पर पाकिस्तान सरकार द्वारा राजद्रोह का आरोप लगाया गया था किन्तु मुकदमे की सुनवाई होने पर जो अपराधी नहीं पाये गये थे और जिन्हें जेसर जेल में नजरबन्द रखा गया था, छुड़वाने के बारे में क्या कार्यवा ी की गई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : ३० अगस्त, १९५७ से २ सितम्बर, १९५८ तक कराची में हुये भारत-पाकिस्तान सम्मेलन में बन्दियों को ोड़ने के बारे में किये गये करार के पश्चात् श्री धुर्जटी प्रसाद दत्ता को पूर्वी पाकिस्तान की सरकार ने ९ सितम्बर, १९५८ को छोड़ दिया था।

लोकमान्य तिलक का स्मारक

†**१०६६. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** ४ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ९०० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करें कि बर्मा की मांडले की जेल में लोकमान्य तिलक के स्मारक के रूप में एक कक्षा व भाषण हाल बनवाने के सम्बन्ध में क्या गति की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : स्मारक बनने का काम, छत पर लोहे की नालीदार चादरें बिछाने, हाल का फर्श बनाने, उसकी पुताई करने और उस पर चित्रकारी करने के अलावा पूरा हो चुका है ।

आशा है कि उपर्युक्त काम अधिक से अधिक दिसम्बर के अन्त तक समाप्त हो जायेगा ।

भारत-पाक सीमा का सीमांकन

†१०६७. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री राम कृष्ण : }

क्या **प्रधान मंत्री** ४ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ८९८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-पाक सीमा के सीमांकन में और कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या भारत-पाक सीमा का सीमांकन पूरा करने के लिये कोई लक्ष्य-तिथि निश्चित् की गयी है, और यदि हां, तो कौनसी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) सीमांकन का फील्ड-सीजन नवम्बर में आरम्भ होता है और प्रगति सम्बन्धी प्रतिवेदन कुछ समय बाद आ सकते हैं ।

(ख) कोई लक्ष्य तिथि नहीं निश्चित की गयी है ।

सीमा घटना

†**१०६८. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १० सितम्बर, १९५८ को पाकिस्तानी सेनाओं ने पथरिया रक्षित वन के दिमछेरा स्थान पर गोली वर्षा आरम्भ कर भारतीय राज्य-क्षेत्र पर गोलाबारी जारी रखी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने युद्ध-विराम समझौता भंग करने पर पाकिस्तान सरकार से विरोध प्रगट किया है ; और

(ग) यदि हां, तो पाकिस्तान सरकार से क्या उत्तर मिला है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी हां । पाकिस्तानी सेना ने १० सितम्बर, १९५८ को १४.४५ बजे से पथरिया रक्षित वन के ँनाछेरा स्थान पर गोली वर्षा आरम्भ की और १५.१८ तक वह गोलाबारी करती रही ।

(ख) जी हां ।

(ग) पाकिस्तान सरकार ने यह उत्तर दिया है कि जांच करने पर यह आ ोप निराधार सिद्ध हुआ है ।

†मूल अंग्रेजी में

नाभिकीय अस्त्रों का परीक्षण स्थगित करने का प्रस्ताव

†१०६९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन, अमरीका और अन्य राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र संघ में इस आशय का एक प्रस्ताव उपस्थित किया है कि नाभिकीय अस्त्रों के परीक्षण स्थायी रूप से बन्द करने के प्रश्न पर जेनेवा में जो वार्ता चल रही है उसके चलने तक इस प्रकार के परीक्षण स्थगित कर दिये जाएं; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इस संकल्प का अध्ययन किया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) ब्रिटेन और अमरीका ने १५ अन्य देशों के सहयोग से जो संकल्प उपस्थित किया था उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६६]** हमने स्वाभाविक रूप से, इस संकल्प का और इस विषय पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में लाये गये अन्य संकल्पों का अध्ययन किया है।

लाहौर में भारतीय उच्च आयुक्त के कार्यालय का लूटा जाना

†१०७०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** ११ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १० जुलाई, १९५८ को लाहौर में भारतीय उप-उच्चायुक्त के कार्यालय के लूटे जाने के सम्बन्ध में और वागा सीमा पर उच्चायुक्त के कार्यालय के कर्मचारियों को तंग करने और उनके साथ किये गये दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार को जो विरोध-पत्र दिये गये थे क्या उसका कुछ उत्तर मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) और (ख). जी हां। जहां तक लाहौर में भारतीय उप-उच्चायुक्त के कार्यालय में से हुई चोरी का सम्बन्ध है, पाकिस्तानी सरकार ने कहा है कि जो पुलिस अधिकारी जांच के लिये गया था उसे चोरी गई सम्पत्ति की सूची नहीं दी गयीं थी और इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया गया। पाकिस्तान सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि लाहौर में भारतीय उप-उच्चायुक्त का कार्यालय जिन परिस्थितियों में बन्द किया गया था उनमें चोरी गये कुल सामान की पूरी सूची बनाना सम्भव नहीं था लेकिन उस पुलिस अधिकारी को जो सामान्य व्यौरा दिया गया था वह उस माल का पता लगाने के लिये काफी था, बशर्ते कि इसके लिये पूरी कोशिश की जाती। जहां तक लाहौर की सीमावर्ती चौकी पर लाहौर में उप-उच्चायुक्त के कार्यालय के कर्मचारियों के रोके जाने की घटना का सम्बन्ध है, पाकिस्तान सरकार का कहना है कि कर्मचारियों को अपना विवरण रजिस्टरों में दर्ज करने के लिये रोका गया था। यह बात तथ्यों के अनुरूप नहीं है और पाकिस्तान सरकार को एक और सन्देश भेजा गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंचायती रेडियो लगाना

†१०७१. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री जाधव :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्यों के गां ों में पंचायती रेडियो सेट लगाने के काम में ३० नवम्बर, १९५८ तक कितनी प्रगति हुई है ?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६७] ।

राज्यों की योजनायें

†१०७२. श्री राम कृष्ण : क्या योजना मंत्री २५ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २८३३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना के अन्तिम दो वर्षों के उनके कार्यक्रमों का पुनर्मूल्यांकन करने और आवश्यक अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था करने के उपायों के सम्बन्ध में राज्यों के साथ होने वाली चर्चा पूरी हो गयी है; और

(ख) यदि हां, तो इस चर्चा का क्या परिणाम निकला है ?

†योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) इस चर्चा के परिणामों के सम्बन्ध में एक दस्तावेज चालू सत्र में संसद् के समक्ष रखने का विचार है।

वैदेशिक व्यापार बोर्ड

†१०७३. { श्री बर्मन :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैदेशिक व्यापार बोर्ड और निर्यात संवर्द्धन निदेशालय के सदस्य कौन-कौन हैं;

(ख) विभिन्न देशों को कोयले और अयस्कों के निर्यात में कितनी-कितनी वृद्धि हुई हैं; और

(ग) यह वृद्धि कितनी कीमत की होगी ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): (क) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६८]

(ख) और (ग) विवरण तैयार किया जा रहा है और सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

'भारत-१९५८' प्रदर्शनी

†१०७४. श्री संगण्णा : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'भारत-१९५८' प्रदर्शनी में भाग लेने के लिये विभिन्न राज्यों को आमंत्रित किया गया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) राष्ट्रीय आर्थिक प्रगति के विभिन्न पहलुओं का दिग्दर्शन कराने के लिये राज्यों को क्या सुविधायें प्रदान की गयी हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी हां।

(ख) विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित केन्द्रीय अभिकरणों, जैसे राज्यों की बहुप्रयोजनीय योजनाओं, हथकरघा और दस्तकारी की वस्तुओं, छोटे पैमाने के उद्योगों, सांस्कृतिक और पर्यटकों सम्बन्धी सूचना आदि, के माध्यम से किये गये प्रदर्शनों के अलावा उन्हें उपयुक्त जगह दे दी गई थी।

काफी का निर्यात

१०७५. श्री पद्म देव : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५७-५८ में भारत से कितने मूल्य की काफी बाहर भेजी गयी;

(ख) इसके कौन-कौन से देश स्थायी ग्राहक हैं; और

(ग) और अधिक विदेशी मुद्रा कमाने के उद्देश्य से काफी की उपज बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) ६,७२,३७,७७३ रु० की।

(ख) भारतीय काफी के बड़े-बड़े विदेशी खरीदार ये हैं :—प० जर्मनी, इटली, हालैण्ड, बेल्जियम, स्वीडन, स्विट्जरलैण्ड तथा ब्रिटेन और पिछले २ वर्षों से सोवियत रूस भी। काफी का निर्यात बहरीन, इराक, कुवेत और मिस्र को भी किया जाता है।

(ग) सरकार ने काफी उद्योग के विकास के लिये एक योजना की मंजूरी दी है जिसके अन्तर्गत पहले से काफी की खेती वाली १४०,००० एकड़ भूमि में गहन पैदावार करने और २३,७०० एकड़ नयी भूमि में काफी पैदा करने की व्यवस्था है। इस योजना का लक्ष्य काफी का उत्पादन बढ़ा कर ६०,००० टन प्रति वर्ष करने का है, जब कि इस समय इसका उत्पादन ४०,००० लेकर ४३,००० टन तक है। इस पर योजना की अवधि में कुल २.९५ करोड़ रु० खर्च होने की आशा है।

पंजाब में साइकिल निर्माता

†**१०७६. पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को साइकिलों का निर्माण करने वाले छोटे कारखानों को इस्पात न देने और कच्चे माल के आयात के लिये लाइसेंस न दिये जाने के सम्बन्ध में पंजाब साइकिल एसेम्बलर्स यूनियन से कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) पंजाब साइकिल एसेम्बलर्स यूनियन से अगस्त, १९५८ में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि साइकिल बनाने वाले छोटे उद्योगों के लिये इस्पात का कोटा बढ़ा दिया जाय।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १९५८-५९ की पहली तिमाही (अप्रैल-जून, १९५८) से छोटे पैमाने वाले उद्योग-क्षेत्र को एक मुश्त दिये जाने वाले इस्पात में प्रति तिमाही के हिसाब से ४,५०० टन की वृद्धि कर दी गयी है। इस प्रकार जो कोटा बढ़ाया गया है वह पंजाब राज्य समेत सब राज्यों में बांट दिया जाता है। इस्पात के कोटे में की गयी इस वृद्धि से आशा है कि स्थिति में काफी सुधार हो जायेगा।

कार्यालयों का नागपुर भेजा जाना

†१०७७. { **श्री त० ब० विट्ठल राव :**
श्री तंगामणि :
श्री स० म० बनर्जी : }

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री ११ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तब से कितने कार्यालय नागपुर भेजे जा चुके हैं; और

(ख) नागपुर में १९५८-५९ में कर्मचारियों के लिये कुल कितने क्वार्टरों का निर्माण हो जाने की सम्भावना है ?

†निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जैसा ११-८-१९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १ के उत्तर में बताया जा चुका है, निम्नलिखित कार्यालयों को नागपुर भेजने का कार्य पूरा हो गया है :—

(१) खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का डाइरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एण्ड इन्स्पेक्शन।

(२) निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के चीफ़ इन्स्पेक्टर आफ़ एक्स्प्लोसिव्स का कार्यालय।

(३) वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय के पुरातत्व विभाग के खुदाई पूर्वैतिहासिक, एटलस और मुस्लिम एपिग्राफी सेक्शन।

भारतीय खानि ब्यूरो के कार्यालय को नागपुर भेजने का कार्य भी चालू है और इसके पूरे होने में अभी कुछ समय लगेगा क्योंकि इसे प्रशासनिक आवश्यकताओं के ध्यान में रखते हुए प्रावस्थाभाजित कार्यक्रम के अनुसार नागपुर भेजा जा रहा है।

(ख) नागपुर में २८० क्वार्टरों का निर्माण आरम्भ हो चुका है। आगामी वर्ष में नागपुर में और भी १२५ क्वार्टरों का निर्माण करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता

†१०७८. श्री राम कृष्ण : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ते के नेशनल इन्स्ट्रूमेन्ट्स (प्राइवेट) लिमिटेड का आधुनिकीकरण करने की योजना को अन्तिम रूप प्रदान कर लिया गया है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी हां।

(ख) इस योजना की मुख्य विशेषतायें ये हैं :—

(१) कलकत्ते की नेशनल इन्स्ट्रूमेन्ट्स फैक्टरी का प्रबन्ध नेशनल इन्स्ट्रूमेन्ट्स (प्राइवेट) लिमिटेड को कर दिया जाय। यह 'सरकारी क्षेत्र' की एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी है जिसका एक निदेशक मंडल है जिसमें सरकारी और गैर-सरकारी दोनों प्रकार के अधिकारी हैं।

(२) जादवपुर में एक नये फैक्टरी भवन का निर्माण किया जाय जिसमें काम की अधिक जगह हो।

(३) पुरानी मशीनों के बदले आधुनिक मशीन-औजार लगाये जायें।

(४) उत्पादन की रीतियों और प्रणालियों का पुनर्गठन किया जाय।

(५) गवेषणा और नयी वस्तुओं का उत्पादन किया जाय।

(६) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा भेजे गये विभिन्न श्रेणियों के प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण देने की सुविधाओं का विस्तार किया जाय।

वस्त्र उद्योग की मशीनों का निर्माण

†**१०७९. श्री राम कृष्ण** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में वस्त्र-उद्योग की मशीनों का निर्माण करने वाले कारखाने की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) क्या किन्हीं विदेशी फर्मों ने इस उपक्रम में सहयोग करने की इच्छा प्रगट की है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). सरकारी क्षेत्र में वस्त्र उद्योग की मशीनों का निर्माण करने वाले कारखाने की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है। विदेशी सहयोग से वस्त्र उद्योग की मशीनों की विभिन्न मदों के निर्माण के गैर-सरकारी उद्योगपतियों के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं।

पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगिक विकास

†१०८०. { **श्री राम कृष्ण** :
श्री दलजीत सिंह :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री २५ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २७५५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५७-५८ और १९५८-५९ में पंजाब राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के लिये दी गयी कुल राशि में से व्यय की जा चुकी ताजी जानकारी आ गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी राशि व्यय हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी हां।

(ख) ६,७८,७३७।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत और बर्मा के बीच व्यापार

†१०८१. { श्री राम कृष्ण :
श्री श्रीनारायण दास :
सरदार इकबाल सिंह : }

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री १२ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १२१५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बर्मा और भारत के बीच व्यापार के संवर्द्धन के लिये भारत और बर्मी आर्थिक शिष्ट-मंडल के बीच जो व्यवस्था तय हुई थी क्या दोनों सरकारों ने उस की पुष्टि कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस व्यवस्था का व्यौरा क्या है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :(क) और (ख). जी हां। संधि-प्रारूप की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६६]

अमरीका को चाय का निर्यात

†१०८२. श्री राम कृष्ण : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ४ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५०२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अमरीका को भारतीय चाय के निर्यात सम्बन्धी वर्तमान स्थिति क्या है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : जनवरी-सितम्बर, १९५८ में अमरीका को ४.६६ करोड़ रुपयों की लागत की १७८.९ लाख पौंड भारतीय चाय का निर्यात किया गया। पिछले वर्ष की इसी अवधि में ४.७२ करोड़ रुपयों की १६८.१ लाख पौंड भारतीय चाय का निर्यात हुआ था।

रूस के साथ व्यापारान्तर[1]

†१०८३. { श्री राम कृष्ण :
श्री पांगरकर : }

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष की पहली छमाही का भारत के रूस के साथ व्यापार का अन्तर भारत के प्रतिकूल पड़ता है ;

(ख) यदि हां, १ जनवरी, १९५८ के बाद से प्रत्येक महीने में कितने-कितने मूल्य की कौन-कौन सी वस्तुओं का रूस से आयात और रूस को निर्यात किया गया; और

(ग) निर्यात को बढ़ाने और आयात को घटाने के लिये किस प्रकार की कार्यवाही की गई या की जाने वाली है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जी हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Balance of Trade.

(ख) यह जानकारी कलकत्ते का वाणिज्यक सूचना और सांख्यकी विभाग "भारत के वैदेशिक व्यापार के माहवारी आंकड़े"* शीर्षक प्रकाशन और उस के अनुपूरक अंकों में प्रकाशित करता है ।

(ग) व्यापार में पूर्ण संतुलन प्राप्त करने की दृष्टि से रूस के साथ हाल ही में एक नया व्यापार-करार हुआ है ।

पंजाब में निष्क्राम्य व्यक्तियों के मकान

†१०८४. **श्री राम कृष्ण :** क्या पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब में निष्क्राम्य व्यक्तियों के खाली पड़े मकानों और जमीनों को बेचने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या की जाने वाली है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) :** पंजाब में निष्क्राम्य व्यक्तियों के अधिकांश अधिगृहीत मकान और जमीनें या तो विस्थापित व्यक्तियों, या फिर विस्थापित संस्थाओं के कब्जे में हैं । बिक्री की एक एकीकृत योजना के अनुसार इन सम्पत्तियों को नीलाम द्वारा बेचा जा रहा है ।

राष्ट्रपति की जापान यात्रा पर व्यय

†**श्री विभूति मिश्र :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रपति की जापान यात्रा पर भारत सरकार ने कितना व्यय किया है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) : राष्ट्रपति की जापान यात्रा पर कुल मिला कर दो लाख तेंतीस हजार तीन सौ इकहत्तर रुपये (रु० २,३३,३७१) खर्च हुए ।

अमरीकी मोटरों के लिये आयात के लाइसेंस

†१०८६. **श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :**
श्री अ० क० गोपालन :
श्री पुन्नूस :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५७-५८ और १९५८ की अप्रैल से सितम्बर के बीच कुछ अमरीकी मोटरों के लिये आयात लाइसेंस दिये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक लाइसेंस किस प्रकार का था और यह किस को दिया गया था ; और

(ग) यह लाइसेंस कुल कितनी राशियों के थे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) जी हां ।

(ख) अप्रैल, १९५७ में व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिये तत्र-भवान् नेपाल नरेश के नाम एक लाइसेंस दिया गया था ।

(ग) ३३,३९५ रुपये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

*Monthly Statistics of the foreign trade of India.

उड़ीसा में जूट की सुतली और रस्सी का कारखाना

†१०८७. **श्री पाणिग्रही** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २५ अप्रैल, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २७७३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में जूट की सुतली और रस्सी बनाने के कारखाने की स्थापना के आवेदन पर तब से विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) आवेदकों ने अब वह योजना छोड़ दी है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कोचीन में निर्माण-कार्य

†१०८८. { **श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री पुन्नूस : }

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन पत्तन के निर्माण कार्यों में लगे दैनिक मजूरी पाने वाले मजदूर को न्यूनतम मजूरी अधिनियम, १९४८ के अधीन कितनी न्यूनतम मजूरी दी जाती है ;

(ख) क्या दैनिक-दर पर मजूरी पाने वाले इन अकुशल, अर्द्ध-कुशल और कुशल श्रमिकों को कोई सवेतन छुट्टी दी जाती है ; और

(ग) यदि हां, तो एक वर्ष में कितनी छुट्टियां दी जाती हैं ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) २$^{1}/_{2}$ रुपये प्रति दिन । इस के अलावा, १ जुलाई, १९५७ से प्रत्येक मजदूर को ३ आने प्रति दिन दिये जाते हैं । यह ३ आने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये मंजूर की गई ५ रुपये प्रति माह की अन्तरिम सहायता में दिये जाते हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) स्थायी और अस्थायी श्रमिकों को १२ सवेतन छुट्टियां और सामयिक श्रमिकों को ४ सवेतन छुट्टियां ।

कानपुर में औद्योगिक कारखाने

†१०८९. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कानपुर में कुछ औद्योगिक कारखानों की स्थापना की संभावना है ; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन उद्योगों के ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जी हां ।

(ख) उपलब्ध जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७०]

जामसर जिप्सम खान

१०९०. श्री प० ला० बारूपाल : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीकानेर स्थित जामसर जिप्सम खान में काम करने वाले मजदूरों को एक टन चूना खोदने के लिये क्या मजदूरी दी जाती है; और

(ख) एक टन चूने को खान से स्टेशन के यार्ड तक ले जाने तथा उसे माल के डिब्बे में लादने के लिये क्या मजदूरी दी जाती है ?

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). जामसर जिप्सम खान से जो खनिज निकाला जाता है वह जिप्सम है, "चूना" नहीं । खान के मजदूरों को काम की मात्रा के अनुसार मजदूरी दी जाती है । जो ठेकेदारों द्वारा नियुक्त है उन की मजदूरी की दर निम्नलिखित है :—

	प्रति टन		
	रु०	आ०	पा०
जिप्सम निकालने की	१	६	०
लादने की	०	६	०
ढेला तोड़ने की	०	२	०

परिवहन का प्रबन्ध कम्पनी करती है ।

कंपनी द्वारा नियुक्त मजदूरों को निम्नलिखित दर से मजदूरी मिलती है :—

	प्रति टन		
	रु०	आ०	पा०
जिप्सम निकालने की	१	४	०
परिवहन की	१	४	०
लादने की	०	४	०

जिप्सम को खान से निकाल कर सीधा स्टेशन यार्ड पर खड़े हुए माल के डिब्बे में पहुंचाया जाता है ।

†मूल अंग्रेजी में

कन्टाई में नमक

१०९१. श्री अरविन्द घोषाल : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी गैर-सरकारी फर्म ने पश्चिम बंगाल के कन्टाई स्थान में नमक बनाने के संबंध में कोई योजना दी है;

(ख) यदि हां, तो उस फर्म का क्या नाम है; और

(ग) इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) और (ख). मेसर्स कन्टाई साल्ट एण्ड इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने नमक विभाग से कन्टाई क्षेत्र की ९५ एकड़ भूमि में नमक बनाने का लाइसेंस देने का अनुरोध किया है। यह भी पता चला है कि इस फर्म ने अपने प्रस्तावित नमक के कारखाने के लिये राज्य सरकार से तटबन्ध बनाने की अनुमति भी मांगी है ।

(ग) फर्म को राज्य सरकार से तटबन्ध बनाने की अनुमति मिलते ही नमक बनाने का लाइसेंस देने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

पश्चिमी बंगाल को राज-सहायता

†१०९२. श्री अरविन्द घोषाल : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाथ से कागज बनाने, घानी से तेल निकालने और साबुन बनाने के ग्रामोद्योगों के लिये १९५७–५८ और १९५८–५९ में पश्चिमी बंगाल को कुल कितनी राज्य-सहायता दी गयी; और

(ख) क्या राज्य ने दी गयी पूरी राशि का उपयोग कर लिया है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) १९५७–५८ में २,११,५३५ रुपये और १९५८–५९ में अक्तूबर, १९५८ के अन्त तक १,०३,९२५ रुपये।

(ख) इन उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये उत्पादन केन्द्रों को उत्पादन-राज सहायता वास्तविक उत्पादन के आधार पर दी जाती है और इसीलिये उपयोग न किये जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। उपकरण खरीदने के लिये राज सहायता पेशगी दी जाती है। लेकिन इस समय यह बता सकना संभव नहीं है कि पूरी राशि का उपयोग हो गया है या नहीं क्योंकि उपयोग हो जाने के प्रमाणपत्र लेखों की लेखा परीक्षा के बाद दिये जाते हैं। यह लेखा परीक्षा एक एक वर्ष के आधार पर होती है और इस में काफी समय लग जाता है।

अम्बर खादी उद्योग

†१०९३. श्री अरविन्द घोषाल : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

†मूल अंग्रेजी में

(क) अम्बर खादी उद्योग के प्रयोजन के लिये १९५७-५८ में पश्चिम बंगाल सरकार को कितनी राशि अनुदानों और ऋणों के रूप में दी गयी;

(ख) क्या इस राशि का कुछ अंश व्यपगत हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो क्यों ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने १९५७-५८ में राज्य सरकार की मार्फत पश्चिम बंगाल के राज्य बोर्ड को ७९,२५० रुपये का अनुदान दिया था।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

हथकरघे के वस्त्रों के लिये निर्यात संवर्द्धन समिति

†१०९४. श्री अरविन्द घोशाल : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथ करघे के वस्त्रों के लिये कोई निर्यात संवर्द्धन समिति बनायी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो हथकरघे के कपड़ों का निर्यात बढ़ाने के लिये उस ने क्या कार्यवाही की है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जी नहीं ?

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

तेल, तिलहन और खली के लिये मंत्रणा समिति

†१०९५. श्री अरविन्द घोशाल : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल, तिलहन और खली के व्यापार के लिये कोई मंत्रणा समिति नियुक्त की गई है ;

(ख) क्या उस ने कोई सुझाव दिये हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन का ब्योरा क्या है।

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). निर्यात को बढ़ाने सम्बन्धी सुझावों पर समिति विचार करती है और सरकार उस चर्चा के आधार पर निर्णय करती है।

बागान श्रमिक आवास योजना

†१०९६. श्री अरविन्द घोशाल : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बागान श्रमिक आवास योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने १९५७-५८ और १९५८-५९ के लिये कितना आवंटन किया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) नियोजकों ने उसका कहां तक उपयोग किया है ।

†निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा): (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७१]

भारतीय व्यापार मिशन

†१०९७. श्री दलजीत सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(क) १९५८-५९ में अब तक कितने और कौन कौन से भारतीय व्यापार मिशन अन्य देशों के साथ व्यापारिक सम्पर्क को मजबूत बनाने की सम्भावनाओं को देखने के लिये विदेश गये ;

(ख) इन यात्राओं का क्या परिणाम रहा; और

(ग) उन पर कितना खर्च हुआ (प्रत्येक मिशन पर) ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ७२]

अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां

†१०९८. श्री दलजीत सिंह : क्या श्रम और रोजगार मंत्री २५ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २७९५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने श्रम और रोजगार मंत्रालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कितने स्थान रक्षित रखे हैं;

(ख) क्या वे भरे जा चुके हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा): (क) भारत सरकार के सामान्य आदेश के अनुसार रक्षण इस प्रकार किया गया है :

	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम जातियां
(१) प्रतियोगिता द्वारा भरे जाने वाले स्थान	१२$^{1}/_{2}$ प्रतिशत	५ प्रतिशत
(२) अन्य प्रकार से भरे जाने वाले स्थान	१६$^{2}/_{3}$ प्रतिशत	५ प्रतिशत

(ख) अभी नहीं ।

(ग) कुछ एक कारण नीचे बताये जाते हैं :--

(१) बचत आन्दोलन के कारण लोअर डिवीजन क्लर्कों की भर्ती पर प्रतिबन्ध लगाना ।

(२) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उपयुक्त उम्मीदवारों का उपलब्ध न होना ।

(३) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित्त आदिम जातियों के कुछ कर्मचारी कहीं और बेहतर नौकरी मिल जाने पर यहां से चले गये ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां

†१०९९. **श्री बलजीत सिंह :** क्या योजना मंत्री २५ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २७९६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) सरकार ने योजना आयोग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कितने प्रतिशत स्थान रक्षित रखे हैं;

(ख) उन्हें अब तक न भरने के क्या कारण हैं ; और

(ग) उन्हें कब तक भरा जायेगा ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० न० मिश्र) :** (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७३]

सिलाई की मशीनों का निर्यात

†११००. **श्री बलजीत सिंह :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिलाई की मशीनों के निर्यात में भारत को किन किन देशों की प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड रहा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** अधिकतम अमरीका और जापान से ।

सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि

†११०१. **श्री वाजपेयी :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में (रेलवे के अतिरिक्त) अप्रैल, १९५८ में कर्मचारियों की जो कुल संख्या ६,९५,८०३ थी वह मई, १९५८ में ६,९९,७८१ हो गई ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा):** (क) जी नहीं

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रेडियो सेट

†११०२. **श्री सुब्बया अम्बलम :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक बस्तियों में रेडियो सेट बनाये जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन औद्योगिक बस्तियों के नाम क्या हैं और अब तक प्रत्येक में कितने सेट बनाये गये हैं ;

(ग) क्या ये सेट खरीद कर सामुदायिक विकास खंडों को दिये जा रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो अब तक कितने सेटों का संभरण किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) और (ख). केवल गिंडी बस्ती में मैसर्ज रेसा कम्पनी और मेसर्ज इलैक्ट्रानिक इंडस्ट्रीज ही रेडियो सेट बनाते हैं । उनकी

---

†मूल अंग्रेजी में

वार्षिक उत्पादन क्षमता क्रमवार ३,६०० और २०० सेट है। वास्तव में इन फर्मों ने कितने सेट तैयार किये हैं इस बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है।

(ग) और (घ). मैसर्ज रेसा एण्ड कम्पनी ने गत चार वर्षों में प्रत्येक वर्ष १२०० से अधिक पंचायती सेट केन्द्रीय और राज्य सरकारों को दिये हैं। सामुदयिक विकास खंडों को दिये गये सेटों की संख्या उपलब्ध नहीं है।

नारियल जटा उत्पादों का निर्यात

†११०३. **श्री पांगरकर :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन देशों को नारियल जटा उत्पादों का निर्यात किया जाता है ; और

(ख) १९५७-५८ और १९५८-५९ में अब तक नारियल जटा उत्पादों का जो निर्यात किया गया उस का कुल मूल्य क्या था ?

†**वाणिज्य तथ उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७४]

(ख) १९५७-५८ और १९५८-५९ (अगस्त १९५८ की समाप्ति तक) निर्यात किये गये नारियल जटा उत्पादों का मूल्य क्रमवार २,६३,४१,००० रुपये ६६,४६,००० रुपये था।

नई दिल्ली का खादी ग्रामोद्योग भवन

†११०४. { **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री कुन्हन :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री २५ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १६२४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने उसके पश्चात् खादी और ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के कर्मचारियों की मांगों के बारे में खादी ग्रामोद्योग भवन के प्राधिकारियों से परामर्श करके उन पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया ; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो निर्णय करने में और कितना समय लगेगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) मांगों पर अभी विचार किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) यथासम्भव शीघ्र निर्णय कर लिया जायेगा।

उत्तर पूर्व सीमांत अभिकरण में स्वच्छता

†११०५. **श्री हेम बरुआ :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण की स्वच्छता के बारे में किसी विशेषज्ञ अथवा विशेषज्ञों के निकाय ने निर्धारण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हों ने क्या सिफारिशें की हैं और उन्हें कैसे कार्यान्वित किया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) और (ख). जी हां। उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण प्रशासन के कहने पर अखिल भारतीय हाईजीन तथा लोक स्वास्थ्य संस्था, कलकता के एक पदाधिकारी को भारतीय चिकित्सा गवेषणा परिषद ने यह काम सौंपा था जिस ने नवम्बर, १९५७ में वहां का दौरा करने के बाद निम्नलिखित सिफारिशें की थीं :

(१) नलकूपों द्वारा और पहाड़ी नालों और झरनों से पाइपों द्वारा पानी की व्यवस्था की जाये। शुरू-शुरू में २०० लोगों के लिये एक कुआं या नल पर्याप्त है। प्रत्येक नल और कुयें पर नहाने की व्यवस्था की जाये और वहां गन्दे पानी की निकासी के लिये नालियां भी हों।

(२) स्वच्छता सुधार के कार्यक्रम के साथ-साथ आदिम जातियों को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने की एक उपयुक्त योजना कार्यान्वित की जाये।

(३) मलमूत्र को हटाने के लिये गहरे छिद्र वाले शौचालयों अथवा सन्तोषजनक 'पिग' शौचालयों की प्रत्येक परिवार के लिये व्यवस्था की जाये।

(४) यह पता लगाने के लिये कि इस प्रकार के शौचालयों का प्रयोग करने वाले लोगों में कितने प्रतिशत लोगों को टीनिया का संक्रमण है ताकि यह पता लग सके कि 'पिग' शौचालय प्रयोग करने से कितना खतरा है।

(५) कूड़ा कर्कट और गोबर आदि के लिये खाद के गढ़े खोदने के लिये ग्राम वासियों का प्रोत्साहन करना चाहिए।

(६) उस क्षेत्र के लोक स्वास्थ्य इंजीनियर को स्थानीय अनुभव के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में जल संभरण, शौचालयों और खाद के गढ़ों की योजना तैयार करनी चाहिये और स्वच्छता की सुविधायें उसके अनुसार दी जानी चाहियें।

उक्त सिफारिशों को इस प्रकार कार्यान्वित किया जायेगा :—

(क) अभिकरण में ग्राम्य तथा नगरीय जनता के लिये पीने के पानी की व्यवस्था करने के हेतु ७ बड़ी योजनायें और ८४ कुयें और ८४ पम्प लगाने के लिये द्वितीय पंच-वर्षीय योजना (स्वास्थ्य) में १७·०८ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

(ख) जनता को दृश्यश्रव्य उपकरणों द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में २०,००० रुपये की व्यवस्था की गई है। स्थानीय क्षेत्र को पृष्ठ भूमि रख कर मलेरिया सम्बन्धी एक चलचित्र का निर्माण किया गया है और तपेदिक सम्बन्धी चलचित्र का निर्माण किया जा रहा है। अभिकरण के स्कूलों और स्वास्थ्य केन्द्रों में वितरण करने के लिये दो चार्ट तैयार किये गये हैं जिनकी पृष्ठ भूमि स्थानीय आदिम जाति क्षेत्र है।

(ग) उन क्षेत्रों के लिये जहां लोग 'पिग' शौचालयों का प्रयोग करते हैं, यह योजना बनाई जा रही है कि ऐसे शौचालय मकान से थोड़ी दूरी पर बनाये जायें और मकान से उन्हें एक छाये हुए रास्ते द्वारा मिला दिया जाये। इंजनियरों को हिदायत दी गई है जिन क्षेत्रों में ऐसे शौचालयों का प्रयोग होता है वहां गढ़ों के ऊपर सीमेंट और कंकरीट से बनी हुई सिलें रखने की व्यवस्था की जाये।

(घ) स्वास्थ्य प्रशिक्षण और गवेषणा केन्द्र, पासीघाट में यह अनुसन्धान किया जा रहा है कि कितने प्रतिशत लोगों को टीनिया रोग का संक्रमण है।

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) लोगों को खाद के गढ़े खोदना सिखाया जा रहा है। यह काम प्राय: उन सभी गांवों में हो रहा है जो राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों में शामिल हैं और सामान्यत: अभिकरण के अन्य ग्रामों में कृषि विभाग यह कार्य कर रहा है।

(च) विभिन्न क्षेत्रों के लिये वहां की स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण के इंजीनियरिंग विभाग ने जल संभरण की योजनायें तैयार कर ली हैं। अभिकरण ने शौचालयों और खाद के गढ़ों की भी योजनायें तैयार की हैं।

राज्य कर्मचारी बीमा योजना

†११०६. { **श्री नागी रेड्डी :**
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल में राज्य कर्मचारी बीमा योजना के अन्तर्गत रोगियों को अस्पताल में दाखिल करने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ;

(ख) बीमा कराने वाले कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिये कम से कम कितने बिस्तरों की आवश्यकता होगी ; और

(ग) पश्चिमी बंगाल में बीमा कराने वाले श्रमिकों के परिवारों की चिकित्सा सम्बन्धी आवश्यकताओं पर कितनी राशि खर्च की गई ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा):** (क) बीमा कराने वालों के लिये वर्तमान अस्पतालों में २१५ सामान्य बिस्तर और ११५ बिस्तर तपेदिक के रोगियों के लिये रक्षित हैं ; अरक्षित बिस्तर भी उन्हें मिल सकते हैं।

(ख) बीमा कराने वाले लोगों के लिये ३५० सामान्य और १५० बिस्तर तपेदिक के रोगियों के लिये। योजना के अन्तर्गत परिवार केवल औषधि आदि प्राप्त कर सकते हैं।

(ग) पश्चिम बंगाल में बीमा कराने वाले व्यक्तियों के परिवारों के लिये चिकित्सा की व्यवस्था नहीं की गई है।

जिलों तथा सब-डिवीजनों का पुनर्गठन

११०७. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **योजना** मंत्री १४ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २९४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में वैज्ञानिक आधार पर जिलों तथा सब-डिवीजनों का पुनर्गठन करने में इस बीच और क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) काम को जल्दी करने की दृष्टि से क्या विशेष उपाय किये जा रहे हैं ?

योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : इस विषय में राज्य सरकारों को पत्र भेजे जा चुके हैं और बाद में एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

दक्षिणी अफ्रीका में भारतीय

†११०८. { श्री राम कृष्ण :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री मोहम्मद इलियास :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ट्रांसवाल भारतीय कांग्रेस ने संयुक्त राष्ट्र संगठन को एक ज्ञापन भेजा है जिसमें कहा गया है कि दक्षिण अफ्रीका में रह रहे पांच लाख भारतीयों के साथ नैशनलिस्ट सरकार इतनी कठोरता का बर्ताव कर रही है कि उस का वर्णन नहीं किया जा सकता;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को उस ज्ञापन की कोई प्रति मिली है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उन की शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) इस बारे में संयुक्त राष्ट्र संगठन की महा सभा में कार्यवाही की जा रही है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय मामले वहीं उठाये जा सकते हैं ।

अधिग्रहण किये गये मकानों को छोड़ देना

†११०९. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **निर्माण आवास और संभरण मंत्री** १२ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १२०६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि युद्ध काल में सरकार ने जिन मकानों का अधिग्रहण कर के उन्हें दूतावासों को सौंपा था उन में से अगस्त १९४७ के बाद कितने मकान उन के असल मालिकों को लौटाये गये हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री च० क० रेड्डी)** : अधिग्रहण किये गये २३ मकान छोड़े गये हैं । १६ मकान उन के असली मालिकों को लौटाये गये और शेष सात उन में रहने वाले मिशनों को क्योंकि मकानों पर उन का अधिकार हो चुका था ।

अल्प-आय वर्ग आवास योजना

†१११०. **श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि अल्प-आय वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत अब तक संघ सरकार ने राज्यों को कुल कितनी राशि स्वीकृत की है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७५]**

---

†मूल अंग्रेजी में

मनीपुर में योजना का प्रचार

†११११. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में योजना के प्रचार के लिये १९५८-५९ में कितनी राशि स्वीकृत की गई ; और

(ख) उपरोक्त अवधि में योजना प्रचार विभाग ने कितने प्रकाशन निकाले हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) ४०,००० रुपये ।

(ख) वर्ष के दौरान में मनीपुर प्रशासन ने निम्नलिखित प्रकाशन निकाले हैं :—

(१) मनीपुर में पंचवर्षीय योजना,

(२) विकास कार्यों सम्बन्धी प्रतिवेदन—जनवरी से अप्रैल, १९५८ (अंग्रेजी),

(३) अस्पृश्यता निवारण—एक नाटक ।

तिलक नगर में नागरिक सुविधायें

†१११२. **श्री राम कृष्ण** : क्या **पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली निगम ने पुनर्वास मंत्रालय से कहा है कि वह तिलक नगर और तिहाड़ बस्तियों में प्रारम्भिक नागरिक सुविधाओं की शीघ्र ही व्यवस्था कर दे ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** :(क) और (ख). दिल्ली में विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियों में नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये दिल्ली नगर निगम ने हम से निधि मांगी थी । हाल ही में ब्योरा प्राप्त हुआ है और उस का परीक्षण किया जा रहा है ।

उद्योगों के लिये विदेशी मुद्रा

†१११३. **श्री खीमजी** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) संगठित उद्योगों, लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में कुल कितनी-कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है ;

(ख) अब तक कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई और कितनी खर्च हो चुकी है और कितनी बाकी बची है ;

(ग) संगठित उद्योगों, लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों की, उद्योगवार, विदेशी मुद्रा की शेष आवश्यकता का ब्योरा क्या है ; और

(घ) पूंजी और माध्यमिक और उपभोक्ता वस्तुओं का ब्योरा क्या है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** :(क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हथकरघा उद्योग के लिये प्रशिक्षण केन्द्र

†१११४. { श्री दलजीत सिंह :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में अभी तक केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित हथकरघा उद्योग के प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या कितनी है ;

(ख) उन पर कितना व्यय हुआ ; और

(ग) उन में कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) एक भी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

राजनैतिक पदाधिकारी

†१११५. **श्री हेम बरूआ** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेफा, नागा पहाड़ियों तुएनसांग क्षे , मनीपुर और त्रिपुरा में इस समय काम करने वाले प्रथम श्रेणी के आदिम जाति तथा गैर-आदिम जाति राजनैतिक पदाधिकारियों तथा सहायक राजनैतिक पदाधिकारियों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या इन क्षेत्रों में देश के आदिम जातियों के लोगों की नियुक्ति के लिये कोई कोटा निर्धारित है ; और

(ग) यदि हां, तो कुछ नियुक्तियों में उन का क्या अनुपात है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) इस समय नेफा तथा नागा पहाड़ियों—तुएनसांग क्षेत्र में प्रथम श्रेणी के राजनैतिक पदाविकारियों तथा सहायक पदाविकारियों की नियुक्ति भारतीय सीमान्त प्रशासकीय सेवा में से की जाती है । इन क्षेत्रों में आई० एफ० ए० एस० पदाविकारियों तथा मनीपुर और त्रिपुरा में ऐसे पदों पर काम करने वाले पदाविकारियों की संख्या इस प्रकार है :

नेफा :

राजनैतिक पदाविकारी तथा अतिरिक्त राजनैतिक पदाधिकारी :	
आदिमजाति	२
गैर-आदिमजाति	७
सहायक राजनैतिक पदाधिकारी प्रथम श्रेणी :	
आदिमजाति	४
गैर-आदिमजाति	५

†मूल अंग्रेजी में

नागा पहाड़ियां तुएनसांग क्षेत्र :

डिप्टी कमिश्नर तथा अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (राजनैतिक पदाधिकारी के समान) :

आदिमजाति .	४
गैर-आदिमजाति	२

असिस्टैण्ट कमिश्नर (सहायक राजनैतिक पदाधिकारियों, प्रथम श्रेणी के समान) :

आदिमजाति	२
गैर-आदिमजाति	२

मनीपुर :

डिप्टी कमिश्नर तथा अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (राजनैतिक पदाधिकारियों के समान) :

आदिमजाति .	
गैर-आदिम जाति	२

असिस्टैण्ट कमिश्नर (सहायक राजनैतिक पदाधिकारी, प्रथम श्रेणी के समान)

आदिमजाति .	३
गैर-आदिमजाति	१

त्रिपुरा :

कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (राजनैतिक पदाधिकारियों के समान)

आदिमजाति	
गैर-आदिमजाति	२

(ख) भारतीय सीमान्त प्रशासकीय सेवा की आरम्भिक अवस्था में स्थानीय आदिम जाति के लोगों की नियुक्ति के लिये कोई कोटा निर्धारित नहीं था। सेवा के संधारण के लिये आई० एफ० ए० एस० नियमों में निर्धारित कर दिया गया था कि उपयुक्त आदिमजाति उम्मेदवार उपलब्ध होने पर द्वितीय श्रेणी के लगभग ५० प्रतिशत स्थानों की सीधी भर्ती नियमों के लागू होने के १० वर्ष तक उन्हीं लोगों में से की जाये और उस के बाद अगले ५ वर्षों की प्रत्येक अवधि में इन पदों पर आदिमजाति के उम्मीदवार नियुक्त किये जायें।

(ग) इस समय इस सेवा में कुल नियक्तियों में से लगभग ३५ प्रतिशत नियुक्तियों पर आदिम जाति के ही पदाधिकारी हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

सूती वस्त्र (नियंत्रण) आदेश में संशोधन

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री):** मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम १९५५ की धारा ३ की उप- ारा (६) के अन्तर्गत सूती वस्त्र (नियन्त्रण) आदेश, १९४८ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २२ नवम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११०६ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—१०८६/५८]**

अमरीका को रुई का दिया जाना

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री:** मैं अमरीका को रुई देने के सम्बन्ध में तारांकित प्रश्न संख्या ११९९ पर १२ सितम्बर, १९५८ को सर्वश्री दामानी और अरुण चन्द्र गुह द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर को शुद्ध करने वाले वक्तव्य की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० १०८७/५८]**

विकास परिषदों के वार्षिक प्रतिवेदन

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** मैं उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ की धारा ७ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक ति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) बाइसिकल उद्योग की विकास परिषद् की वर्ष १९५७–५८ का वार्षिक प्रतिवेदन। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १९८८/५८]**

(२) भारी बिजली के सामान के उद्योग की विकास परिषद् का वर्ष १९५७–५८ का वार्षिक प्रतिवेदन **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १०८९/५८]**

(३) हल्के बिजली के सामान के उद्योग की विकास परिषद् का वर्ष १९५७–५८ का वार्षिक प्रतिवेदन। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १०९०/५८]**

(४) अन्तर्दाह इंजन और विद्युत्चालित पम्पों की विकास परिषद् का वर्ष १९५७–५८ का वार्षिक प्रतिवेदन। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १०९१/५८]**

(५) अलौह धातुओं की विकास परिषद् की वर्ष १९५७–५८ का वार्षिक प्रतिवेदन। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १०९२/५८]**

(६) मशीनी औजार उद्योग की विकास परिषद् का वर्ष १९५७–५८ का वार्षिक प्रतिवेदन। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १०९३/५८]**

(७) भारी रसायन (अम्ल और उर्वरक) की विकास परिषद् का वर्ष १९५७–५८ का वार्षिक प्रतिवेदन। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १०९४/५८]**

(८) क्षार और सम्बद्ध उद्योगों की विकास परिषद् का वर्ष १९५७–५८ का वार्षिक प्रतिवेदन। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० १०९५/५८]**

---

†मूल अंग्रेजी में

(९) कृत्रिम रेशम उद्योग की विकास परिषद् का वर्ष १९५७-५८ का वार्षिक प्रतिवेदन। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १०९६/५८]**

(१०) औषधियां, रंग और बीच के पदार्थों की विकास परिषद् का वर्ष १९५७-५८ का वार्षिक प्रतिवेदन। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १०९७/५८]**

(११) चीनी उद्योग की विकास परिषद् का वर्ष १९५७-५८ का वार्षिक प्रति ेदन। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १०९८/५८]**

(१२) ऊनी उद्योग की विकास परिषद् का वर्ष १९५७-५८ का वार्षिक प्रतिवेदन **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १०९९/५८]**

बाट और माम प्रमाप नियम

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं बाट और माप प्रमाप अधिनियम, १९५६ की धारा १७ की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २२ नवम्बर, १९५८ की अर्ि सूचना यंख्या एस० ओ० २४०३ में प्रकाशित बाट और माप प्रमाप नियम, १९५८ की क प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० ११००/५८]**

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति

†**सचिव** : श्रीमान्, १७ नवम्बर, १९५८ को लोक-सभा में ी गई सूचना के बाद चालू सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित किये गये तथा राष्ट्रपति ारा अनुमति प्राप्त चाय (सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क में परिवर्तन) विधेयक, १९५८ को सभा-पटल पर रखता हूं।

लोक लेखा समिति

दसवां प्रतिवेदन

†**श्री रंगा** (तेनालि) : मैं विनियोग लेखा (असैनिक) १९५५-५६ में बताये गये स्वीकृत अनुदानों तथा भारित विनियोगों से अर्ि क व्यय के बारे में लोक लेखा समिति का दसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

१९५८-५९ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मागों के बारे में विवरण

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : मैं, श्री ब० रा० भगत की ओर से, वर्ष १९५८-५९ के लिये आय-व्ययक (सामान्य) के बारे में अनुपूरक अनुदानों की मांगों का एक विवरण उपस्थित करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

पटसन के मूल्यों में गिरावट के कारण उत्पादकों की दशा

†**श्री राजेन्द्र सिंह** (छपरा): नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्न विषय की ओर वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री का ध्यान दिलाता हूं, और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"पटसन के मूल्यों में एकदम भारी गिरावट आने से देश में पटसन-उत्पादकों की दशा ।"

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: कुछ माननीय सदस्यों ने पटसन के मूल्यों में हाल ही जो गिरावट आई है उस पर काफी चिन्ता प्रकट की है। मैं इसीलिये सभा के सामने पूरी परिस्थिति रख रहा हूं और यह भी बता रहा हूं कि सरकार ने इस गिरावट को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है, या करने की सोच रही है ।

देश में, हाल के कुछ वर्षों के दौरान में, पटसन और मिस्री रुई की एक किस्म के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हो गई है । १९५३–५४ में इनका उत्पादन ३७.४७ लाख गांठें था, और इनकी खेती लगभग १८.८४ लाख एकड़ में होती थी । १९५८–५९ में अनुमान है कि पटसन और मिस्री रुई की एक किस्म का उत्पादन ६२ से ६५ लाख गांठों तक होगा, जबकि इनकी खेती का क्षेत्र १८.९४ लाख एकड़ ही है । अर्थात् केवल उत्पादन में ही बहुत अधिक वृद्धि हुई है । इस वृद्धि का कारण कृषकों का अपना विशेष प्रयास और उसमें सरकार की वह सहायता ही है, जो सरकार ने 'पटसन का उत्पादन बढ़ाओ' कार्यक्रम के अन्तर्गत खेती के उन्नत तरीकों और बेहतर किस्म के बीजों के उपयोग के सम्बन्ध में दी थी ।

पटसन की 'आसाम मिडिल' किस्म का मूल्य १९५३–५४ में २९.५ रुपये प्रति मन था । इधर के कुछ महीनों में इसी किस्म का मूल्य २४ से २७ रुपये प्रति मन था। हाल के कुछ महीनों में मूल्य कुछ गिरे थे, लेकिन फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि उससे कृषकों की आय भी घट गई होगी, क्योंकि उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हो चुकी थी । फिर भी उत्पादन की वृद्धि बनाये रखने और मूल्यों में स्थायित्व लाने के लिये, हाल में ये उपाय किये गये हैं:—

'ईस्ट इण्डिया जूट' और 'हेसियन एक्सचेंज' ने यह निर्धारित कर दिया है कि मूल्यों में एक निश्चित स्तर से नीचे गिरावट आने पर वे कृषकों को किस सीमा तक अतिरिक्त अदायगी करेंगे ।

'इंण्डियन जूट मिल्स एसोसिएशन' ने पक्की तौर पर कह दिया है कि वह फरवरी, १९५८ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य मानती रहेगी ।

इस संस्था ने अपनी सदस्य मिलों से भी कहा है कि वे कच्चे पटसन की ख़रीद बढ़ायें, तीन महीने के उपयोग के लिये आवश्यक पटसन खरीदें । अब मिलों से कहा जा रहा है कि वे चार महीने के उपभोग के लायक पटसन का स्टाक खरीदें और रखें । जुलाई से अक्तूबर, १९५८ तक मिलों ने कुल मिलाकर २१.९४ लाख गांठें पटसन की खरीदी, जबकि १९५७ के इन महीनों में १८.१४ लाख गांठें खरीदी गई थीं । अर्थात् उसमें ३.८ लाख गांठों की वृद्धि हुई है ।

इस वर्ष कच्चे पटसन का आयात भी बहुत घटा दिया गया है । मई से जुलाई के मध्य तक के काल में अनुज्ञप्तियां लगभग दी हीं नही गईं । १५ जुलाई से १५ नवम्बर, १९५८ के बीच में केवल

†मूल अंग्रेजी में

[श्री लालबहादुर शास्त्री]

४.८ लाख मन पटसन के आयात के लिये ही अनुज्ञप्तियां दी गई हैं, जबकि १९५७ के इसी काल में १५ लाख मन के आयात के लिये अनुज्ञप्तियां दी गई थी। अब यह भी निर्णय किया जा चुका है कि केवल उन्हीं किस्मों के आयात की अनुमति दी जायेगी जो भारत में नहीं होती पर विदेशी बाजारों की आवश्यकतायें पूरी करने के सिलसिले में जिनका आयात करना अत्यावश्यक है।

देश में पटसन के मूल्यों में अधिक स्थायित्व लाने की दृष्टि से, अब सोचा यह जा रहा है कि राज्य व्यापार निगम के जरिये ही पटसन की कुछ समिति मात्रा का ही निर्यात होने दिया जाये।

उत्पादन-क्षेत्रों से कलकत्ता तक पटसन पहुंचाने के लिये पर्याप्त संख्या में माल-डिब्बे जुटाने का विशेष प्रयत्न किया जा रहा है।

दीर्घकालीन कार्यक्रम की दृष्टि से, यह भी सोचा जा रहा है कि सहकारी क्रय-विक्रय संस्थायें, भांडागारों और गोदामों की व्यवस्था करके कृषकों को इस योग्य बनाया जाये कि वे अधिक दिनों तक अधिक मात्रा में पटसन का स्टाक रख सकें।

सरकार पूरी परिस्थिति को सतर्कता से देख रही है और आवश्यकता पड़ने पर और भी उपाय किये जायगे।

†**श्री अ० च० गुह** (बारसाट): मैंने इस विषय पर एक प्रस्ताव की सूचना दी है। यह वक्तव्य असन्तोषप्रद है। इस विषय पर चर्चा होनी चाहिये। यह वक्तव्य सदस्यों में परिचालित होना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय**: प्रस्ताव की सूचना पर मैं विचार करूंगा। और, इस वक्तव्य की प्रति सदस्यों में परिचालित की जायेगी।

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)**: मैं, श्री मुरारजी देसाई की ओर से, प्रस्ताव करता हूं:

"कि प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, १९५६, में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय**: प्रश्न यह है:

"कि प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, १९५६, में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री श्या० नं० मिश्र**: मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि भारतीय रेलवे अधिनियम, १८९० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय रेलवे अधिनियम, १८९० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री शाहनवाज खां** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय प्रशुल्क अधिनिमम, १९३४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापिन करने की अनुमती दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : श्रीमान् मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति तथा भारत सरकार की तत्सम्बन्धी नीति पर विचार किया जाय।"

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर गत अगस्त में वाद विवाद हुआ था जिसे अब चार मास हो गये हैं। इन मासों में पर्याप्त घटनायें घटी हैं। गत चर्चा के पश्चात् ईराक़ में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। वहां क्रान्ति हुई और सम्राट का शासन समाप्त करके गणतंत्र की स्थापना की गई। इसी से लेबनान की स्थिति भी सम्बद्ध थी और वह स्थिति खराब होती चली गई थी क्योंकि वहां और जोर्डन में विदेशी सेनायें उतार दी गई थीं। सौभाग्य से स्थिति पर काबू पा लिया गया और विदेशी फौजें वहां से हटा ली गईं ।

इस सम्बन्ध में मैं लेबनान में संयुक्त राष्ट्र आयोग के काम का उल्लेख करूंगा क्योंकि मैं समझता हूं कि इस आयोग ने बहुत अच्छा काम किया और इसी आयोग के कार्य के कारण ही कई दुखपूर्ण घटनाओं से बचा जा सका था। इस सम्बन्ध में उस आयोग के भारतीय सदस्य, श्री राजेश्वर दयाल को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा क्योंकि उन्होंने वहां इस आयोग में बहुत ही अच्छा कार्य किया। जैसा कि सभा जानती है, उन्हें पाकिस्तान में उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है।

थोड़ी देर पूर्व कुछ सदस्यों ने मुझ से यह प्रश्न किया—तथा कुछ पत्र भी इसी प्रकार सोचते हैं—कि जब कभी कहीं कोई संकट होता है, तो हमारे मिशन या दूतावास खाली होते हैं। यह

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

बड़ी विचित्र आलोचना है और यह आलोचना श्री राजेश्वर दयाल के लेबनान जाने के बारे में खास तौर पर की गयी थी। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार से कोई भी दूतावास खाली नहीं रहता। यह ठीक है कि कई बार दूतावास का प्रभारी वहां नहीं होता लेकिन यह अनुपस्थिति कोई आकस्मिक नहीं होती। नियुक्तियों के बीच बीच में समय लगता है। एक व्यक्ति के बदले जाने से सारी कड़ी में अदला-बदली करनी पड़ती है और कई स्थानों पर रिक्तियां रह ही जाती हैं जिनको ठीक प्रकार से भरने में समय लगता है। प्रत्येक वैदेशिक कार्यालय में रिक्तियां रहती हैं। इन्हें अवांछनीय नहीं समझा जाता क्योंकि दो एक महीने का काम चलाने के लिये योग्य व्यक्ति रहते ही हैं। इसके अतिरिक्त कई स्थानों का, विशेषकर पाकिस्तान का उल्लेख किया गया। वास्तव में हमने उच्चायुक्त के पद पर काम करने के लिये एक विशेष व्यक्ति भेजा था। जब श्री राजेश्वर दयाल न जा सके तो श्री मैत्रा वहां काम करते रहे।

इसके अलावा बैरूत तथा बुडापेस्ट का उल्लेख किया गया। वहां हमारा पूर्ण दूतावास नहीं है अर्थात् कोई स्थित राजदूत नहीं है। बुडापेस्ट में हमारा दूतावास है किन्तु राजदूत वही हैं जो मास्को में हैं। वह सामान्यतया मास्को में रहते हैं तथा बुडापेस्ट और एक दो जगह और भी जाते हैं। दो या तीन देशों में एक राजदूत का रखा जाना और अन्य देशों में अधीनस्थ कार्यालय रखना सामान्य प्रथा ही है। बैरूत में इसी प्रकार की बात है। हमारा लेबनान में विशेष राजदूत नहीं है; बैरूत काहिरा से सम्बद्ध है किन्तु बैरूत में एक योग्य व्यक्ति अधीनस्थ कार्यालय का प्रभारी है। उस अधिकारी ने भी लेबनान के दंगों में बड़ा श्लाघनीय कार्य किया।

उसके बाद बगदाद का मामला है, जहां यह ठीक है, कि कोई राजदूत मौजूद नहीं था। सामान्य प्रक्रिया के अनुसरण में वहां से राजदूत यहां आये थे और दूसरे राजदूत को कोपेनहेगन या स्टाकहोम से जाना था। वह वहां उपस्थित नहीं थे। इस बारे में भी कोई असाधारण बात नहीं है। ऐसी बातें तो होती ही रहती हैं और इनसे बचा भी नहीं जा सकता। इससे किसी को भी हानि नहीं पहुंची है क्योंकि हमारे प्रतिनिधि वहां बाकायदा हैं।

यदि आज हम दुनियां की समस्याओं पर विचार करें तो सबसे पहले हमारे सामने शीत युद्ध की समस्या आ खड़ी होती है और इसका तुरन्त हल भी प्रतीत नहीं होता। अभी जेनेवा में दो सम्मेलन हो रहे हैं। एक तो आणविक परीक्षणों को बन्द करने के लिये है और दूसरा है अचानकआक्रमण की रोकथाम करने के उपायों पर विचार करने के लिये। दोनों में रुकावटें हैं। कल आणविक परीक्षणों वाले सम्मेलन की तनिक आशाजनक सूचना मिली है, अर्थात् वह लोग लम्बी सूची के प्रथम अनुच्छेद पर अस्थायी रूप से सहमत हो गये हैं। कम से कम काम तो चला है। इससे यद्यपि लाभ तो अधिक नहीं है किन्तु आगे तो बढ़ रहे हैं। किन्तु फिर भी इस मार्ग में बहुत सी कठिनाइयां हैं जिनको सभा जानती ही है।

सामान्यत: आणविक परीक्षणों के बारे में रूस का रवैया यह है कि आणविक परीक्षणों का प्रश्न अन्य निशस्त्रीकरण के प्रश्नों से अलग किया जाये और परीक्षण तुरन्त और स्थायी रूप से बन्द किये जायें, जब कि पश्चिमी देशों का यह कहना है कि इन सारे प्रश्नों को एक ही साथ लिया जाये। जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हम इस बारे में अत्यधिक चिन्तित हैं और हमारी यही इच्छा है कि इन परीक्षणों को शीघ्रातिशीघ्र बन्द कर दिया जाये। हम तो समझते हैं कि यह मानवता के प्रति घोर अपराध है और इन परीक्षणों से मौजूदा पीढ़ी को ही नहीं बल्कि आगामी पीढ़ियों को भी नुकसान होगा। हम तो चाहते हैं कि परीक्षणों को तुरन्त बन्द किया जाये। यदि वे अभी हमेशा के लिये

बन्द नहीं कर सकते तो कम से कम स्थगित तो कर ही दें। इसके साथ ही हम यह भी समझते हैं कि कम से कम ऐसी स्थिति में जब कि लोग एक दूसरे पर सन्देह करते हैं तो सारे प्रश्न पर एक साथ ही विचार होना चाहिये और कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिये जिससे, इस शीत युद्ध के प्रसंग में, एक पक्ष की स्थिति दूसरे के मुकाबले में अधिक कठिनाईपूर्ण हो जाये। यह कोई ऐसी बात नहीं है कि पहले एक मद पर विचार लिया और बाद में दूसरे पर। यहां तो कठिनाइयां और गहरी हैं। खैर, कुछ थोड़ा सा काम हो ही रहा है।

जहां तक दूसरे प्रश्न का, अचानक हमलों का सम्बन्ध है, भविष्य बिल्कुल भी उज्जवल नहीं है। यहां भी पश्चिमी राष्ट्रों का यह कहना है कि विशेषज्ञ अचानक होने वाले आक्रमणों के जोखियों को कम करने में अन्तर्ग्रस्त समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन और विश्लेषण करने तक ही अपने को सीमित रखें।

दूसरी ओर सोवियत रूस कहता है कि अचानक आक्रमणों की समस्या नवीन युद्ध आरम्भ करने की समस्या है, अतः निश्शस्त्रीकरण की विशिष्ट समस्याओं तथा राजनैतिक समस्याओं को भी कार्यावलि में सम्मिलित करना चाहिये और इसमें विदेशी सैनिक अड्डों का प्रश्न भी सम्मिलित होना चाहिये। जैसे ही राजनैतिक समस्याओं का मामला आता है वैसे ही अवरोध हो जाता है।

तो यह दोनों सम्मेलन वहां धीरे धीरे चल रहे हैं और हालांकि कोई खास नतीजे नहीं निकलते लेकिन उनके भंग होने का भी अधिक भय नहीं है। भंग होने से तो नवीन समस्यायें उत्पन्न हो जायेंगी और चारों ओर निराशा फैल जायेगी। मैं तो आशा करता हूं कि ये लोग कोई न कोई मार्ग निकाल ही लेंगे तथा कुछ न करने से थोड़ा बहुत समझौता कर ही लेंगे।

आज संसार के जितने भी झगड़े हैं, मध्य पूर्व के झगड़े और अन्य झगड़े इस शीत युद्ध के प्रश्न में यह सब झगड़े आ जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भी प्रश्नों पर इस प्रकार के दष्टिकोण के बिना विचार करना कठिन हो रहा है। यह तो आज की स्थिति में निहित ही है। हमने इससे बाहर रहने का थोड़ा बहुत प्रयास किया है और हमें कुछ सफलता हुई भी है। जब हम तटस्थता की बात करते हैं तो इसका अर्थ शीत युद्ध से बाहर रहना ही होता है।

शीत युद्ध का एक परिणाम यह है कि स्पष्ट शब्दों के भी अर्थ बदल जाते हैं और उनका अभिप्राय कुछ का कुछ ही निकाला जाता है। यदि कोई देश किसी सैनिक गुट में हो तो उसे स्वतन्त्रता और सच्चाई का अग्रणी मान लिया जाता है, चाहे वह कुछ भी करे और वहां किसी भी प्रकार की व्यवस्था या विचारधारायें हों। और यदि कोई देश दूसरे पक्ष में हो तो उसे प्रतिक्रियात्मक समझा जाता है और हजारों बातें कही जाती हैं। हम नित्य ही "लोक तन्त्र", "स्वतन्त्र दुनिया" और "शान्ति" आदि शब्दों का प्रयोग सुनते हैं। प्रत्येक व्यक्ति शान्ति चाहता है लेकिन कभी कभी कुछ लोग आणविक शस्त्रों के साथ भी शान्ति चाहते हैं। कई बार शान्ति की बात ऐसे तरीके से की जाती है जो युद्ध और धमकी की बातों से भी अधिक हिंसात्मक प्रतीत होती है। जिन देशों में मार्शल ला है उन के प्रति भी "लोकन्तत्र" शब्द को कुछ अजीब ढंग से प्रयुक्त किया जाता है। यह उन लोगों के देखने का काम है कि उन के देश में किस प्रकार का शासन हो। यह काम हमारा नहीं है। हो सकता है कि वह मार्शल ला ही को शासन का सब से अच्छा तरीका समझते हों। किन्तु अन्य देशों में इस प्रकार की प्रतिक्रिया बड़ी रोचक है। जब मार्शल ला को भी प्रजातंत्र के सिद्धान्त का ही अंग बताने की कोशिश की जाती है, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। इस से पता चलता है कि सैनिक गुटबाजी के कारण हमारी विचारधारा कहां तक जा सकती है।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

इसी प्रकार के मानव अधिकारों के बारे में बड़ी बड़ी बातें होती हैं। परसों मानव अधिकारों की उद्घोषणा की दसवीं वर्ष गांठ है और श्रीमान्, परसों यदि आप इस सभा में इस का उल्लेख करें तो अच्छा होगा क्योंकि यह बड़ी महत्वपूर्ण चीज है जिसे सब को याद रखना चाहिये। आज से दस वर्ष पूर्व संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे स्वीकार किया था और कोई भी इस के विपक्ष में न था। सभी सिद्धान्त एकमत से अपना लिये गये थे; अब दक्षिण अफ्रीका सरकार जातिभेद की जिस नीति का अनुसरण कर रही है वह किसी भी प्रकार से इन मानवीय अधिकारों के सिद्धान्त से मेल नहीं खाती। कुछ देश उस की आलोचना अवश्य करते हैं किन्तु जब मामला संघ के समक्ष आता है तब वे लोग, जो लोकतन्त्र तथा मानवता का पक्ष लेते हैं, किसी टैक्नीकल कारण से दक्षिण अफ्रीका सरकार का समर्थन करते हैं और यदि समर्थन नहीं करते तो उन की नीति की आलोचना भी नहीं करते।

तो इन सब बातों से जनता के दिलों में द्विविधा उत्पन्न हो जाती है। सिद्धान्त पर कोई नहीं, चलता, सभी देश यह देखते हैं कि शीत युद्ध में हमारा साथी कौन है। चाहे कुछ भी हो, वे उन देशों का चाहे वह दक्षिण अफ्रीका हो या मार्शल ला वाला देश हो या हंगरी हो—पक्ष लेते हैं जो शीत युद्ध में उन का साथ देते हैं और उन के गुट के हैं। वे सोचते हैं कि वे अपने साथियों की आलोचना नहीं कर सकते। तो आजकल कसौटी सिद्धान्त नहीं बल्कि यह है कि हम किस गुट में हैं। इस से, इन्हीं बातों से जनता के हृदय में भ्रम पैदा हो जाता है। और इसी के कारण जाति-विरोध धारणायें उत्पन्न हो जाती हैं। इंगलैंड में भी, जो इन बातों से अलग रहा है, अभी कुछ मास पूर्व पश्चिमी अफ्रीका वालों के विरुद्ध दंगे हुए थे क्योंकि जिन सिद्धान्तों पर राष्ट्रीय संघ खड़ा है, वे अन्य मामलों से उलझते जा रहे हैं कि उन में स्पष्टता नहीं रही है और लोग गलत तरफ जाने लगते हैं।

आप को पाकिस्तान की घटनाओं का तो ज्ञान है ही। इस सम्बन्ध में, मैं नियम १९७ के आधीन प्राप्त सूचना को भी अभी ले लूंगा, जिस में वहां के प्रेज डेंट जनरल अयूब खां द्वारा ४ दिसम्बर को कराची में कही गयी कुछ बातों की ओर, जिस में उन्होंने सीमावर्ती झगड़ों के लिये भारत पर दोष लगाया है, ध्यान दिलाया गया है। मैं नहीं जानता कि मुझ से इस सम्बन्ध में क्या कहने की आशा की जाती है। जनरल अयूबखां की आलोचना करने की, क्योंकि उन्हों ने सीमा के झगड़ों के लिये भारत को उत्तरदायी ठहराया है? यह तो स्वाभाविक ही है कि वह अपने ही पक्ष की वही बातें करेंगे जिस में उनको फायदा होगा। हमारा तो यह विश्वास है कि यह सीमान्त झगड़े आमतौर से पाकिस्तान की ओर की आक्रामक प्रवृत्तियों के कारण ही होते हैं। मैं ने यह बात पहले भी कही है और अब भी कहता हूं कि इन झगड़ों को बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है। किसी को यह नहीं सोचना चाहिये कि यह सरकारों का झगड़ा है। कभी पशु चुरा लिये, कभी खेतों को हानि पहुंचा दी, इसी प्रकार की बातें होती रहती हैं। मैं इस सम्बन्ध में स्पष्ट बात करना चाहता हूं और वह यह कि मैं यह नहीं कह सकता कि सदैव दोष उन्हीं का होता है। कभी कभी गलती हमारी यानी स्थानीय लोगों की भी होती है। खैर, जो कुछ भी हो एक बात निश्चित है कि वहां के स्थानीय अधिकारी जो सूचना भेजते हैं वह एक तरफा ही होती है। जनरल अयूब खां, जिन रिपोर्टों को पढ़ते हैं वह एक तरफा ही होती हैं। इस कारण वह यदि कुछ कहें तो हमारे आपत्ति करने में कोई तुक नहीं।

मुख्य बात तो और ज्यादा कठिन। ये तो साधारण से झगड़े हैं जो इधर उधर होते रहते हैं। जो मुख्य समस्या है वह वहां की नयी व्यवस्था के कारण और भी कठिन हो गई है। मार्शल ला से सरकारी कार्यवाही में सामान्य नियंत्रण नहीं रहते और सारी बात एक खास वक्त के खास ख्यालों पर ही

निर्भर हो जाती है। यहीं कठिनाई है। दूसरी बात यह है कि पहले भी और मार्शल ला के पश्चात् भी, पाकिस्तान विदेशों से पर्याप्त सैनिक सहायता लेता रहा है। यह तो स्पष्ट है जैसा कि पाकिस्तान के बड़े बड़े अधिकारियों की राय है कि सैनिक सहायता भारत ही के विरुद्ध ली जा रही है। जैसा मैंने कहा, मैं आशा नहीं करता कि दोनों देशों में युद्ध होगा। किन्तु हमें आत्म-संतुष्ट हो कर भी बैठना नहीं चाहिये हमें उपाय करने हैं क्योंकि उन्हें सैनिक सहायता मिल रही है।

मैंने बगदाद सन्धि, दक्षिण पूर्व एशिया सन्धि आदि पर अनेक बार विचार किया है लेकिन मैं इन का कारण नहीं समझ सका हूं। यह तो ठीक है कि मैं इन से सहमत नहीं हूं किन्तु कारण तो तब भी जानने की इच्छा होती है। मैं इन सन्धियों के कारण बिल्कुल समझ नहीं सका हूं। गत कुछ वर्षों में ही हम देख सकते हैं कि इन सन्धियों से किसी भी देश को किसी प्रकार का लाभ नहीं हुआ है बल्कि इराक जैसे देशों में उल्टे काफी गड़बड़ ही हुई है। अब इन सन्धियों का किसी भी प्रकार से कोई मतलब नहीं रह जाता और ये निर्जीव हो चुकी हैं किन्तु प्रतिष्ठा के भुलावे में इन्हें जीवित रखना पड़ रहा है।

एशिया में गिनी ने अपनी स्वतंत्रता की उद्घोषणा की है। अब घाना तथा गिनी ने परस्पर मिलने के बारे में हाल में एक समझौता सा किया है। अभी तक सारी बात स्पष्ट नहीं हुई है कि वे किस तरह मिलेंगे। यह संघ बनेगा या कुछ और, इस पर अभी बात चीत हो रही है। इस से राष्ट्रमंडल के लिये एक रोचक समस्या खड़ी हो जाती है क्योंकि घाना तो उस का सदस्य है और गिनी नहीं। अब गिनी को कैसे स्थान दिया जायेगा, यह प्रश्न उठता है। इस से हमारे ऊपर तो अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। मैं तो वैसे बता रहा हूं। अफ्रीका में स्वतंत्रता, संगठन तथा एकता की जो लहर दौड़ रही है, हमें उस से दिलचस्पी है। स्पष्टतया अफ्रीका में स्वतंन्त्र देशों के बड़े बड़े संघ अधिक अच्छी तरह से चल सकते हैं। छोटे छोटे राज्य उतनी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इस कारण हम इस का स्वागत करते हैं।

इस समय आकाश में अखिल अफ्रीकी जनता का सम्मेलन हो रहा है। मैं इस का उल्लेख इस कारण कर रहा हूं क्योंकि इस सम्बन्ध में मुझे एक वक्तव्य देने को कहा गया है। यह कोई सरकारी सम्मेलन नहीं है। यह एक गैर-सरकारी सम्मेलन है और शायद कुछ सरकारों को इस में दिलचस्पी हो। हमारा इस में प्रतिनिधित्व नहीं है। हमें न तो निमंत्रण मिला और न हीं सरकार की हैसियत से हमारा कोई सम्बन्ध था। फिर वह एक पूणतः अफ्रीकी सम्मेलन है। वहां लन्दन की एक दो अफ्रीकी संस्थाओं के अतिरिक्त अफ्रीकी क्षेत्र के बाहर का कोई प्रतिनिधि नहीं है। सरकारी या अन्य रूप से हमारा इस से कोई सम्बन्ध नहीं है।

हाल ही में एक बड़ा प्रश्न उठा है जिस का प्रभाव यूरोप पर है और सारी दुनिया पर भी वह है बर्लिन का प्रश्न। इस से हमारा कोई प्रत्यक्ष सम्बध नहीं है, अतः मैं केवल इस का उल्लेख ही कर रहा हूं। लेकिन वह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस से एक बड़ा संघर्ष हो जाने का डर बना हुआ है। कई वर्षों के मौन के पश्चात् यह समस्या पुनः उठी है।

सभा को विदित है कि हमारे राष्ट्रपति इण्डोनेशिया जा रहे हैं। उन्होंने पिछले दो दिन मलाया में बिताये। अब इण्डोनेशिया के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर वह वहां गये हैं। कुछ मास पूर्व वह जापान गये थे। मैं समझता हूं सभा इन दौरों का स्वागत ही करेगी क्योंकि इस प्रकार देशों की मैत्री बढ़ती है। जापान तथा मलाया का उन का दौरा भी बहुत सफल रहा। मुझे विश्वास है कि भारत तथा इण्डो-नेशिया के बीच भी इस दौरे से पारस्परिक मैत्री बढ़ेगी। मुझे आशा है कि माननीय सदस्यों की शुभ कामनायें राष्ट्रपति के साथ हैं।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

मैं ने जान बूझ कर ही अधिक विस्तारपूर्ण बातें न कह कर संक्षेप में सभा को इन समस्याओं से अवगत कराया है। हम तो इन मामलों में केवल तभी हाथ डालते हैं जब आवश्यक हो। हम उलझते नहीं फिरते। जहां मामला अपना हो वहां बात ही दूसरी है अन्यथा हम राष्ट्रसंघ में ही इन पर काम करते हैं और अपनी राय देते हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि अनेक राष्ट्र हमारी ओर मित्रतापूर्ण दृष्टि से और कुछ सम्मान-पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। हमारी उलझने की कोई इच्छा नहीं है।

हमारी अपनी समस्यायें हैं—गोआ की समस्या है, पाकिस्तान से हमारे सम्बन्धों की समस्या है, लंका में भारतीय नस्ल के व्यक्तियों का प्रश्न है, दक्षिण अफरीका में भारतीय उद्भव के लोगों की समस्या है। यह हमारी समस्यायें हैं। हम इन का हल करने का प्रयास करते हैं और कई बार कुछ प्रगति भी करते हैं। संसार की अन्य समस्यायें तो हैं हीं। उन में से कुछ में हम अपनी विचार-धारा के कारण काफी रुचि रखते हैं, जैसेकि अल्जीरिया आदि उपनिवेशों की स्वतंत्रता का प्रश्न है। हमें याद रखना चाहिये कि अभी भी बहुत से देश दासता की जंजीरों में हैं और अब शासकों का रवैया और कठोर हो गया है। आज से ११ वर्ष पूर्व जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो अनेक देश भी स्वतंत्र हुए थे। उस के पश्चात् सूडान, घाना आदि भी स्वाधीन हुए, मोरक्को और ट्यूनिशिया स्वतंत्र हुए और अब गिनी स्वतंत्र हुआ है। तब भी इन मामलों में कुछ कठोरता अभी चली आ रही है, जो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कोई भी इस बात को नहीं सोच सकता कि औपनिवेशिक शासन के अधीन जो देश हैं, वे अपनी वर्तमान हालत पर सन्तोष करेंगे। वे इस के विरुद्ध लड़ेंगे और संघर्ष जारी रहेगा। इस का उपचार केवल यही है कि उन्हें स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाय और फिर उन का सहयोग प्राप्त किया जाये।

तो इस प्रकार के संघर्ष युक्त विश्व में हम जो कुछ कर सकते हैं उसे करने का प्रयत्न करते हैं; और मित्रता तथा सद्भावना की नीति पर चलते हुए हमारा प्रयत्न यही रहा है यह संघर्ष कम हो और आपसी शत्रुता कम हो।

राजा महेन्द्र प्रताप जी की इच्छा है कि मैं एक शब्द "विश्व सरकार" के बारे में कहूं। सिद्धान्त रूप से हम इस से सहमत हैं किन्तु हमें जनता की विचारधारा को भी ध्यान में रखना है। आज लोगों की विचारधारा इस प्रस्ताव से जितनी दूर है उतनी शायद कभी नहीं थी। माननीय सदस्य यह समझते हैं कि यहां बार बार इस प्रश्न को उठाने से वे इसे स्थापित कर सकेंगे।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** (मथुरा) : लन्दन से मुझे एक पत्र मिला है जिस में लिखा है कि श्री मैकमिलन तो विश्व सरकार के पक्ष में हैं किन्तु श्री नेहरू नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** (बरहामपुर) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या १ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री महन्ती** (ढेंकानाल) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या २ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री रघुनाथ सिंह** (वाराणसी) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या ३ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री उ० च० पटनायक** (गंजम) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या ४ प्रस्तुत करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्रीमती इलापाल चौधरी (नवद्वीप) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या ५ प्रस्तुत करती हूं ।

†श्री जगन्नाथ राव : कोरापट मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या ६ प्रस्तुत करता हूं । मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर, यह रख दिया जाये, अर्थात् :—

"यह सभा, अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति और भारत सरकार की तत्सम्बन्धी नीति पर विचार करने के पश्चात् उक्त नीति का अनुमोदन करती है ।"

†श्री मानवेन्द्र शाह (टिहरी-गढ़वाल) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या ७ प्रस्तुत करता हूं ।

†अध्यक्ष महोदय : मूल प्रस्ताव के साथ, ये स्थानापन्न प्रस्ताव सभा के सामने हैं :

†श्री श्री अ० डांगे (बम्बई नगर—मध्य) : मोटे तौर पर हम भारत सरकार की अन्तर्राष्ट्रीय नीति से सहमत हैं ।

प्रधान मंत्री ने कहा है कि भारत सरकार की नीति किसी गुट के साथ न मिलने की एक सक्रिय नीति है । इस का मतलब निष्क्रियता नहीं है ।

हमारी नीति सभी देशों से मित्रता रखने की है । लेकिन मित्रता के भी कई दर्जे होते हैं—किसी से प्रगाढ़, किसी से सदभावना की और किसी से मुलाकात की ।

मैं आम तौर पर उस नीति से सहमत हूं, जिस का निरूपण, जिस की व्याख्या समय-समय पर प्रधान मंत्री करते रहते हैं ।

लेकिन इस का मतलब यह नहीं है कि मैं कुछ बातों में उस से असहमत नहीं ।

प्रधान मंत्री ने मध्य-पूर्व में हुई क्रांतियों और सैनिक अधिनायकत्व की बात कही है । इतिहास का अध्ययन करने वाले सभी जानते हैं कि कभी-कभी क्रांतियों के बाद सैनिक शासन कायम तो होता है, लेकिन जनता के समर्थन से, और तब वह शीघ्र ही लोकतंत्र की ओर मुड़ने लगता है । इसलिये हमें मार्शल ला, सैनिक शासन, क्रान्ति, आदि के नाम पर ही नहीं जाना चाहिये । देखना यह चाहिये कि वास्तव में उस के पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही हैं । इस दृष्टि से, मध्य-पूर्व में होने वाला सैनिक शासन, पाकिस्तान में स्थापित सैनिक शासन से बिलकुल ही भिन्न है । असल में, यह काल ऐसा है जिस में एशिया और अफ्रीका महाद्वीपों में बड़ी उथल-पुथल हो रही है । बग़दाद पैक्ट की धज्जियां बग़दाद में ही उड़ा दी गई हैं । ईराक़, लेबनान, थाईलैण्ड, बरमा, पाकिस्तान, इत्यादि देशों में सरकार का रूप ही बदल चुका है ।

हम इन सभी के मध्य में अपने को पा रहे हैं । हमारा देश खुद भी बहुत विशाल है । हम अपने देश का औद्योगीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं और एक बड़ी अच्छी वैदेशिक नीति पर चल रहे हैं । चीन सभी से भिन्न है, वह तो अपनी समाजवादी राह पर चल रहा है ।

लेकिन, इन सभी परिवर्तनों में हमें सब से अधिक ध्यान किस चीज़ पर देना चाहिये ? हमारे लिये सब से महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें और हमारे जैसे अन्य लोकतांत्रिक देशों के चारों ओर सैनिक तानाशाही का एक ऐसा घेरा पड़ता जा रहा है, जिन्हें वहां की जनता का समर्थन प्राप्त

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री श्री अ० डांगे]

नहीं है, जो लोकतांत्रिक नहीं हैं। वे ईराक़ जैसे लोकतंत्र नहीं हैं, जहां सैनिक शासन ने किसानों को जमीन बांट दी है। असल सवाल तो यह है कि सैनिक शासन बाद में करता क्या है। वैसे मैं सैनिक शासनों को और सैनिक विद्रोहों को कोई अच्छा लक्षण नहीं मानता। फिर भी, हमें देखना यह चाहिये कि किसी देश विशेष में उस का काम क्या होता है।

इसीलिये, हमें देखना यह चाहिये कि उन देशों की जनता पर इन का क्या प्रभाव पड़ा है। और, यह भी कि वे हमारे प्रति क्या रुख अपनाते हैं।

इस बड़े महत्व की चीज़ तो यह है कि उन शासकों को शस्त्र किस ने दिये थे ; उन के पीछे कौन था।

इसी के देखने-समझने के बाद हमें उन से बर्ताव करना चाहिये। मित्रता तो सभी से रखनी चाहिये। लेकिन उसी दर्जे की मित्रता, जो उचित हो। इस सम्बन्ध में, जरूरी यह भी है कि हम उस शक्ति पर भी निगाह रखें, जो इन सैनिक शासनों का समर्थन करती है। इसी से यह प्रश्न पैदा होता है कि हमारे चारों ओर सैनिक शासनों का जो घेरा पड़ा है, उन का समर्थन करने वाले देशों—अमरीका और इंगलैण्ड—के प्रति हमारा क्या रुख होना चाहिये।

प्रधान मंत्री ने इंगलैण्ड द्वारा मिस्र पर आक्रमण किये जाने का बड़ा खुला विरोध किया था, हालांकि वे राष्ट्रमंडल छोड़ने को तैयार नहीं थे। लेकिन, अमरीका ?

अमरीका के साथ हमारे बड़े गहरे आर्थिक सम्बन्ध हैं। अमरीका एक ओर हमें डालर देता है और दूसरी ओर पाकिस्तान को शस्त्र। मैं यह नहीं कहता कि हमें डालर नहीं लेने चाहियें, लेकिन हमें सतर्क तो रहना ही चाहिये। मैं नहीं कहता कि हम ने अमरीकी सहायता के कारण अपनी नीति में कोई परिवर्तन कर लिया है। लेकिन हमें सतर्क रहना चाहिये, और हमारी ओर से अमरीका से सम्पर्क रखने वाले व्यक्तियों पर कड़ी नज़र रखी जानी चाहिये। उन लोगों को उचित अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार की शिक्षा दी जानी चाहिये।

मुझे विश्वास है कि प्रधान मंत्री डालरों के प्रभाव से देश की वैदेशिक नीति की रक्षा करते रहेंगे। लेकिन मुश्किल तो यह है कि सभी चीज़ों का निर्णय तो प्रधान मंत्री नहीं करते। इसलिये, ऐसे काम ऐसे व्यक्तियों को नहीं सौंपे जाने चाहियें, जो यह न जानते हों कि आसपास के इन विभिन्न सैनिक शासनों के प्रति कौनसा रुख अपनाया जाये। यह कोई बड़ी दूर की या अस्पष्ट बात नहीं है। पाकिस्तान को धड़ाधड़ अमरीकी शस्त्र मिल रहे हैं। अब हमें इस के प्रति कोई उचित और संगत रुख अपनाना ही पड़ेगा।

इस सम्बन्ध में यह घटना भी बड़े महत्व की है कि हिन्द महासागर में स्थित भारत के पास के द्वीपों के निवासियों के लाभ के लिये, वहां एक अमरीकी बेड़ा रखा जा रहा है। प्रधान मंत्री ने इस का उल्लेख भी नहीं किया है।

सिंगापुर में ऐसे ही एक बेड़े का प्रभाव हमारे सामने आ चुका है। इसीलिये मैं कहता हूं कि यह एक खतरनाक बात है और हमें इससे सावधान रहना चाहिये।

साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिये कि गोआ हमारे अधिकार में नहीं है। और जिस प्रकार गोआ को पाकिस्तान शस्त्र भेजता था, उसी प्रकार यह अमरीकी बेड़ा भी गोआ को अपना अड्डा बना सकता है।

इसीलिये मैं सावधानी रखने की बात कह रहा हूं । देश की जनता को इस की चेतावनी दी जानी चाहिये । जनता को मित्रतापूर्ण कार्यों के साथ ही, शत्रुतापूर्ण कार्यों के लिये भी तैयार रहना चाहिये ।

हम नजर किस पर रखें ? उसी अमरीका पर जो मित्रता की बातें करता हुआ भी, पाकिस्तान को शस्त्रों से सज्जित कर रहा है । अमरीकी शस्त्र हमारे खिलाफ ही तो हैं । पाकिस्तान तो खुले रूप में इसकी घोषणा करता रहता है । मैं यह नहीं कहता कि इस पर हमें अमरीका से मित्रता तोड़ देनी चाहिये, बल्कि यही कि हमें सतर्क रहना चाहिये, चीजों को समझते-बूझते रहना चाहिये । प्रधान मंत्री को अमरीका और इंगलैण्ड से पूछना चाहिये कि ऐसे परस्पर-विरोधी व्यवहार का क्या अर्थ है ।

दूसरी महत्वपूर्ण घटना पाकिस्तान में हुए परिवर्तन की है । मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि हमें सावधान रहना चाहिये ।

सावधान कैसे रहा जाये ? इस तरह कि भारत में पाकिस्तान जैसे सैनिक शासनों के प्रति भी सहानुभूति की जड़ें जरा भी न जमने दी जायें ।

और हमारे देश में जो जरा-जरा सी बात पर, जल सम्भरण की व्यवस्था बिगड़ने या बाढ़ आने पर, सेना को सारा काम सौंप दिया जाता है, इससे भी जनता में सेना की कार्यकुशलता इत्यादि की धाक बैठती है । यह ग़लत है ।

इससे होता यह है कि जनता सोचती है कि सरकार को तो हर कानून पास करने में या काम करने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन सेना उसे तत्काल निबटा देती है । इससे सैनिक शासनों के प्रति सहानुभूति पैदा होती है ।

हमें पाकिस्तान की घटनाओं से सीख लेना चाहिये ।

मैं नहीं कहता कि पाकिस्तान खुले रूप में भारतीय जनता को अपनी राह पर चलने के लिये उकसा रहा है । लेकिन दबी हुई सहानुभूति भी कभी खतरनाक रूप धारण कर सकती है । यह किसी एक दल की नहीं, पूरे देश की समस्या है ।

इसलिये हमें अपने देश की जनता को ऐसे सैनिक शासनों की असलियत समझानी चाहिये । हमें अपनी खामियां और ग़लतियां भी उसके सामने रखनी चाहियें ।

मैं मानता हूं कि अभी भारत में इस समय किसी अयूब खां के उठने की सम्भावना नहीं है । लेकिन ऐसे प्रचार का कुछ प्रभाव तो पड़ता ही है ।

मैं मानता हूं कि हम इस सम्बन्ध में पूरी तौर से सावधानी रख रहे हैं, और कुछ कार्यवाहियां भी कर रहे हैं । लेकिन हमें कुछ चीज़ों पर कुछ ज्यादा जोर देना चाहि । एक तो यह कि हमारे सेना-प्रधानों को इंगलैण्ड के सेना-प्रधानों से बहुत अधिक सम्पर्क में नहीं रहना चाहिये । यह ठीक है कि हम राष्ट्रमण्डल के सदस्य हैं, लेकिन हमारी और इंगलैण्ड की आक्रमण तथा प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति तो समान नहीं है । मिस्र पर आक्रमण के समय, इंगलैण्ड ने हम से पूछा भी नहीं था ।

कहा जाता है कि हमारे सेना-प्रधान वहां सीखने के लिये जाते हैं । सम्मेलनों में युद्ध-नीति नहीं सीखी जाती । हमें अपनी सैनिक नीति स्वतंत्र रखनी चाहिये ।

हमारी नौसेना को ब्रिटिश नौसेना के साथ इतना अधिक सम्पर्क नहीं रखना चाहिये ।

[श्री डांगे]

कुछ लोग कहेंगे कि हमारे कमांडर तो सोवियत यूनियन में भी गये थे। सोवियत यूनियन में वे परेड देखने गये थे, सम्मेलनों के लिये नहीं। हमारी सेना सोवियत यूनियन के साथ इतना गहरा सम्बन्ध और सम्पर्क नहीं रखती। हमें इन बातों में भी किसी एक गुट के साथ शामिल नहीं होना चाहिये।

मैं यह नहीं कहता कि हमारे किसी कमांडर के अमरीका जाने से उसकी देशभक्ति खत्म हो जायेगी। हमारी पूरी सेना बड़ी देशभक्त है। लेकिन यह हमारे देश की प्रतिष्ठा और विचारधारा के विरुद्ध है।

तीसरा प्रश्न यह है कि हमारे शस्त्रास्त्रों का ढंग क्या है ? यह तो ठीक है कि हमें जिस देश से भी शस्त्र मिलें लेने चाहियें। लेकिन हमारे सभी शस्त्र एक अन्य देश के शस्त्रों के ढंग के ही नहीं होने चाहियें। यह ग़लत होगा। हमें विभिन्न देशों से शस्त्र खरीदने चाहियें।

अभी तो हम केवल इंगलैण्ड से ही शस्त्र खरीदते हैं, और इतना ही नहीं हम अपने भी जो शस्त्र बनाते हैं वे भी इंगलैण्ड के ढंग के ही होते हैं।

इसलिये आपको शस्त्रों की प्रविधिकता और उनकी रचना के प्रश्न पर भी विचार करना चाहिये। इसमें शस्त्रों के सस्ते या महंगे मिलने का प्रश्न नहीं है। मिस्र का उदाहरण लीजिये। मिस्र के पास पहले सारे शस्त्र इंगलैण्ड के ढंग के ही थे, लेकिन बाद में मिस्र ने चैकोस्लोवाकिया से शस्त्र खरीद कर ही सफलता से इंगलैण्ड की सेनाओं से लोहा लिया था। प्रधान मंत्री को इस पर भी विचार करना चाहिये।

यदि यह किया जाये, तो मंत्रियों के विचारों में थोड़ी-बहुत भिन्नता का भी, हमारी नीति पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। माननीय मंत्रियों के वक्तव्य सरकार की सामान्य नीति के अनुरूप ही रहने चाहियें। यह तो ग़लत है कि एक ओर तो प्रधान मंत्री कहें कि चीन द्वारा क्विमोय द्वीपों पर बमबारी करना उचित था, और कोई दूसरे सज्जन कहीं और कहें कि अहिंसा को भी नहीं भुलाया जाना चाहिये। ऐसे सज्जनों को दर्शन की बातें दिल्ली तक ही सीमित रखनी चाहियें।

यही मेरे सुझाव हैं। मैं यही चाहता हूं कि हमारी सही और दृढ़ नीति को उचित ढंग से, सही तौर पर ही कार्यान्वित किया जाये। सामान्य नीति का मैं समर्थन करता हूं।

†**आचार्य कृपलानी** (सीतामढ़ी) : श्रीमान् पिछली बार जब हम विदेशी नीति की चर्चा कर रहे थे तब अरब विश्व में युद्ध के बादल मंडरा रहे थे। पश्चिमी देशों के हस्तक्षेप ने मध्यपूर्व की स्थिति को ज्वालामुखी बना दिया था। आज वहां पर अस्थायी शान्ति व्याप रही है। परन्तु बर्लिन में असन्तोष बढ़ रहा है। मैं आशा करता हूं यह असन्तोष भी शीघ्र समाप्त हो जायेगा।

आज कल की सब से मुख्य घटना है एशिया तथा अफ्रीका में सैनिक प्रकार की सरकारों का प्रादुर्भाव होना। ईराक, बर्मा, थाइलैंड और सुडान में कुछ दिनों से सैनिक सरकारें स्थापित हो चुकी हैं। इससे पहले मिस्र में सैनिक क्रान्ति हुई थी।

हमें यह देखना है कि इन सैनिक क्रान्तियों के क्या कारण हैं ? मैं समझता हूं राजनीतिज्ञों द्वारा ईमानदार, दक्ष तथा प्रगतिशील सरकार की स्थापना न कर सकना ही इस का सब से बड़ा कारण है। जब राजनीतिज्ञ परस्पर वैमनस्य, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता आदि के कारण कुछ काम नहीं कर पाते हैं तब एक खुलाव पैदा हो जाता है जिसको अपेक्षाकृत सुसंगठित संस्था ही

†मूल अंग्रेजी में

पूरा कर सकती है । और क्योंकि किसी देश में सेना ही सब से अधिक संगठित होती है इसलिये वह सत्ता की बागडोर आसानी से अपने हाथ में सम्भाल लेती है ।

कुछ लोगों का यह मत है कि इन सैनिक क्रान्तियों के पीछे विदेशी हाथ रहता है । यह हो भी सकता है और नहीं भी । ठीक-ठीक कहना बड़ा कठिन है । किन्तु इस में कोई सन्देह नहीं कि साम्यवादी व प्रजातांत्रिक दोनों ही शक्तियां अन्य देशों में सैनिक क्रान्तियां कराने से गुरेज़ नहीं करतीं । कदाचित दोनों शक्तियां यह समझती हैं कि सैनिक किन्तु शक्तिशाली सरकार के हाथों में उनके निहित स्वार्थ राजनीतिक किन्तु दुर्बल सरकार की अपेक्षा अधिक सुरक्षित हैं ।

प्रजातांत्रिक सरकारों को इतिहास से सबक सीखना चाहिये । उन्हें अपने तत्कालीन अनुभवों से सचेत हो जाना चाहिये । हम सब को भली भांति विदित है कि दो युद्धों में कैसे असमानों म गठबंधन हुए । स्टालिन और हिटलर का मेल कैसे बदल गया और फिर रूस प्रजातांत्रिक शक्तियों से मिल गया । हालांकि न रूस प्रजातंत्र में विश्वास करता था और न पश्चिमी शक्तियों को रूस पर भरोसा था । मगर फिर भी दोनों विरोधियों का गठबन्धन था । क्यों ? दोनों यत्र तत्र अपना प्रभाव तथा प्रभुत्व फैलाना चाहते थे । उनकी इस प्रवृति से ही शीत युद्ध का सूत्रपात हुआ जिसके करिश्मे हम हर रोज़ देख रहे हैं ।

बापू कहा करता था हमें लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये साधनों के औचित्य का भी पूरा-पूरा ध्यान रखना चाहिये अन्यथा साधनों के पतित होने से लक्ष्य भी कलुषित हो जाता है । संदिग्ध गठबन्धनों से राजनीति में कभी स्थिरता अथवा स्थायित्व नहीं आ सकता । हमें प्रत्येक देश से सोच समझ कर गठबन्धन करना चाहिये चाहे वह रूस हो या अमेरिका ।

पाकिस्तान में सैनिक शासन की स्थापना हो गई है । ठीक है हमें इस बात की चिन्ता नहीं करनी चाहिये कि किसी देश की सरकार का कैसा ढांचा है । मगर हमें पड़ौसी देशों की घटनाओं से अवश्य सबक लेना चाहिये । जिन कारणों से वहां पर सैनिक क्रान्ति हुई है यहां पर भी वह सभी कारण थोड़ी बहुत मात्रा में विद्यमान हैं । यहां भी राजनीतिज्ञों में सत्ता के लिये होड़ लगी है, उनमें परस्पर फूट, वैमनस्य और गुटबन्दी फैली हुई है, जनता में निर्धरता विराजमान है । जब तक हम लोगों में सचाई नही आयेगी तब तक हमारे देश में भी इस प्रकार की घटना की आवृति होने का भय बना रहेगा ।

आज कांग्रेस की हालत बड़ी खराब है । वह फूट, वैमनस्य और गद्दियां हथियाने का अखाड़ा बन रही है । हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां बड़ी दुर्बल एवं दूषित बनी हुई हैं । यह विष सारे देश के लिये घातक सिद्ध हो सकता है । ऐसी घटनाओं की आवृति को रोकने के लिये हमें अपने देश की आन्तरिक राजनीतिक दशा को तत्काल सुधारना होगा ।

यद्यपि हमारा पाकिस्तान की आन्तरिक राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं फिर भी वहां की सरकारों के बदलने का हमारे देश पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। वहां जो भी सरकार आती है वह यही धमकी देती है कि हिन्दोस्तान हमारा सबसे पहला शत्रु है। हमारी सब मुसीबतों की जड़ हिन्दोस्तान है। इस लिये हिन्दोस्तान के साथ सभी मसलों का लड़ कर या मर कर जैसे भी हल करना चाहिये। इस प्रकार का रवैया वहां की सभी सरकारों में समान रहा है। हमें इस पर विशेष ध्यान देना चाहिये।

सीमा-विवाद हमारे लिये स्थायी रिकथ हैं। प्रधान मन्त्री ने कहा है यह अधिक महत्व नहीं रखते किन्तु मैं समझता हूं जिन लोगों की जानें व माल जाते हैं उनके लिये ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। सरकार को सीमा स्थित लोगों को अपनी रक्षा के लिये आत्म निर्भर बनाने के लिये उचित रीति से सुसज्जित बनाया जाना चाहिये। उन्हें सरकार की ओर से पर्याप्त मात्रा में शस्त्र दिये जाने चाहियें। शस्त्र बल से ही

[आचार्य कृपलानी]

आक्रान्ताओं के दांत खट्टे किये जा सकते हैं अहिंसा और सहअस्तित्व के नारों से नहीं। हमें पाकिस्तान को हर समय मुंह तोड़ जवाब देने के लिये तैयार रहना चाहिये मगर साथ ही उनकी 'जिहाद' की धमकियों से घबरा कर प्रतिरक्षा पर अंधाधुंध व्यय नहीं बढ़ाना चाहिये। प्रधान मंत्री ने कहा है कि क्योंकि पाकिस्तान को अमेरिका से सैनिक सहायता मिली है इसलिये हमको भी मजबूर होकर अन्य ताकतों से अस्त्र लेने पड़े हैं, यदि ऐसा न हुआ होता तो हम इन अस्त्रों पर कभी रुपया न व्यय करते। प्रतिरक्षा के लिये श्री भरूचा ने जो योजना बनाई है उससे हमारा दिवाला निकल जायेगा। मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री डांगे ने कहा है कि हमें युद्ध का भय नहीं करना चाहिये। इसकी बजाये हमें अपन देश को बड़ी शीघ्रता से औद्योगिक देश बनाने का यत्न करना चाहिये। मेरी समझ में यह बात नहीं आ सकी है। अगर रूस लड़ाई नहीं चाहता है तो वह भारी उद्योगों पर इतना बल क्यों दे रहा है और अपने यहां के लोगों को सामान्य वस्तुओं से वंचित रख कर युद्ध के लिये क्यों तैयार कर रहा है। हमें भी युद्ध का मुकाबला करने के लिये लोगों को नैतिक तथा आर्थिक दृष्टि से तैयार करना होगा। इसके लिये देश में राष्ट्रीयता और संगठन की भावना का प्रचार करना होगा।

हमें प्रत्येक विदेशी मित्र पर एक जैसा विश्वास करना चाहिये चाहे वह चीन हो या अमेरिका। इस प्रसंग में मैं अपने प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा विदेशों में किये गये संविदाओं का ज़िक्र करना चाहता हूं। हमें शस्त्रास्त्रों की खरीद में बड़े सावधान रहना चाहिये। कई बार ऐसा हुआ है कि सिपाही लड़ने मरने को तैयार होते हैं मगर उनके हथियार उनको धोखा दे जाते हैं। हमें किसी भी संदिग्ध अभिकरण या सार्थ से या देश से हथियार नहीं लेने चाहियें। हमें ऐसी सार्थों को ही ठेका देना चाहिये जो उसको पूरा कर सकें। हमारे सैनिक विभाग को कोई ऐसा सौदा नहीं करना चाहिये कि लोग इसे सन्देह की दष्टि से देखें। हमें अपने प्रशासन को प्रत्येक प्रकार के भ्रष्टाचार व रिश्वतखोरी से बचाने का भरसक प्रयत्न करना चाहिये ताकि लोगों की सरकार में आस्था जम सके।

अब म कश्मीर के बारे में भी चन्द शब्द कहना चाहूंगा। हम वहां पर केवल एक व्यक्ति के भरोसे पर ही सब कुछ कर रहे हैं। यदि हम कश्मीर की जनता से अधिक स्वामी भक्ति तथा देशभक्ति चाहते हैं तो हमें वहां की जनता से सीधा सम्पर्क स्थापित करना चाहिये। हमें उन लोगों को भी वही नागरिक अधिकार अथवा स्वतन्त्रताएं देनी चाहियें जोकि हमारा संविधान शेष भारत के लोगों को देता है। कुछ वर्ष पूर्व वहां पर मेरे साथी श्री अशोक मेहता को बुरी तरह पीटा गया था। अभी हाल ही में मेरे एक अन्य साथी श्री बलराज पुरी को मारा गया है। यह सब वहां के सत्तारूढ़ दल की तानाशाही प्रवृत्तियों का द्योतक है। आज भी भारत में राजनीतिक विरोधियों को मारा पीटा व धमकाया जाता है। उनके पीछे गुप्तचर लगाये जाते हैं। सरकार के लिये ऐसी घटनायें बड़े शर्म का मुकाम है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सुश्री मृदुलाबाई ने तो कोई देशद्रोहात्मक कार्य किया है? मुझे दृढ़ विश्वास है वह कभी ऐसी चीज़ों में नहीं फंस सकती। मैं अपील करूंगा कि उनको तुरन्त रिहा कर देना चाहिये अथवा उन पर नियमपूर्वक अभियोग चलाया जाना चाहिये।

†श्री रंगा (तेनालि): श्रीमान्, अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में काली घटाओं के बीच कुछ सुखद वर्षा भी हुई है और वह है अफ्रीका के लोगों का फ्रांसीसी उपनिवेषवाद से मुक्त होना। प्रतिदिन अफ्रीका के अधिकाधिक लोग स्वतन्त्रता के सूर्य के दर्शन कर रहे हैं। उस सम्बन्ध में मैं फ्रांस के वर्तमान प्रधान मन्त्री जनरल डी गाल की नीति की भूरि भूरि प्रशंसा करता हूं। अफ्रीका के लोग अब संगठित होने का जो प्रयास कर रहे हैं वह भी एक बड़ी हर्षवर्धक घटना है। न्यू गिनी और गिनी दोनों देशों के नेताओं के बीच इस सिल-

†मूल अंग्रेज़ी में

सिले में जो बातचीत चल रही है मैं उसके सफल होने की कामना करता हूं। मैं चाहता हूं कि अफ्रीका के अन्य छोटे-छोटे राष्ट्र भी इस दिशा में आगे बढ़ें।

दूसरी ओर लेटिन अमेरिकन देशों में बड़ी खराब स्थिति हो रही है। वहां के छोटे स्वतन्त्र राज्य अमेरिका के साथ सैनिक तथा आर्थिक दृष्टि से अनुचित रूप से सम्बद्ध हो रहे हैं। स्वतन्त्र राष्ट्रों को इस बात की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये कि लेटिन अमेरिका अथवा अफ्रीका के नवस्वतन्त्रता प्राप्त छोटे छोटे देश युद्ध भय के कारण रूस अथवा अमेरिका के पंजों में न फंस जायें और उनकी स्वतन्त्रता नाममात्र की स्वतन्त्रता बन जाये। इससे विश्व में प्रजातन्त्र को बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। इन राष्ट्रों के निर्माण से संयुक्त राष्ट्रसंघ में शक्ति सन्तुलन पर भी बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। इसके इलावा इन देशों का संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अभिकरणों में बड़ा महत्व रहेगा। अतः इनकी स्वतन्त्रता को अक्षुण्ण तथा वास्तविक बनाने का जिम्मा हो जाता है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

इसके बाद मैं पाकिस्तान से सम्बन्धों को लेता हूं। हमें पाकिस्तान की धमकियों के बारे में बड़ा सचेत रहना चाहिये। इस बारे में आचार्य कृपलानी ने जो कुछ कहा है मैं उसका पूर्ण समर्थन करता हूं। विशेषरूप से उन्होंने राजनीतिक दलों को अपना नैतिक स्तर ऊंचा उठाने तथा सुसंगठित एवं सुदृढ़ होने के लिये जो चेतावनी दी है वह बड़ी ध्यान देने योग्य है। आज न केवल हमारे पड़ौसी देशों में बल्कि हमारे देश के एक राज्य, केरल में भी तानाशाही प्रकार की सरकार बन चुकी है। यदि हम लोग अब भी न सम्भले तो किसी दिन सारे देश में ऐसी सरकार स्थापित हो सकती है।

हमें केवल अपनी तटस्थता की नीति से ही सन्तुष्ट नहीं रहना चाहिये। स्वेज़ काण्ड से हमें शिक्षा लेनी चाहिये और संयुक्त राष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा मित्र बनाने का प्रयत्न करना चाहिये ताकि जब कभी हमारा कोई मामला उस सभा में जाये हमें अधिक से अधिक देशों का नैतिक संबल प्राप्त हो सके।

मेरे मित्र श्री डांगे ने अमेरिका की चालाकियों का विशद् वर्णन किया है। हम अमेरिका अथवा रूस किसी भी देश के विरोधी नहीं हैं। हम दोनों से सहायता लेने को तैयार हैं। मैं तो यहां तक कहने को तैयार हूं कि अगर हमें रूस से फौजी सहायता भी मिले तो हम उसको भी स्वीकार करने को तैयार हैं। मगर इसके बदले में हम अपने देश की स्वतन्त्रता को नहीं बेचना चाहते। हमें जहां तक हो सके विदेशों से कम से कम सहायता लेनी चाहिये। हमारे लिये यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि शस्त्रों के लिये ब्रिटेन तथा अमेरिका का मुंह देखना पड़ता है। हिन्दोस्तान को जहां तक हो सके आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करना चाहिये।

अमेरिका पाकिस्तान को शस्त्रों की सहायता देकर और भारत को डालर देकर बड़ी मूर्खतापूर्ण और विरोधी नीति पर चल रहा है। क्योंकि वह इस प्रकार से हिन्दोस्तान को इच्छा न रहते हुए भी शस्त्रों पर डालर व्यय करने के लिये मजबूर कर रहा है। हमने उसको कई चेतावनियां भी दी हैं मगर वहां के निहित स्वार्थी लोगों पर इसका कोई प्रभाव पड़ता नहीं दिखाई देता।

हम अपने देश में उद्जन तथा अन्य बम्बों के परीक्षणों को बन्द करने के लिये एक आन्दोलन चला रहे हैं। हम बड़ी ताकतों को आण्विक परीक्षण बन्द करने के लिये अपीलें कर रहे हैं। इसके पीछे यदि हम अपने देश में विनाशकारी अस्त्रों के निर्माण पर बल देने की नीति अपनाने पर बल देते हैं तो विश्व हमारे बारे में क्या अनुमान लगायेगा। मैं अपने राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का बड़ा कृतज्ञ हूं कि उन्होंने विदेशों का भ्रमण करके लोगों की पंचशील और अहिंसा में आस्था बढ़ाई है।

[श्री रंगा]

मैं प्रधान मंत्री का इस बात के लिये अत्यन्त धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने हाल ही में प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा विदेशों में शस्त्रों आदि के लिये किये गये सौदों में इस सभा का विश्वास बंधाने का प्रयास किया है। आचार्य कृपलानी ने कुछ बहुत पुराने संविदाओं का उल्लेख किया है जोकि कुछ वर्ष पूर्व लोक-लेखा समिति के सामने आये थे। हमें किसी एक अनियमितता की बार बार रट लगाकर सरकार को व्यर्थ में नहीं बदनाम करना चाहिये। मैं समझता हूं प्रधान मंत्री के इस स्पष्टीकरण के बाद किसी सदस्य को प्रतिरक्षा विभाग पर व्यर्थ सन्देह नहीं करना चाहिये।

अंत में मैं प्रधान मंत्री को इस बात के लिये बधाई दूंगा कि वह बड़ी लग्न, योग्यता और निर्भीकता से भारत की प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाये हुए हैं। वह भारतीय परम्परा के अनुसार सही रूप में विश्व शान्ति का झंडा ऊंचा उठाये हुए हैं।

†**श्री दिनेश सिंह** (बांदा) : श्रीमान्, आज हमारे सम्मुख सब से बड़ी समस्या पाकिस्तान के साथ सम्बन्ध बनाने की समस्या है। आज वहां पर सैनिक तानाशाही है। इसलिये हमें बड़े सम्भल कर चलना होगा। पाकिस्तान के वर्तमान शासकों का वर्ग पश्चिमी पाकिस्तान के कुछ सैनिक अधिकारियों का वर्ग है। अभी वे पूर्वी पाकिस्तान पर पूरा कब्जा नहीं जमा पाये हैं। इसलिय वहां की जनता के मतों को आतंकित करने के लिये वह पूर्वी सीमान्त पर झगड़े पैदा कर रहे हैं। हमें उनकी इस चाल से बचना चाहिये और भड़क कर वहां पर वैसा ही आचरण नहीं करना चाहिये। हां, जो दुसाहसी लोग हमारे क्षेत्र में घुस आये उनको अवश्य ऐसा पाठ पढ़ाना चाहिये कि फिर उनका कोई भाई ऐसा दुसाहस न कर सके।

हमे पाकिस्तान के साथ दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्धारित करनी चाहिये। हमें ऐसी नीति अपनानी चाहिये कि उसे सभी दलों का समर्थन प्राप्त हो सके। इससे सरकार को पाकिस्तान के साथ कोई भी समझौता करने में बड़ी सहायता मिल सकेगी।

मैं सरकार की तटस्थता तथा मैत्री की नीति के लिये बधाई देता हूं। यह नीति बड़ी कठिन नीति है। विशेषकर जब कि संसार के अनेक देश छोटे छोटे वर्गों में व फिर दो बड़े गुटों में बंटे हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र तथा उसके विभिन्न अभिकरणों में हमारे प्रतिनिधियों ने इस नीति पर चल कर बड़ा सराहनीय कार्य किया है। इसके लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं।

विश्व की स्थिति में आज बड़े परिवर्तन आ रहे हैं। अनेक देशों में सरकारें बदल रही हैं और कई स्थानों पर सैनिक शासन स्थापित हो चुके हैं। एशिया में केवल दो देशों में ही प्रजातांत्रिक सरकारें रह गई हैं। अन्य सब जगह पर किसी न किसी प्रकार की तानाशाही है। यद्यपि हम उन देशों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते तो भी हमें प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिये भरसक प्रयत्न करना चाहिये। हमें लोगों को अपनी स्वतंत्रता बनाये रखने के लिये उन्हें सैनिक संधियों से दूर रहने की प्रेरणा देनी चाहिये।

इस कार्य के लिये हमारे विदेशों स्थित दूतावासों का बड़ा महत्व बढ़ जाता है। जब कभी किसी देश में कोई बड़ा परिवर्तन होता है उन दिनों हमारे राजदूतों को स्वयं उस देश में रहना चाहिये और सब वस्तुस्थिति की व्यक्तिगत जानकारी देनी चाहिये ताकि हमें सही सही तथ्य ज्ञात होते रहें। हमारे राजदूतों को विदेशों में इस प्रकार ले रहना चाहिये कि उन देशों के अधिक से अधिक लोग उनसे मिल सकें या वे अधिक से अधिक लोगों से सम्पर्क स्थापित कर सकें। उन्हें अन्य देशवासियों को भारत की सांस्कृतिक परम्पराओं तथा समस्याओं का अवबोध कराना चाहिये जिस में

†मूल अंग्रेजी में

उन लोगों की भारत से सहानुभूति बढ़ सके। यदि हम यह कार्य कर सकें तो हमारी विदेशी नीति बड़ी सफल हो सकती है।

विरोधी दल के कुछ सदस्यों ने यह कहा है कि हमारे सैनिक पदाधिकारी केवल एक दो देशों में ही प्रशिक्षण व पर्यवेक्षण के लिये जाते हैं। मेरी समझ में नहीं आता इस में उनका क्या कसूर है। मेरी राय में जो कोई देश उनको निमन्त्रण भेजेगा या भारत के साथ मिलकर अभ्यास करने को तैयार हो, हम उनको उस देश में भेजने को तैयार हैं।

यह कहा गया है कि अस्त्रों के क्रय में हमें केवल एक देश या वर्ग पर निर्भर नहीं रहना चाहिये। इस के लिये एक निश्चित मानक बना लेना चाहिये। जो भी देश उसके अनुसार अस्त्र देना चाहे हम को खरीदने के लिये तैयार रहना चाहिये। अंत में मैं भारत की विदेशी नीति का समर्थन करता हूं और उसके लिये प्रधान मंत्री को बधाई का पात्र समझता हूं।

श्री ब्रजराज सिंह (फ़िरोज़ाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, बार बार इस सदन में विदेश नीति पर बहस होती है और बार बार यह प्रस्ताव पास होता है कि हिन्दुस्तान की सरकार की विदेश नीति अत्यन्त सफल रही है और उस ने संसार में देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। हम यह बहस करते रहते हैं और दुनिया एक तरफ़ आगे बढ़ती जा रही है। हम देखते हैं कि हमारे आस-पास के देशों में फ़ौजी शासन की प्रवृत्ति बढ़ रही है। पिछले अगस्त के अधिवेशन में हम ने इस सम्बन्ध में बहस की थी। उस समय से ले कर आज तक कई मुल्क फ़ौजी शासन के अन्तर्गत चले गए हैं। आज हम को देखना पड़ेगा कि इन घटनाओं का मूल कारण क्या है और दुनिया में इस प्रकार की प्रवृत्ति क्यों बढ़ रही है ?

दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं, जो कि छोटे छोटे मुल्कों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना शासन कायम करना चाहते हैं। चूंकि पिछले ज़माने की कालोनियलिज्म या उपनिवेशवाद को वे कायम नहीं रख सकते, इसलिए वे दूसरे तरीकों से उपनिवेशवाद को चलाना चाहते हैं और छोटे छोटे देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं। यदि हम मध्य पूर्व और हमारे घर के पास पूर्व में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करें, तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि एक खास उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुछ मुल्कों में फ़ौजी शासन कायम किया जा रहा है। आज प्रधान मंत्री महोदय ने कहा कि दूसरे मुल्कों में——वे चाहे पड़ौसी मुल्क हों या दूसरे मुल्क हों——क्या होता है, उस में दखल देने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। यह बात सही है, लेकिन इस के साथ ही साथ हम को यह भी सोचना पड़ेगा कि हमारे आसपास जो फ़ौजी शासन कायम हो रहे हैं, उन की वजह से क्या हमारे अपने अस्तित्व को ही तो ख़तरा नहीं पहुंचता है और उन के पीछे उद्देश्य क्या है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम बार बार कहते रहे कि देशों को शान्ति की नीति अख्तियार करनी चाहिए, लेकिन बावजूद इस के हम देखते हैं कि दुनिया शान्ति से दूर जा रही है। न्युक्लीयर टेस्ट्स हों या हथियारों की दौड़, उन सब में दुनिया आगे बढ़ रही है। इस के बावजूद हम बार बार कहते रहे कि हमारी नीति सफल होती जा रही है। तथ्य यह है कि हिन्दुस्तान की पृष्ठभूमि की वजह से हमारे देश की सरकार को और हमारे प्रधान मंत्री महोदय को दुनिया में न सिर्फ हिन्दुस्तान की प्रतिष्ठा को ऊंचा करने के लिए बल्कि दुनिया से लड़ाई को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए और स्थायी शान्ति को स्थापित करने के लिए जो अवसर प्राप्त था उस असवर को उन्होंने बुरी तरह से खो दिया है, उस में वे बुरी तरह से विफल रहे हैं। कितना ही अच्छा होता कि दुनिया के अर्द्धविकसित, अविकसित और पिछड़े हुए देशों को, जो कि किसी तरह से लड़ाई नहीं चाह सकते जो किसी से लड़ने की सोच नहीं सकते, जो यह नहीं चाहते कि उन पर हमला हो, संगठित किया जाता, इकट्ठा किया जाता और तब दुनिया के उन देशों से, जो कि लड़ाई चाहते हैं, जिन्होंने अपना औद्योगीकरण कर रखा है

और उस के उत्पादन के लिए बाज़ार प्राप्त करने के लिए लड़ाई चाहते हैं, दूसरों पर अपना प्रभुत्व कायम रखना चाहते हैं, यह कहा जाता कि दुनिया का तीन-चौथाई हिस्सा लड़ाई नहीं चाहता है। तब संसार में एक तृतीय शक्ति का उदय होता, जो स्पष्ट तौर से कहती कि हम किसी सूरत में लड़ाई नहीं चाहते। मैं मानता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री महोदय यह कह सकते हैं कि इस तरह की कोई शक्ति बने भी, तो उस की अपनी शक्ति क्या होगी, उस के पास फ़ौज और अन्य साधन नहीं होंगे, जिस से कि वह लड़ाई को रोक सके। मैं मानता हूं कि उस के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं होगी, ऐसे कोई हथियार नहीं होंगे, जिनसे वह दुनिया के बड़े राष्ट्रों को लड़ाई से रोक सके। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस के पास दुनिया की तीन-चौथाई आबादी का जनमत तो होगा, जो यह कहेगा कि हम किसी तरह से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। हम न भूल जायें मिस्र की मिसाल को, जिस में मिस्र के राष्ट्रपति नासिर ने बहुत ही बहादुरी से अपने देश पर होने वाले आक्रमण का मुकाबला किया। उस समय दुनिया का जनमत यह था कि मिस्र पर जो हमला किया गया है, वह ग़लत है और वह हमला खत्म हो, मिस्र की राष्ट्रीय स्वतंत्रता **इन्टेक्ट** बनी रहे। यदि हिन्दुस्तान की सरकार ने ऐसी तृतीय शक्ति का सृजन किया होता तो, दुनिया में आज जितनी अशान्ति है, या लड़ाई होने की जितनी सम्भावना है, वह न होती और हम शान्ति की तरफ़ अधिक गए होते।

दुनिया में एक विश्व सरकार कायम करने की बात कही गई। आज सवेरे प्रधान मंत्री महोदय ने सही कहा कि आज दुनिया विश्व सरकार से जितनी दूर है, उतनी शायद पहले कभी नहीं थी। लेकिन सवाल यह है कि वह दूर क्यों जा रही है और एक विश्व सरकार के कायम होने की सम्भावनाएं क्यों नष्ट हो गई हैं। हम ने यह भी देखना है कि इस सम्बन्ध में हमारा जो हिस्सा था, क्या हम ने वह अदा किया और हिन्दुस्तान इस के लिए जितनी कोशिश कर सकता था, क्या वह कोशिश की गई। मैं यह नहीं कहता कि हम युटोपिया की बात करें---एक ऐसे संसार का स्वप्न लें, जिस का अस्तित्व नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी नीति शान्ति कायम करने की है। हम ने नान-एलाइनमेंट के मार्ग को चुना है और यह निश्चय किया है कि हम किसी भी गुट के साथ नहीं रहेंगे वह सही है, लेकिन हम इस से आगे जा सकते थे और दुनिया को बचा सकते थे। मैं यह पूछना चाहता हूं कि हम ने अपने पड़ौस में एशिया के पिछड़े हुए देशों, सुदूर पूर्व, मध्य पूर्व और अफ्रीका के देशों को संगठित करने और इस तरह दुनिया की तीन-चौथाई आबादी को एक करने की कौन सी कोशिश की। आज घाना के प्राइम मिनिस्टर और गिनी के शासक इकट्ठा होने की बात सोचते हैं, हालांकि वे उनके क्षेत्र कानटिगुअस नहीं हैं और उन के बीच में बहुत बड़ी टेरीटरी है। फिर भी वे एक संघ बनाने की बात सोचते हैं, न सिर्फ़ अपनी सुरक्षा के लिए बल्कि दुनिया में शान्ति कायम करने के लिए। प्रधान मंत्री महोदय ने सही कहा कि अफ्रीका में संघ बनाने की प्रवृत्ति चल रही है और उस का स्वागत करना चाहिए, लेकिन हम ने ऐसे देशों को संगठित करने की कौन सी कोशिश की है, ऐसी शक्तियों को इकट्ठा करने की क्या कोशिश की है, जो लड़ाई नहीं चाहते, जो कि अपना अस्तित्व कायम रखना और अपनी हालत सुधारना चाहते हैं ताकि दुनिया के गरीब लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान मिल सके और वे अच्छी ज़िन्दगी व्यतीत कर सकें? विदेश नीति के सम्बन्ध में हमारी सरकार की सब से बड़ी सफलता यह है कि उस के पास एक तृतीय शक्ति बना कर के संसार में स्थायी शान्ति कायम करने का जो अवसर था, उस को उस ने बहुत बुरी तरह से खो दिया। उस का प्रभाव और शक्ति संसार में तीसरी लड़ाई को रोकने के लिए काम कर सकती थी लेकिन उस ने इस अवसर को खो दिया और इस तरह खो कर उस ने दुनिया को तीसरी लड़ाई में जाने के लिए छोड़ दिया है। मेरी आशा है कि दुनिया में कभी कोई तीसरी लड़ाई नहीं होगी। इस सम्बन्ध में हमारे पड़ौस के मुल्क---अभी कल के हमारे भाई, हमारे साथी और एक खून के लोगों---के साथ लड़ाई होने की

बात भी चलती है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के शासक हिन्दुस्तान की तरफ़ आंख उठाने की कोशिश नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो मैं प्रधान मंत्री महोदय से कहूंगा कि हिन्दुस्तान का एक एक नागरिक देश की आज़ादी की रक्षा करने के लिए अपने खून की एक एक बूंद देने के लिए तैयार होगा। इस में शक की कोई बात नहीं है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या वहां फ़ौजी शासन कायम होने से पहले हमने पाकिस्तान के नागरिकों को उठाने का--उसके मामलों में दखल दे कर नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक सार्वभौम और सर्वसत्तासम्पन्न राज्य के मामलों में हम दखल दें--कोई प्रयत्न किया लेकिन उसके साथ साथ हम जो कुछ वहां कर सकते थे और जितना कुछ किया उसमें भी मैं निवेदन करता हूं कि हम असफल रहे। मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान के लिए हम कभी भी यह न कहें कि हम उसके साथ लड़ाई चाहते हैं या उसके साथ हमारी लड़ने की इच्छा है और न ही हम यह चाहेंगे कि उसके साथ हमारी लड़ाई हो लेकिन अगर हम पर हमला होता है--मैं आशा नहीं करता कि हम पर हमला होगा, उनको भी अक्ल आएगी, उनको भी बुद्धि आएगी--तो हमें उनका मुकाबला करना ही होगा। आज तक जो भी वहां के शासक रहे हैं और जब से पाकिस्तान बना है तभी से यह आवाज़ उठती रही है और खास तौर पर जब भी वहां पर किसी बनी हुई सरकार का अस्तित्व खतरे में हुआ है उसने यही नारा लगाया है कि कैनाल वाटर्स और काश्मीर की जो समस्यायें हैं, इनको हल किया जाना चाहिये और अगर ये समस्यायें शान्तिपूर्ण ढंग से हल नहीं होती हैं तो ये लड़ाई से हल होंगी। पाकिस्तान के लिए लड़ाई लड़ना आसान नहीं है। बात कही जा सकती है लेकिन बातों से लड़ाई नहीं लड़ी जाती। वहां की जनता भी गरीबी में पिस रही है, उसको एक बार भी मौका नहीं दिया गया है कि वह अपनी पसन्द की सरकार चुने केन्द्र में। लेकिन वहां पर जो भी शासक लोग आये हैं उन्होंने हमेशा ही कहा है कि हम शान्ति से और शान्ति से यह सम्भव नहीं हुआ तो लड़ाई करके मामला तय करेंगे। लेकिन वह स्थिति का सही सिंहावलोकन नहीं है। लेकिन इतना होने पर भी यदि वे इस तरह की गलती करते हैं और लड़ाई छेड़ते हैं तो विशवस रहे कि हिन्दुस्तान की सरकार क्या, हिन्दुस्तान के लोग भी जिन की पृष्ठभूमि यह रही है, जिनकी ट्रेडिशन (परम्परा) यह रही है कि वे जुल्म को सहें और इसको सहने की उनमें ताकत भी काफी रही है, व कभी भी इस तरह की चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिये कि लड़ाई न हो लेकिन इतना होने पर भी अगर लड़ाई होती है तो हमें उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिये।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे आस पास के बहुत से मुल्क हैं जिन के साथ मिल कर के हमें शान्ति स्थापित करने या शान्ति बनाये रखने के लिये कोशिश करनी चाहिये थी। अगर ऐसा किया गया होता तो फिर चाहे रूस होता या अमरीका होता--ये दोनों ही हमारे मित्र देश हैं हमारी विकास योजनाओंमें ये हमारी मदद भी करते हैं और हम इनके इस के लिये आभारी भी हैं--इन में से किसी की तरफ से भी दुनिया की शान्ति को खत्म करने के लिये, दुनिया में एक लड़ाई का वातावरण पैदा करने के लिये जो भी कोशिश होती, चाहे किसी भी पक्ष की तरफ से होती, उस का हम विरोध करते और सक्रिय रूप से विरोध करते। मेरा आरोप यही है कि सक्रिय रूप से इस तरह की बात नहीं की गई है। मैं नहीं कहता कि बात नहीं कही गई है, शान्ति की बात कही गई है तथा अपनी पृष्ठभूमि के मुताबिक थोड़ा सा काम भी किया गया है लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि हम बहुत अधिक कर सकते थे, हम बहुत आगे जा सकते थे और जितना आगे हम जा सकते थे, उतना आगे हम नहीं गये हैं। यदि हम ने ऐसा किया होता तो जितना भी खतरा हिन्दुस्तान के अस्तित्व को हो सकता है या जितना भी खतरा दुनिया में तीसरी लड़ाई का हो सकता है, या है उतना भी न रहता। यह इसी से सम्भव था यदि हम अधिक सतर्क रहे होते, पहले से ही हम इस तरह का कोई खतरा पैदा न होने देते। उदाहरण के लिये आज पाकिस्तान के शासक जिन्होंने वहां

[श्री ब्रजराज सिंह]

पर मार्शल ला लागू किया है और जो अपनी जनता को यह अधिकार तक नहीं देते है कि वह कुछ कह सके या अपने विचारों को व्यक्त कर सके ऐसे लोगों की आज यह हिम्मत हो रही है कि वे हमें धमकियां दे रहे हैं । उन में कोई ताकत नहीं है अपनी जिस के बल पर वे हमारे साथ लड़ सकें । लेकिन उन के पास हथियार चले आ रहे हैं और उन हथियारों के बल पर ही वे इस तरह की बातें करने की हिम्मत कर पा रहे हैं और हमारी तरफ आंख उठाने की कोशिश कर रहे हैं । ऐसी स्थिति में हमें पहले से ही सोचना चाहिये था कि क्या यह अच्छा नहीं होगा कि हम तीसरे गुट की स्थापना करें या कोई ऐसा गुट बनायें जो हमेशा हमारे साथ रहे । क्या हम ने कोई इस तरह का गुट कायम किया है। हमारा उद्देश्य कभी किसी पर हमला करने का नहीं रहा है, हमारा उद्देश्य हमेशा शान्ति का रहा है और रहेगा लेकिन क्या कोई ऐसा गुट है जो हमारे इस उद्देश्य में हमारा साथ देगा? हम इस उद्देश्य में, मैं समझता हूं विफल रहे हैं, हम ने पूरी सतर्कता नहीं बरती और उतनी सतर्कता नहीं बरती जितनी हमें बरतनी चाहिये थी या बरत सकते थे, जितनी चेतना हम को बरतनी चाहिये थी, उतनी हम ने नहीं बरती । इस की वजह से दुनिया तीसरी लड़ाई के द्वार पर जा सकती है और हमारे अस्तित्व को भी खतरा पैदा हो सकता है । मैं आशा करूंगा कि हम हमेशा इस तरह के खतरे से लड़ने के लिये तैयार रहेंगे, इस में कोई शंका की बात भी नहीं है । मैं यह भी आशा करूंगा कि हमारे पड़ौसी मित्र जो समझते हैं कि वे धमकी दे कर ही हिन्दुस्तान को हड़प सकते हैं, हिन्दुस्तान के अस्तित्व को ही समाप्त कर सकते हैं, वे इस तरह की बात कहना, इस तरह की भाषा बोलना बन्द कर देंगे । उस से उन का कोई फायदा नहीं है । हमारे, उन के और दुनिया की तीन चौथाई से अधिक आबादी के सामने रोटी, कपड़े, मकान और गरीबी को दूर करने की समस्यायें हैं और हम इन को सब से पहले सुलझाना चाहते हैं ।

जैसा कि प्रधान मंत्री महोदय ने इशारा किया है कि जेनेवा में जो कांफ्रेंन्स हो रही है, उस म कुछ समझौता हुआ है, कुछ प्रगति हुई है । हम चाहेंगे कि दुनिया में न्यूक्लियर टैस्ट अणु-परीक्षण बन्द हों, आर्मामेंट्स कम हों और जब ऐसा हुआ तभी लड़ाई की सम्भावनायें खत्म होने की बात आयेगी । जो बड़ी नेशंस हैं उन को चाहिये कि वे कम फौजें रखें, विज्ञान ने जो चमत्कारी खोजें की हैं और जिस से दुनिया के नष्ट होने की सम्भावनायें बढ़ गई हैं, उन से दुनिया को दूर रखने की कोशिश करें और इस में मैं चाहूंगा कि सरकार अधिक योग दे और सक्रिय रूप से अपना योगदान करे जिस से दुनिया में किसी तरह की भी कोई लड़ाई होने का जो खतरा है वह दूर हो सके ।

हमारे आस पास के मुल्कों में जो हमारे हिन्दुस्तानी लोग रहते हैं उन के बारे में मैं प्रधान मंत्री जी से कहूंगा और उन की बात का समर्थन करूंगा कि हमें हमेशा देखना चाहिये कि जिस राष्ट्र में वे रहते हैं उस के वे नागरिक हैं और बार बार हिन्दुस्तान की तरफ देख कर या यह कह कर कि उन के जो बिजिनेस इंटिरेस्ट हैं, व्यापारिक हित हैं उन की हिन्दुस्तान की सरकार रक्षा करे, यह बात वहां की सरकार और जनता के लिये अच्छी नहीं है और अगर हम ऐसा करते हैं तो अच्छा नहीं करते हैं ।

इन शब्दों के साथ मैं आशा करूंगा कि प्रधान मंत्री दुनिया में एक तीसरे गुट की स्थापना करने की कोशिश करेंगे जिस से हम दुनिया में तीसरी लड़ाई की सम्भावनाओं को कम कर सकें तथा उस को खत्म करने की कोशिश कर सकें और साथ ही साथ अपने अस्तित्व को मजबूत बनाने का हम प्रयत्न कर सकें ।

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** : मैं अपने स्थानापन्न प्रस्ताव के तीन प्रमुख प्रश्नों तक ही अपना भाषण सीमित रखूंगा । ये तीन महत्वपूर्ण प्रश्न निम्नलिखित हैं । पहिला हाल ही में किये गये नेहरू-नून

†मल अंग्रेजी में

समझौते के अनुसार हुए सीमा सम्बन्धी परिवर्तनों के कारण बेरूबारी के १०,००० भारतीय नागरिकों के प्रति अन्याय हुआ है। दूसरे लंका स्थित भारतीयों की समस्या अभी भी नहीं सुलझी है। तीसरे गोआ के जेलों में राजनैतिक कार्यकर्ताओं का दमन जारी है। मैं इन तीनों प्रश्नों को पृथक पृथक रूप से लेता हूं।

सब से पहले मैं बेरूबारी का प्रश्न लेता हूं। बेरूबारी और हिली का लगभग ४।। मील का क्षेत्र जिस की जनसंख्या १०,००० से अधिक है पहिले भारत में था। लेकिन अब उसे पाकिस्तान को दे दिया गया है। यह निर्णय नेहरू नून चर्चा में किया गया है। वैदेशिक कार्य उपमंत्री ने भी अपने एक वक्तव्य में इस विवाद को रेडक्लिफ पंचाट से उत्पन्न विवाद माना है। वस्तुतः यह बात सत्य नहीं है। क्योंकि रेडक्लिफ पंचाट के निर्वाचन से जो विवाद खड़े हुए थे उन के निपटारे के लिये आगे पंचाट की नियुक्ति की गई थी। यदि आप उस पंचाट का अध्ययन करें तो वहां इस विवाद का कोई उल्लेख नहीं मिलेगा। वास्तविक बात तो यह है कि यह विवाद बाद की सूझ है। पाकिस्तान में मुस्लिम लोग के सदस्यों की मनोवृत्ति यह रही है कि भागीरथी तक बंगाल का सारा अंश पाकिस्तान में शामिल हो जाय। जब कभी उन्हें अवसर मिला है उन्हों ने इस बात को आगे लाने का भरसक प्रयत्न किया है और भारत ने अपनी दुलमुल दुर्बल और खुश रखने वाली नीति के अनुसार उन की बात को आंशिक रूप से स्वीकार भी कर लिया है। यही बात बेरूबारी के सम्बन्ध में भी लागू होती है। यह उन बस्तियों में शामिल नहीं है जिन के सम्बध में भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद चल रहा था। वास्तव में यह प्रश्न पहिली बार ही नेहरू नून सम्मेलन में उठा था अतः मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या सचिवीय स्तर पर हुए सम्मेलन की कार्यावलि में इस प्रकार पहिले विचार नहीं किया गया था? हम ने पाकिस्तान की मांग को आंशिक रूप में पूरी कर बेरूबारी के निवासियों के प्रति अन्याय किया है। वे कल तक भारत के नागरिक थे आज पाकिस्तान के नागरिक हो गये हैं।

पश्चिम बंगाल सरकार ने इस सम्बन्ध में विधि विशेषज्ञों की राय ली थी। उन्हों ने कहा कि संसद् को भी यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह देश के किसी भाग का सौदा करे। तब यह अधिकार प्रधान मंत्री को किस ने दिया है कि वह हमारे देश के एक भाग को एक विदेशी सरकार को, बिना जनता की राय लिये दे देवे।

इस के साथ कुछ अन्य तथ्य भी है बेरूबारी में अधिकांश शरणार्थी लोग रहते थे। वे लोग पूर्वी पाकिस्तान से यहां आकर बस गये थे और बड़ी कठिनाई से बिना किसी प्रकार की सहायता लिये हुए उन्हों ने अपने पैर जमाये थे। लेकिन अब उन्हें पुनः पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया है। परिणाम यह होगा कि वे पुनः शरणार्थी बन कर भारत आयेंगे। भारत की धर्मनिरपेक्ष नीति के कारण मुसलमान हिन्दुस्तान में बिल्कुल सुरक्षित हैं तथापि हिन्दु पाकिस्तान में नहीं रह सकते हैं। वस्तुतः भारत को उन का आना प्रारम्भ हो गया है।

इस के अतिरिक्त हम ने पाकिस्तान को ११ वर्ग मील भूमि निशुल्क भेंट कर दी है। बेरूबारी की साढ़े चार मील लम्बी भूमि के लिये भी हमने कोई प्रतिकर नहीं लिया है। यह सब अनुचित है। अतः मैं आशा करता हूं कि सभा इस अन्यायपूर्ण कार्य का सगठित रूप से जोरदार विरोध करेगी।

†श्री ब्रजेश्वर प्रसाद (गया): पाकिस्तान एक पृथक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में नहीं रह सकता है। उसे शीघ्र ही भारत, रूस या मध्य पूर्व के साथ विलय होना पड़ेगा। यदि पाकिस्तान मध्य पूर्व के साथ विलय होता है तो वह रूस के लिये भंयकर खतरा है। इसलिये रूस इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेगा। यदि पास्किस्तान रूस के साथ विलय होता है तो यह भारत के हित में अच्छा नहीं होगा

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ब्रजेश्वर प्रसाद]

क्योंकि तब बिना एक गोली चले हुए काश्मीर भारत के हाथ से निकल जायेगा और काश्मीर में भारत के विरुद्ध दंगे फिसाद इत्यादि होंगे। लेकिन अमेरीका इस बात को पसन्द करेगा क्योंकि इस से एशिया में गुट बन्दी पैदा होगी और आपसी भेद भाव बढ़ेगा। इसलिये भारत को चाहिये कि वह पाकिस्तान को रूस में विलय न होने देवे। इस के लिये भारत को चाहिये कि वह सभी प्रश्नों पर संयुक्त राष्ट्र महा सभा में और उस के बाहर भी रूस का समर्थन करे। तभी रूस भारत की सहायता कर सकता है और फलस्वरूप काश्मीर तथा गोआ के मामले में हमारी विजय हो सकती है। इसलिये हमें रूस के साथ पाकिस्तान के विलय को रोकना चाहिये। साथ ही यदि भारत और चीन का एक दूसरे के साथ विलय हो गया तो इसे अमेरीका और पाकिस्तान दोनों में से कोई भी पसन्द नहीं करेगा। तथापि यह बात स्पष्ट होती जा रही है कि एशियाई देशों में अमेरीका का नेतृत्व समाप्त होता जा रहा है। यह बात कोरिया में हुई उन की हार तथा मध्य पूर्व के देशों में सैनिक तानाशाही की उत्पत्ति व लेबनान व जोर्डन से सेनायें हटाने से स्पष्ट है।

हमें यह भी याद रखना चाहिये कि रूस भी यूरोप का नेतृव कभी नहीं कर सकता है। शताब्दियों तक रूस को पूर्व और पश्चिम के बीच, बीच की स्थिति वाला देश समझा जाता रहा है। कुछ भी हो मानवता की समृद्धि और विश्वशान्ति के लिये यह आवश्यक है कि विश्व पर श्वेत जातियों की राजनैतिक प्रभुता समाप्त हो जाय। चीन ने इस सम्बन्ध में पर्याप्त कार्य किया है। यदि शिखर सम्मेलन सफल हो जाता तो अमेरिका व रूस का समझौता हो जाता इस से उन की एशिया पर श्वेत जातियों की प्रभुता निश्चित थी। अतः चीन ने उस पर अड़चनें डाल कर ठीक ही किया। यदि भारत और चीन एक हो जायें तो एशिया में श्वेत जातियों की प्रभुता समाप्त हो जाय। इस सम्मेलन से रूस को भले ही नुक्सान हो तथापि एशिया और अफ्रीका को इस से लाभ होगा। वस्तुतः एशियाई-अफ्रीकी देशों का एक संघ बनने में वहां के देशों को पर्याप्त लाभ होगा।

मै भारतीय सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि वह अल्जीरिया सरकार को मान्यता दे और ट्यूनीशिया और मोरक्को में रहने वाले अल्जीरियावासियों की सहायता करे। कुछ भारतीयों ने विदेशी बैंकों में बहुत बड़ी राशि में धन जमा किया है यह घातक है इस सम्बन्ध में एक रोक लगानी चाहिये। यदि फ्रांस की सरकार अल्जीरिया छोड़ने और अमेरिका फारमूसा छोड़ने को तैयार नहीं हैं तो एशिया व अफ्रीका के देशों को चाहिये कि वे उन का बहिष्कार एशियाई अफ्रीकी सरकारों का संघ कायम करें।

भारत को अपने पड़ौसी देशों को उन के आन्तरिक उपद्रवों को दबाने के लिये सैनिक सहायता देनी चाहिये तथा अपनी सेना में पड़ौसी देशों के नागरिकों को भी एक निश्चित संख्या में नियुक्त करना चाहिये।

†**डा० सुब्बरायन** (तिरुचेगोड) : सभा सामान्य रूप से भारत सरकार की वैदेशिक नीति से सहमत है। इस का कारण यह है कि हमारी वैदेशिक नीति का केन्द्रबिन्दु विश्वशान्ति है और हमारी सेनाओं ने भी इस क्षेत्र में बहुत उपयोगी कार्य किया है। प्रधान मंत्री ने राष्ट्रपति की मलाया और इंडोनेशिया यात्रा का जिक्र किया है निस्सन्देह उक्त दोनों देश भारत का सम्मान करते हैं और उन के हृदय में भारत के प्रति मैत्री भाव है।

अब मैं लंका के भारतीय नागरिकों का प्रश्न लेता हूं। ये भारतीय लंका में पीढ़ियों से रहते हैं और वे लोग कई बगानों इत्यादि के मालिक हैं, जो उन के तथा उन के पूर्वजों के प्रयत्नों से ही बने

†मूल अंग्रेजी में

हैं। लेकिन अब उन्हें नागरिकता नहीं दी जा रही है और इस प्रकार उन्हें सम्पत्ति से पृथक किया जा रहा है। यद्यपि लंका के उच्चतम न्यायालय ने तथा प्रीवी काउंसिल ने नागरिकता देने के हक में अपने निर्णय दिये हैं और व्यक्तिगत रूप से लंका के प्रधान मंत्री भी नागरिकता देने के पक्ष में हैं तथापि कई अन्य कारणों से वे अपनी इच्छानुसार कार्य नहीं कर पा रहे हैं। भारत सरकार को चाहिये कि वह इस समस्या पर लंका की सरकार से शान्तिपूर्ण तरीके से बातचीत करें और इस समस्या का निपटारा करें। अल्पाधिक रूप से दक्षिण अफ्रीका में भी यही समस्या पैदा हो गई है वहां के श्वेत क्षेत्रों से भारतीयों को हटाया जा रहा है और जिन गन्ने के बागानों को लगाने में उन के पूर्वजों तथा उन्होंने कड़ा परिश्रम किया था वे ह: बागान उन के हाथों से छीने जा रहे हैं। उन के स्थान पर दूसरे बागान मिलने में उन्हें बड़ी कठिनाई हो रही है और उन्हें जमीन व जायदाद से रहित किया जा रहा है। यदि यह समस्या तत्काल हल नहीं की गई तो हमारे सामने एक दुष्कर समस्या खड़ी हो जायेगा। यह आश्चर्य का विषय है कि मानव अधिकारों का प्रश्न होने के बावजूद भी अधिकांश पश्चिमी राष्ट्र इस प्रश्न के प्रति उपेक्षा का दृष्टिकोण रख रहे हैं तथापि हमें चाहिये कि शीघ्र ही उक्त दोनों देशों के भारतीयों के हित में कोई समझौता करें।

†**श्री जयपाल सिंह** (रांची पश्चिम—रक्षित अनुसूचित आदिम जातियां) श्रीमान्, मैं नेहरू जी की विदेश नीति का सामान्यतया समर्थन करता हूं किन्तु मैं तटस्थता की नीति का पोषक नहीं हूं। इस संसार में अलग-अलग रहना सम्भव नहीं। हमें किसी न किसी को मित्र बनाना ही पड़ेगा। तटस्थता जीवन के प्रति उदासीनता का द्योतक है। हमारी इस नीति ने अनेक भ्रान्तियां पैदा कर दी हैं। कई लोग हमें अवसरवादी समझने लगे हैं। कई मामलों में जिन में हमारी बड़ी दिलचस्पी होती है हमें तटस्थता की नीति के कारण खुल कर भाग लेने का अवसर नहीं मिलता। इस नीति से भलाई की अपेक्षा हानि अधिक हुई है। गोआ में हमें इस नीति के कारण ही असफल होना पड़ा है। इस नीति ने ही आज हमारे प्रधान मंत्री के मुख से यह कहलाया है कि रोज़मर्राह के बढ़ते हुए सीमांत झगड़े बहुत छोटे से फफोले हैं। इस तरह की पराङ्मुखता की नीति से हम देश की किसी भी समस्या का हल नहीं कर पायेंगे। हर बार जब कोई सीमान्त झगड़ा होता है हम विरोध पत्र लिख अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं। उस का कोई प्रभाव नहीं होता। मुझे इस प्रकार के रवैय से बड़ा दुःख तथा ग्लानि होती है। लोग हमारी सीमाओं में घुस आयें और हम चुपचाप बैठे रहें। यह स्थिति कब तक चलती रहेगी ?

हम ने चिटागांव के पहाड़ी प्रदेश को जहां की ९९.९ प्रतिशत जनसंख्या बुद्ध धर्म की अनुयायी है पाकिस्तान को दे दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि यह इलाका कैसे पाकिस्तान के पास गया तथा प्रधान मंत्री व श्री कृष्ण मेनन के इतने आवश्वासनों के बाद आज भी यह क्यों उन के पास बना हुआ है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: क्या आप चिटागांव पहाड़ी प्रदेश का जिक्र कर रहे हैं। मैं ने आज तक इस के बारे में कभी कोई बात नहीं सुनी। मैं पहली बार आप के मुख से सुन रहा हूं। मुझे कुछ पता नहीं कि श्री कृष्ण मेनन जी ने आप से क्या कहा है।

†**श्री जयपाल सिंह**: यह बात मैं ने एक वाद विवाद में कही थी। आप उस में उपस्थित नहीं थे। तब श्री मेनन ने मुझे आश्वासन दिया था कि वह इस मामले की संयुक्त राष्ट्र संघ में चर्चा करेंगे खैर मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा। मैं तो चाहता हुं कि हमें अपने हितों की सक्रिय रूप से रक्षा करनी चाहिये। मैं समझता हूं कि तटस्थता की नीति अब पुरानी हो गई है। इस की बजाय अब हमें नई नेहरू नीति पर चलना चाहिये।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जयपाल सिंह]

हमें भविष्य में प्रत्येक समस्या के गुण दोषों पर स्वतंत्रतापूर्वक विचार कर के निर्भीकता से अपना मत प्रकट करना चाहिये और इस बात की कोई चिन्ता नहीं करनी चाहिये कि इस से हमारा अमुक मित्र प्रसन्न अथवा अप्रसन्न हो जायेगा। यही नीति सच्ची नेहरू नीति है।

हमारी पंचशील की नीति कहां तक सफल हुई है ? जब हम ने इस नीति की घोषणा की तो संसार में चारों ओर से इस की दुंदभि सुनाई देने लगी। रूस, चीन और न जाने किस किस देश ने इस में पूर्ण आस्था प्रगट की। किन्तु पंचशील में सब से पहले विश्वास प्रकट करने वाला चीन आज 'हिमालयाई प्रदेश' पर 'डकैती' डालने को उद्यत हो रहा है। खुले आम हमारी भूमि को वह अपने देश के मानचित्रों में अपनी भूमि के रूप में दिखा रहा है। यह है पंचशील की सफलता।

आज अकरा में अफ्रीकाई लोगों का एक सम्मेलन हो रहा है। उस में लाखों भारतीय उद्गम के अफ्रीका वासियों के भविष्य का निपटारा होने जा रहा है। मगर हम लोगों का उस में भाग लेना तो दरकनार हम को वहां पर पर्यवेक्षक के रूप में बैठने की भी इजाज़त नहीं है। क्या हम लोग इस बात से इनकार कर सकते हैं कि हमारी उन लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है ?

अफ्रीका में घाना के प्रधान मंत्री क्वामे नकरूमा ने बहुत से राज्यों का संघ स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। हमें इस बात का बड़ा हर्ष है और हम पूर्ण सफलता की कामना करते हैं। मैं अपील करूंगा कि अपनी शुभ कामनाओं के अतिरिक्त हम घाना और गाइना के मिलाप को सफल बनाने के लिय उन्हें यथासम्भव आर्थिक सहायता देने का भी प्रयास करें। केवल 'रंगभेद' की नीति की भर्त्सना कर देने से ही हमारे कर्तव्य की इतिश्री नहीं हो जाती है। यह तो हर कोई कर रहा है। अफ्रीकाई देशों की समस्याओं को सुलझाने के लिये सक्रिय सहयोग देना चाहिये।

इसी प्रकार लंका स्थित भारतीयों के बारे में भी हमें तटस्थता की नीति की बजाय सच्ची नेहरू नीति अपनानी चाहिये तभी हम अपने भाइयों की कुछ सहायता कर सकते हैं।

†**श्री प्र० के० देव** (कालाहांडी): श्रीमान्, पिछले २० अगस्त से पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्ध बहुत बिगड़ रहे हैं। नेहरू-नून भेंट के एक मास बाद उस देश में संविधान को रद्द कर दिया गया और अब वहां पर सैनिक शासन की स्थापना हो चुकी है। इस घटना की आवृत्ति थाइलैण्ड और सूडान में भी हुई। इस प्रकार संसार के अनेक देशों में सैनिक क्रांतियों ने प्रजातंत्र की समाप्ति कर दी है।

पाकिस्तान में जो भी घटना होती है उस का भारत के लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ना जरूरी है। दुर्भाग्य से वहां के लोगों को शुरू से ही हिन्दुस्तान के विरुद्ध वरगलाया जा रहा है। सीमांत झगड़े, भारतीयों का अपहरण, बराबर युद्ध की धमकियां भारतवासियों की सम्पत्तियों का लूटना और हमारे राजनयिक कर्मचारियों से दुर्व्यवहार आदि ये सब बातें सिद्ध करती हैं कि वहां के निवासियों को कैसे भारत के विरुद्ध भड़काया जा रहा है। मैं प्रधान मंत्री से विनम्र निवदन करना चाहता हूं कि वह नेहरू-नून संधि को समाप्त कर दें। जब तक पाकिस्तान के साथ सभी समस्याओं का निपटारा नहीं कर लिया जाता उन के साथ कोई मैत्री संधि इत्यादि न की जाये।

पाकिस्तान की नवीनतम सैनिक हलचलों को देखते हुए यह अनुमान लगता है मानों अब युद्ध बड़ा समीप आने वाला है। इसलिये पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिये भारतीय शस्त्र बलों को पूरी तरह सुसज्जित रहना चाहिये। हमें अपनी सुरक्षा नीति का पुनरीक्षण

†मूल अंग्रेज़ी में

पुनर्नवीकरण चाहिये। इसके लिये हमें विदेशों से उत्तम हथियार खरीदने में भी नहीं हिचकना चाहिये। क्योंकि यह निश्चित है कि अगर युद्ध छिड़ा तो पाकिस्तान न्यष्ठिक अस्त्रों का ही प्रयोग करेगा। हमें इस प्रकार की स्थिति का मुकाबला करने के लिये सचेत व जागरुक रहना चाहिए।

भारत के प्रधान मंत्री ने यह कहा है कि सरकार की ओर से कोई ऐसी बात नहीं कही जानी चाहिये जिससे पाकिस्तान के लोगों के दिल में किसी किस्म की भ्रान्ति अथवा भय या आंतक छा जाये। किन्तु पाकिस्तान की सरकार हमेशा 'जिहाद' के नारों और झूठे प्रचार द्वारा हिन्दोस्तान के प्रति कितना विष उगल रहा है। हमें उस की चालों से हमेशा बच कर रहना चाहिये।

काश्मीर के बारे में भी पाकिस्तान की नियत साफ नहीं है। काश्मीर का मसला पिछले कई वर्षों से संयुक्त राष्ट्र में इधर से उधर घसीटा जा रहा है। मैं समझता हूं अब हमें इस समस्या को सुलझाने के लिये कोई मजबूत कदम उठाना चाहिये।

श्री जयपाल सिंह ने चीन के बारे में बताया है कि कैसे वह देश अपने देश के मानचित्रों में लदाख को अपने सीमाओं में दिखा रहा है। रूस में प्रकाशित 'न्यू टाइम्स' में भी लदाख को चीन के अन्तर्गत दिखाया है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कैसे प्रत्येक व्यक्ति काश्मीर पर अपना अधिकार जमाना चाहता है। काश्मीर की रक्षा के लिये हमें अपनी सेनाओं की शक्ति बढ़ानी होगी।

इसके साथ साथ हमें शीत युद्ध लड़ने के लिये भी तैयार रहना चाहिये। बढ़ते हुए सीमान्त झगड़े यह सिद्ध करते हैं कि अन्य देश कैसे शरारत करने पर तुले हुए हैं। हमें पाकिस्तान के साथ दृढ़ता का रुख अपनाना चाहिये तभी यह हमारे झगड़े समाप्त हो सकते हैं।

इस प्रसंग में मैं एक दो शब्द राष्ट्र मंडल के बारे में भी कहना मुनासिब समझूंगा हम कितने वर्षों से उस के सदस्य हैं, किन्तु अभी तक हमारे उसके एक सदस्य देश पाकिस्तान के साथ भी झगड़े नहीं सुलझ सके हैं। इससे यह जाहिर होता है कि इस मंडल की सदस्यता बिल्कुल बेकार है।

हमारी नीति का तिब्बत में बुरी तरह विफ़लता हुई हैं। उस प्रदेश में पंचशील के सिद्धान्त के विपरीत चीनी लोग घुस आये हैं। इसी कारण से चीनी अधिकारियों ने चीन के मार्ग से भूटान जाने के लिये प्रधान मंत्री को पार पत्र देने में तीन चार दिन विलम्ब कर दिया ताकि उन्हें चीनियों की चालों का पता न लग सकें। हमें अपनी उत्तरी सीमाओं की ठीक प्रकार से प्रतिरक्षा व चिह्नांकन करना चाहिये।

†**श्री मानवेन्द्र शाह** : पिछले दिनों प्रधान मंत्री की ओर से इस सभा में एक वक्तव्य पढ़ा गया था जिसमें यह कहा गया था कि सीमान्त झगड़ों के बारे में पाकिस्तान का रुख व नीति बड़ी आपत्तिजनक व अनुचित है। इतना ही नहीं अनेक बार पाकिस्तान में भारतीयों नागरिकों तथा राजनयिकों का अपमान भी किया गया है। भारत सरकार ऐसी प्रत्येक घटना के बाद एक विरोध पत्र भेज कर चुप हो जाती है और उन लोगों के कानों पर जूं भी नहीं रेंगती। इससे सीमान्त प्रदेशो में रहने वाले लोगों के दिलों में सरकार के प्रति बड़ी अनास्था व निराशा की भावना पैदा हो रही है।

इन सब झगड़ों की समाप्ति के लिये भारत को पाकिस्तान से मिलकर दोनों देशों के प्रतिनिधियों का एक स्थायी संयुक्त न्यायिक बोर्ड बनाना चाहिये। इस सभा का चेयरमेन कामनवेल्थ देशों में से किसी भी देश में से, दोनों देशों की सहमति से चुना जाना चाहिये। सीमा पुलिस व परीक्षा का

---

†मूल अंग्रेजी में

काम भी इस बोर्ड के अधीन रहना चाहिये। इस बोर्ड का कार्य चलाने के लिये दोनों देश समान रूप से रुपया संगृहीत करें तथा इस निधि को राष्ट्रमंडल के किसी भी देश में जमा कराया जा सकता है। बोर्ड के चेयरमेन को इस निधि में से पीड़ित देश को प्रतिकर देने का अधिकार होना चाहिये। यदि आप इस सुझाव पर अमल करेंगे तो हमारे पाकिस्तान के साथ सभी झगड़े शान्तिपूर्वक तय हो जायेंगे।

†**श्री जोकीम आल्वा** (कनारा): उपाध्यक्ष महोदय पाकिस्तान की वर्तमान सैनिक सरकार अमेरिका के रूस के इर्द-गिर्द सैनिक अड्डे बनाने की बृहत्तर योजना की नीति के अनुकरण में स्थापित हुई है। अमेरिका ने नाटो, सीटो और बगदाद संधि द्वारा विश्व में चारों ओर अपनी सेनाओं का जाल बिछा रखा है। उसकी अमेरिका से सक्रिय सहयोग के बिना पाकिस्तान में कभी भी सैनिक शासन नहीं स्थापित हो सकता था।

आज अमेरिका अन्य देशों को अपने प्रभाव तले लाने के लिये कूटनीति की अपेक्षा बी-३६ और बी–४७ बाम्बरों पर अधिक विश्वास कर रहा है। आज उन्हें राकेटों, क्षेप्यास्त्रों एवं पनडुब्बियों का गर्व पकड़े हुए हैं। जब से अमेरिका ने विभिन्न देशों को ये अस्त्र देने प्रारम्भ किये हैं तब से ही विश्व का सारा वायुमंडल विषाक्त बनने लगा है। पश्चिमी देश आज पिछड़े हुए देशों को कोई भी ठोस राजनीतिक अथवा आर्थिक योजना नहीं दे पा रहे हैं। इसी लिये झुंझला कर उन्होंने छोटे छोटे देशों में झूठा भय उत्पन्न करके उनको त्राण के लिये सैनिक संधियों में बांधने की योजना बनाई है। अमेरिका रूस से बदला लेने के लिये अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता है और इसके लिये वह छोटे-छोटे देशों को अस्त्र के रूप में प्रयोग करना चाहता है। पाकिस्तान भी अमेरिका की इस नीति का शिकार बन गया है।

हमें रूस के साथ अपने सम्पर्क को अधिक बढ़ाना चाहिये। केवल सुनी सुनाई बातों पर नहीं विश्वास करना चाहिये। मैं आशा करता हूं दिल्ली और मास्को के बीच जो सीधा वायुमार्ग बन गया है इससे हमें रूस के अध्ययन के और भी अधिक मौके मिलने लगेंगे। रूस के लोग जवाहरलाल नेहरू, भारतवासियों व गांधी टोपी की बड़ी कद्र करते हैं। उन्हें भारतवासियों की समस्याओं को समझने की बड़ी उत्सुकता है। हमें उनकी इस प्रवृत्ति का पूरा लाभ उठाना चाहिये।

प्रधान मंत्री की विदेशी नीति आज तक बड़ी सफल सिद्ध हुई है। इससे भारत की प्रतिष्ठा की चारों ओर वृद्धि हुई है। किन्तु यह एक दुधारी नीति है। प्रधान मंत्री के पश्चात् इसका निर्वाह कर सकना बड़ा कठिन होगा। इस लिये हमें आज यह विचार कर लेना चाहिये कि विश्व में हमारा कौन सच्चा हितैशी है?

अमेरिका सैनिक अड्डों के लालच के कारण ही आज गोआ में पुर्तगाली शासन का समर्थन कर रहा है। पाकिस्तान को सैनिक सहायता देने का भी यही कारण है।

सीमान्त झगड़ों की यहां बड़ी चर्चा की गई है। इस संबंध में मैं भी दो शब्द कहना चाहता हूं। यदि हम सीमान्त झगड़ों को रोकना चाहते हैं तो हमें अपनी सीमा स्थित आरक्षी दल को बहुत ही सुदृढ़, दक्ष तथा साहसी बनाना होगा।

जनरल अयूब खां ने २९ नवम्बर को कराची में एक भाषण में यह धमकी दी है कि अगर खुदा ने उनका साथ दिया तो वह कुछ ही दिनों में पश्चिमी और पाकिस्तान की दूरी को खत्म

---

†मूल अंग्रेजी में

कर देंगे । उन्होंने इन दोनों हिस्सों को मिलाने के लिये अपने लोगों को हिन्दोस्तान से मार्ग प्राप्त करने के लिये ललकारा है । हमें उनकी इस धमकी की ओर खास ध्यान देना चाहिये और उनका चैलेंज स्वीकार करके उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिये ।

मेरे एक मित्र ने चीन के बारे में तरह तरह की अशोभनीय बातें कहीं हैं । मैं समझता हूं ऐसी बातें कहना दोनों देशों के हित में हानिकर है । चीन हमारा निकट का पड़ौसी है । दोनों देशों के बीच आज मैत्री के सम्बंध हैं । यदि हम रूसी और चीनी लोगों को अपना शत्रु बना लेंगे तो हमें इससे बड़ी हानि तथा पश्चाताप होगा । इस लिये हमें उनके साथ अच्छे संबंध बनाये रखने के लिये सदा प्रयतनशील रहना चाहिये ।

श्री वाजपेयी (बलरामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, देश की जनता और संसद् के सदस्य प्रधान मन्त्री से इस बात की आशा करते थे कि पाकिस्तान में सैनिक तानाशाही की स्थापना और अमरीका से उसको मिलने वाले हथियारों के कारण भारत की स्वतन्त्रता और सुरक्षा के लिए जो संकट पैदा हो गया है, उसके सम्बन्ध में हम कितने तैयार हैं, इस बारे में इस सदन को और इस सदन के द्वारा देश की जनता को विश्वास में लिया जायेगा । मुझे देख कर खेद हुआ है कि सरकार इस सम्बंध में अपने कर्तव्य का पालन करने में अभी तक सफल नही हुई है । खतरा हमारे सामने खड़ा है और बिल्ली को देखकर कबूतर की तरह से हम अपनी आंखें बंद करलें या सचाई से मुंह मोड़कर शुतरमुर्ग की तरह अवास्तविकता की बालू में अपने सिर को गड़ा कर खड़े रहें, तो इस से आने वाला संकट टल नही सकता । यह ठीक है कि अमरीकी विदेश मन्त्री श्री डलेस ने कभी हमें यह आश्वासन दिया था कि यदि पाकिस्तान भारत पर हमला करेगा, तो हम भारत की मदद करें । वह हथियार भी देते जा रहे हैं और यह भी कहते जा रहे हैं कि अगर वह हमला करेगा, तो वह हमारी मदद करें । यह सोचना बड़ा मुश्किल है कि जो हथियार दे रहा है, हम उसकी बात मानें, या जहां हथियार पहुच रहे हैं, उसकी बात मानें । हथियार पाकिस्तानियों के हाथ में पहुंच रहे हैं । पाकिस्तान में आज सैनिक तानाशाही है । पाकिस्तान की हुकूमत आज ऐसे लोगों के हाथ में है, जिन्हें हमने काश्मीर के मैदान में हराया है और वे कभी भी उस हार को भूल नही सकते । राजनैतिक नेता भूल सकते हैं, मगर सिपाही और जेनरल के लिए अपनी हार को भूलना बहुत मुश्किल होता है । इसमें ताज्जेब नही होगा अगर पाकिस्तान के शासक अपनी उस हार का बदला लेने के लिये और पाकिस्तान की जनता का ध्यान उसकी आन्तरिक कठिनाइयों से हटाने के लिए आज नहीं तो कल अमरीकी हथियारों से लैस होकर भारत की स्वतन्त्रता के लिए एक संकट बन जायें । उस समय हमारी स्थिति क्या होगी? मैं मानता हूं कि हमें आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है, हमें भयभीत नहीं होना चाहिए । मगर देश में इस सम्बन्ध में जितनी तत्परता की, तैयारी की, सन्नद्धता की और जनता को विश्वास में लेने की आवश्यकता थी, वह अभी तक नहीं किया गया है । पाकिस्तान हमला करेगा, तब अमरीका हमारी मदद करेगा, इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह तय करना मुश्किल है किस ने हमला किया है । काश्मीर के बारे में अभी तक फ़ैसला नही हो सका है । कोरिया के बारे में आरोप-प्रत्यारोप लगाए गए कि उत्तरी कोरिया ने हमला किया है या दक्षिणी कोरिया ने हमला किया है । इसलिए ,अमरीकी आश्वासन पर बैठ कर हमारा काम नही चल सकता । हमें स्वयं तैयार होना चाहिए और मेरा निवेदन है कि भारत में कोई समझदार व्यक्ति ऐसा नही है, जो पाकिस्तान से लड़ाई चाहता है । लेकिन शान्ति बाजार से खरीदी जाने वाली चीज़ नहीं है । उस की रक्षा के लिये शक्ति चाहिए, दृढ़ता की नीति चाहिए । पाकिस्तान की जनता हमारी ही जनता है । राज्य बट गए, मगर जनता एक है । मजहब अलग होने से कोमियत अलग नही होती । पाकिस्तान की जनता के प्रति हमारे हृदय में सहानुभूति है । अंगरेजों से हम लड़े आजादी के लिए । पाकिस्तान की जनता मुस्लिम लीग के नेतृत्व में यह आशा करती थी कि उसे भी आजादी मिलेगी । मगर उस की आजादी वाशिंगटन के बाजारों में नीलाम पर चढ़ा दी गई । यह स्वा-

भाविक ह कि उसके प्रति हमारा अन्तःकरण सहानुभूति से भरा हुआ हो। लेकिन पाकिस्तान के शासकों को, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में कोई हिस्सा नहीं लिया और जो अपने देश को दूसरों के हाथों में बेचने के लिये तैयार हो गए हैं, समझने में हमें ग़लती नही करना चाहिए। और उनके इरादे ठीक नहीं हैं। उनके भाषणों को देखा जाय और उनके अमल को देखा जाय। हमारे प्रधान मन्त्री बड़े उदार हैं। वह अपने विशाल हृदय में सारे संसार को स्थान दे सकते हैं, मगर मुश्किल यह है कि हमारे पाकिस्तानी साथी उस विशाल हृदय में छोटी सी छुरी भी रखना चाहते हैं। हमें उससे सावधान रहना चाहिए। मलिक फ़िरोज़ ख़ां नून से समझौता किया गया इस आशा से कि पूर्वी बंगाल की सीमा पर झगड़े नहीं होंगे, गोलियां नही चलेंगीं, पाकिस्तानी हमारी सीमा में नहीं घुसेंगे। संसद् की बैठक हो रही थी। उस की उपेक्षा कर के हमारे प्रधान मन्त्री ने समझौता किया और संसद् को विश्वास में नहीं लिया गया। भारत का संविधान किसी को यह अधिकार नहीं देता कि वह भारत की भूमि को किसी को दे दे। हम अपने संविधान के अनुसार दूसरे क्षेत्र को मिला सकते हैं, अपनी सीमाओं का विस्तार कर सकते हैं, मगर हम अपनी भूमि को नही दे सकते हैं। मगर प्रधान मन्त्री बड़े उदार हैं। हमारे देश में भूदान आन्दोलन चल रहा है। शायद भूदान की भावना उनके हृदय में भी भर गई और उन्होंने पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री को हमारी भूमि का भी कुछ दान कर दिया––ऐसी भूमि का, जिसके बारे में कोई विवाद नहीं था। अभी मेरे मित्र श्री त्रिदिव कुमार चौधरी ने बेरूवारी यूनियन की बात कहीं। उसके सम्बन्ध में पाकिस्तान से कोई झगड़ा नहीं था। वह उसे दे दिया गया और उसके साथ दस हजार भारतीय नागरिकों की राष्ट्रीयता और नागरिकता को भी समाप्त किया जा रहा है। किसी व्यक्ति को, चाहे वह प्रधान मन्त्री हो, इस बात का अधिकार नहीं है कि वह किसी भारतीय नागरिक को उस की राष्ट्रीयता से और उसकी नागरिकता से वंचित कर दे। मगर प्रधान मन्त्री ने समझौता कर लिया संसद् की अवहेलना कर के और फिर संसद् में आकर कहा कि आप मानिए, न मानिए, अगर नही मानते हैं, तो मैं इस्तीफ़ा देता हूं। अगर इस्तीफ़े की तलवार सिर पर लटक रही हो, तो यह संसद् क्या करेगी? लेकिन जो समझौता हुआ है, वह देश के हितों के विरुद्ध है। उस समझौते को हमें स्वीकार नही करना चाहिये। और क्या पाकिस्तान ने उस समझौते का पालन किया। क्या सीमा के झगड़े रुक गए? क्या वार्डर इन्सिडन्ट्स बन्द हो गए? समझौता हुआ और उस का उल्लंघन शुरू हो गया। पाकिस्तान हर एक समझौते के बारे में ऐसा ही करता है। वह समझौतों का उल्लंघन करके उनका पालन करता है। अभी समझौते की सियाही सूखी नहीं कि हमले हो रहे हैं। प्रधान मन्त्री कहते हैं कि ये तो मौसमी हमले हैं, फ़सल के हमले हैं। तो फ़सल इधर ही क्यों कटती है? ज़रा उधर भी कटने लगे। यह एक तरफा मामला क्यों है?

अभी हमारे मित्र श्री आल्वा रूस की परेड में जो उन्होंने वार्डर पुलिस देखी, उसकी बात कर रहे थे। हमारे यहां वार्डर पर भी पुलिस है और लक्ष्मीपुर में ६ अगस्त को उस पुलिस की चौकीं पर हमला हुआ। पाकिसानियों ने हमला किया और उस पुलिस की चौकी पर जो छः आदमी थे, जिन में कमाडेंट भी था, उनको पाकिस्तानी पकड़ कर ले गए। उन में से एक सिपाही वहां रात भर पड़ा रहा। वह धान के खेत में "पानी पानी" चिल्लाता रहा और कराहता रहा, लेकिन किसी ने उसको पानी नहीं दिया। दूसरे दिन शाम को उस घायल सिपाही को उठाया गया। लक्ष्मीपुर को पाकिस्तानियों ने अधिकार में ले लिया। तुकेरग्राम किस के कब्ज़े में है? कहते हैं कि पाकिस्तानी झण्डा उतर गया। उनका झण्डा उतर गया होगा, मगर उनका डण्डा अभी तक चल रहा है। प्रधान मन्त्री महोदय बतायें कि तुकेर ग्राम हमारे अधिकार में है या नहीं और लक्ष्मीपुर को पाकिस्तानियों ने क्यों नहीं ख़ाली किया। जो नेहरू-नून समझौता किया गया है, उसमें इच्छामती रिवर का उपयोग करने की पाकिस्तानियों को छूट दे दी गई है, ऐसा मिस्टर नून ने कहा। वह नदी ऐसीं है कि नदी के नीचे जाकर भारत और पाकिस्तान

की सीमायें मिलती हैं, लेकिन ऊपर का हिस्सा ऐसा है कि नदी के पार भी भारत की सीमा है, जिस में करीब १०० गांव आते हैं, जिस में डेढ़ लाख आदमी रहते हैं, जो कि १०० वर्ग मील का इलाका है पाकिस्तानी रेडियो ने दावा किया कि वह इलाका भी पाकिस्तान में आ गया है। दिल्ली से कुछ खण्डन किया गया है, लेकिन स्थिति स्पष्ट नहीं है। अगर हम ने उन्हें इच्छामती रिवर को यूज़ करने की छूट दे दी है, तो क्या इसका मतलब यह है कि वे नदी की धारा में होकर उस क्षेत्र में जायेंगे, जहां नदी के पार भी भारतीय क्षेत्र है? इसमें अनेक कठिनाइयां खड़ी होंगी। पाकिस्तानी अवैध प्रवेश करेंगे और धीरे धीरे वहां रहने वाली जनता का मनोबल तोड़ेंगे और वह मनोबल टूट रहा है ; हमें फ़सली गोलियां या हमले कह कर भले ही टाल दिया जाय, लेकिन सीमा पर रहने वाले लोग क्या अनुभव करते हैं। उन के हृदय में यह शंका पैदा होती है कि अगर पाकिस्तान ने सरप्राइज़ अटैक किया, तो क्या होगा ? क्या हम रक्षा करने में समर्थ होंगे ? मुझे विश्वास है कि हम होंगे, लेकिन इस सम्बन्ध में सरकार को इस सदन को आश्वासन देना चाहिए कि जब पाकिस्तान ने नेहरू-नून समझौते का पालन नही किया, तो हम समझौते से बंधे हुए क्यों हैं। मेरा निवेदन है कि प्रधान मन्त्री महोदय नेहरू-नून समझौते के बारे में फिर से विचार करें। बैरूवारी यूनियन का इलाका और इच्छामति नदी के ऊपर से पाकिस्तान को उपयोग में लेने का जो अधिकार दिया गया है उसके सम्बन्ध में पुनर्विचार होना चाहिए। हमने त्रिपुरा में पाकिस्तान को रेलगाड़ी निकालने के लिये थोड़ी सी ज़मीन दे दी, हमने पाकिस्तानियों से पश्चिमी बंगाल से उत्तरी बंगाल में जाने के लिए और पूर्वी बंगाल होकर असम में जाने के लिए थोड़ी सी ज़मीन क्यों नहीं मांगी ?

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

हमने कुछ नही मांगा कुछ नही लिया, हमने किसी बात पर ज़ोर नहीं दिया, हम तो उदार मन होकर देने की भावना से मि० नून के सामने गये थे। मगर जिस उद्देश्य से वह समझौता किया गया था वह उद्देश्य ही पूरा नहीं हुआ। झगड़े चल रहे हैं और अभी कहा गया है कि झगड़े चलेंगे। जब ऐसी बात है तो नेहरू नून समझौता किस के लिए किया गया ? सीमा पर पक्की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर प्रान्तीय सरकार सीमा की रक्षा नहीं कर सकती तो मैं निवेदन करूगा कि केन्द्र को अपनी पुलिस भरती करके भारतीय सीमाओं की सुरक्षा का प्रबन्ध अपने हाथ में लेना चाहिये।

यह ठीक है कि हम दूसरे की सीमा में प्रवेश न करें, हम अवैध अधिकार न करें, हम आक्रमण न करें। मगर हमारे ऊपर आक्रमण हो और हम केवल कागज़ी प्रोटैस्ट भेज कर सतोष का अनुभव करें यह किसी भी स्वाभिमानी स्वतन्त्र देश के लिए गौरव की बात नहीं है। मैं पाकिस्तान के साथ लड़ाई के पक्ष में नही हूं, मगर दबने से शांति स्थापित नहीं हो सकती। पाकिस्तान जिस भाषा को समझता है हमें उसी भाषा में पाकिस्तान से बात करनी चाहिये और जो पाकिस्तान के नये शासक हैं वे किस भाषा को समझते हैं यह मुझे समझाने की जरूरत नहीं है सभी बुद्धिमान लोग समझ सकते हैं।

इस विदेश नीति के विवाद में इस बात की भी चर्चा की गई है कि हम ने दुनिया के दोनों गुटों से अलग रहने की जो नीति अपनाई है वह नीति कुछ गलत सी है और नेहरू जी जो नीति अपना रहे हैं जिसे नेहरू नीति का नाम दिया गया है वह ज्यादा ठीक है। मैं तो इस गुत्थी को नहीं सुलझा सकता। हमारे देश की जो विदेश नीति चल रही है वह किसी व्यक्ति की नीति नहीं है और होनी भी नहीं चाहिये। हम ने दुनिया के दोनों शक्ति गुटों से अलग रह कर संसार के हर एक प्रश्न पर जिस रूप से विचार करने का जो निर्णय किया है वह हमारी पुरानी, परम्परा, हमारे आजादी के आन्दोलन की पृष्ठ भूमि, संसार में विश्व शान्ति की स्थापना में हमारी उत्सुकता और व्यक्ति की गरिमा तथा राजनीतिक स्वाधीनता, और आर्थिक समता के सम्बन्ध में हमारी जो निष्ठा है उस को विचार कर के ही हम ने इस नीति का निर्धारण किया है। इस नीति को एक व्यक्ति के साथ जोड़ना ठीक नहीं है। यह

प्रधान मंत्री के साथ भी अन्याय करना होगा। यह नीति भारत के हित में है, विश्व शान्ति के लिये भी यह नीति सहायक है। इसलिये हम ने इस नीति का अवलम्बन किया है, किसी मजबूरी से नहीं। किसी ने हमें विवश नहीं किया। हम चाहते तो रूसी गुट से मिल सकते थे जैसा कि हमारे कम्युनिस्ट भाई प्रयत्न करते हैं कि हम रूसी गुट में मिल जायें और उन के लिये यह सोचना स्वाभाविक. . . .

एक माननी सदस्य : जनसंघ की क्या नीति है ?

श्री वाजपेयी : जनसंघ भाई जो करते हैं या कहते हैं वह बोल रहे हैं। अमरीकी गुट में या रूसी गुट में हम मिल सकते थे। अमरीकी गुट में मिलने का रास्ता हमारे लिये साथ था। लेकिन हम ने दोनों में से किसी भी गुट में शामिल होने से इन्कार किया क्योंकि हम समझते हैं कि राष्ट्रीय हितों की मांग यह है और विश्व की भलाई की मांग यह है कि हम दोनों गुटों से अलग रहें। यह बुराई के प्रति तटस्थता नहीं है। आखिर विदेश नीति आदर्शवाद की हवा में तो नहीं उड़ सकती, उसे व्यवहारिकता की जमीन पर कदम रख कर चलना ही पड़ता है। हमारे सामने जो राष्ट्रीय विकास की समस्या है, उस का भी यही तकाजा है। हम उन से अपनी दृष्टि ओझल नहीं कर सकते। उस नीति पर हम चले और देखा कि हम ने अपने देश का भी मान बढ़ाया, देश के हितों को भी रक्षा की और विश्व शांति की स्थापना में जहां तक सम्भव हो सका हम ने योगदान दिया। हमें कभी, एक क्षण के लिये भी इस मुगालते में नहीं पड़ना चाहिये कि दुनिया की शांति हमारे बलबूते पर टिकी हुई है। हम उस में थोड़ा सा सहायक हो सकते हैं। लेकिन हम इस बात को न भूलें कि अन्ततोगत्वा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत की जो भी स्थिति होगी वह हमारे देश की शक्ति अपने साधनों की सबलता, उन के ऊपर होगी और इस दृष्टि से मैं समझता हूं कि इस नीति पर हमें दृढ़ता से चलना चाहिय।

कभी कभी ऐसा लगता है कि हम एक गुट की तरफ ज्यादा झुक गये, इस तरह का न लगे इस बात के प्रति हम सावधान रहें। जो यह मांग करते हैं कि हमें इस गुट के साथ मिल जाना चाहिये, मैं उन से सहमत नहीं हूं। हम दोनों गुटों से अलग रहें, हम सब का समर्थन प्राप्त करें, हम सब का सहयोग लें, और राष्ट्र के निर्माण के कार्य में लगे रहें, यह हमारी नीति होनी चाहिये। विदेश नीति इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये हम विकसित कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि उस को विकसित करने में हमें काफी सफलता मिल रही है।

इस सम्बन्ध में मैं एक बात का उल्लेख करूंगा। चीन की चर्चा की गई है। चीन के साथ हमारे बड़े मैत्री सम्बन्ध हैं। होने भी चाहियें। चीन हमारा सब से बड़ा पड़ोसी है और हम संयुक्त राष्ट्र संघ में यह मांग भी करते रहते हैं कि चीन को उसका उचित स्थान मिलना चाहिये। यह मांग ठीक है लेकिन इस के साथ जो हम यह विचार करते हैं कि भारत सरकार ने अभी तक इजराईल को मान्यता तक नहीं दी है तब थोड़ा सा बड़ा विचित्र मालूम होता है। हम ने इजराईल को मान्यता क्यों नहीं दी ? दक्षिण एशिया में हजारों वर्षों से जो तिरस्कृत रहे, जिन का दमन किया गया है, मजबूरी के नाम पर जिन को उत्पीड़न का शिकार बनाया गया, वह अब अलग से एक छोटा सा राज्य बनाने में सफल हुआ है। जो भी हमारे मित्र इजराईल जा कर आते हैं, बड़ी प्रशंसा करते हैं, कहते हैं कि वहां सच्चे समाजवाद के दर्शन हो रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि भारत की सरकार ने इजराइल के साथ दौत्य सम्बन्ध स्थापित क्यों नहीं किये हैं ? थोड़े दिन हुए समाचार पत्रों में चित्र छपा था जिस में श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित डिक्टेटर फ्रेंको के सामने बैठी ई थीं। हम ने स्पेन के सम्बन्ध स्थापित कर लिये तो क्या कारण है कि हम इजराइल से सम्बन्ध स्थापित करने में अभी तक संकोच कर रहे हैं। यदि यह कहा जाये कि इस से दक्षिण एशिया में या मध्य पूर्व के मुस्लिम देशों पर बुरा असर पड़ेगा तो मेरा निवेदन है कि जो सत्य बात है उस को हम किसी पर बुरा असर पड़ने के डर से मानने से इन्कार नहीं करते हैं. . . . . . .

श्री रघुनाथ सिंह : हम सब देशों को मान लें ।

श्री वाजपेयी : चीन के संयुक्त राष्ट्र में आने से और उस के प्रवेश की मांग करने से अमरीका में थोड़ी सी नाराजगी पैदा होती है, मगर इसलिये हम वकालत नहीं छोड़ते हैं, वकील ज्यादा चुस्त है और मुद्दई सुस्त है, ऐसा भी कई बार लगता है, मगर फिर भी हम वकालत करते रहते हैं तो इजराईल को मान्तया न देने का क्या कारण है । मेरा निवेदन है कि सरकार इस सम्बन्ध में पुनः विचार करे और इजराईल को यह अनुभव नहीं होने देना चाहिये कि दक्षिण पूर्वी एशिया में जो एक नई सरकार स्थापित हो रही है, नई समाज बन रही है उस में उस के साथ अछूत जैसा व्यवहार किया जा रहा है । हम ने अपने देश में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया है, इजराईल के साथ हमें अछूत जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिये ।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** : आज दुनिया पर केवल दो राज्य प्रभुत्व जमाना चाहते हैं । एक है अमेरीका तथा दूसरा रूस । इंगलैंड सा महान देश आज अमेरीका के साथ लगा है और इधर चीन रूस के अधीन चल रहा है । ये दोनों गुट आपस में संघर्ष रत हैं । आज सारी दुनिया के लोग या तो रूस की ओर हैं या अमेरीका की ओर । उन की अपनी वास्तविकता गौण हो गई हैं । यदि रूस दुनिया पर अधिकार कर ले तो दुनिया लाल हो जायेगी और यदि अमेरीका का राज्य हुआ तो बहां वर्ग बन जायेंगे ।

मैं तो दोनों की दासता स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं । इस का उपचार तभी हो सकता है जब सारी दुनिया की एक संघीय सरकार बने । जब तक संसार संगठित नहीं हो जाता तब तक इस संघर्ष की समाप्ति न होगी । आपस के झगड़े और धर्म की आड़ ले कर झगड़े, ये सब बातें बरी हैं ।

दुःख की बात है कि अभी तक हमारे प्रधान मंत्री इस विश्व सरकार की बात को समझे नहीं लंदन से भी मुझे एक पत्र मिला है कि श्री नेहरू इसे संभव नहीं समझते ।

अतः मैं माननीय प्रधान मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वे अपने विचार बदलें और विश्व सरकार की बात स्वीकार करें । यदि वह इस बात को मान लें तो पर्याप्त कठिनाइयां हल कर सकते हैं ।

विश्व सरकार का जो मेरा कार्यक्रम है उस के अन्तर्गत यूरोप का एक नार्डिक जिला बन जायेगा इस से वहां की समस्यायें हल हो जायेंगी; इधर अफरीका का भी एक जिला बन सकता है ।

यदि प्रधान मंत्री बात मान लें तो मैं श्रीलन्का वालों से भी आर्य जिले में सम्मिलित होने के लिये कह सकता हूं । पाकिस्तान का प्रश्न भी हल हो सकता है । यदि मेरी बात मान ली जाये तो मैं ईरान तथा काबुल से सन्धि कर लूं । इस से हमें और ईरान वालों को भी शक्ति प्राप्त होगी । हमें आपस की फूट मिटानी चाहिये । सब लोगों को मानव कल्याण के लिये संघर्ष करना चाहिये ।

†**श्री जगन्नाथ राव** : हमारे देश की वैदेशिक नीति पर देश में किसी प्रकार का मतभेद नहीं है । हमारे प्रधान मंत्री सैनिक गुट बन्दियों की निन्दा करते हैं और यह बात ठीक भी है । जो लोग विदेशों से यह सन्धियां करते हैं वह अपनी स्थिति खराब कर लेते हैं ।

आज संसार में रूस तथा अमेरीका दोनों एक दूसरे के प्रति घोर शंकायें रखते हैं हम संयुक्त राष्ट्र में इन्हीं बातों को दूर करने के लिये एक सुव्यवस्थित नीति अपना रहे हैं । हमारी यहीं इच्छा है कि दोनों गुटों में शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की भावना विद्यमान रहे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

में श्री डांगे की इस बात को सुन कर कि हमारी नीति अमेरीका से प्रभावित है, बड़ा चकित हुआ हूं । हम अमेरीका के अतिरिक्त रूस तथा इंगलैंड से भी तो सहायता ले रहे हैं । हम विदेशों से भिखारियों की भांति सहायता नहीं लेते बल्कि सब कुछ आर्थिक आधार पर ही निर्भर है । हम किसी के दास तो नहीं बनते ।

जान केनेथ ग्रेलब्रेथ ने एक लेख में लिखा है कि न तो पाश्चात्य अर्थशास्त्र के सिद्धान्त और न ही रूसी व्यवस्था के सिद्धान्त भारत पर लागू होते हैं । भारत की समस्या तो यह है कि संसदीय प्रणाली में वहां बहुत से कुशल उपक्रमी पैदा हों । इस कारण न तो रूस के अनुसरण से इस का हल हो सकता है और न ही अमेरीकन पद्धति से ।

पाकिस्तान से हमारे सम्बन्ध नित्य प्रति बिगड़ते ही जा रहे हैं उस का कारण यह है कि अभी पाकिस्तान में भाईचारे की भावना पैदा नहीं हुई है वहां ऐसे उच्च व्यक्ति ही नहीं जिन की तुलना हमारे प्रधान मंत्री से की जा सके ।

कहा जाता है कि नेहरू-नून समझौता नहीं होना चाहिये था । किन्तु यदि यह उपचार न होता तो फिर कौन सा दूसरा तरीका था । क्या हम युद्ध करते ?

इसी प्रकार से गोआ का प्रश्न है । इस प्रश्न को भी हम युद्ध से हल नहीं कर सकते । पुर्तगाल भी राष्ट्र संघ का सदस्य है । हमें उसे विदेशी सत्ता से मुक्त अवश्य कराना है ।

श्री डांगे की यह बात भी गलत है कि हमारी सेना के अधिकारियों को बाहर वालों से कुछ सीखना नहीं चाहिये । इस से हमारी स्वतन्त्रता पर प्रभाव नहीं पड़ता ।

†**श्री प्र० चं० बरूआ** (शिवसागर) : श्रीमान्, यद्यपि पाकिस्तान से विवादों के बारे में पर्याप्त बातें कही गई हैं किन्तु मैं भी उन्हीं का उल्लेख करूंगा, कारण यह है कि हमारे सीमान्त पर ऐसी अनेक घटनायें घट रही हैं जिससे वहां के निवासी सदैव मस्त रहते हैं । पाकिस्तान वाले आक्रमण करते हैं किन्तु हम केवल विरोध कर के ही रह जाते हैं । हाल ही भारतीय एयरलाइन्स के दफ्तर पर धावा किया गया था और इसी प्रकार की अनेक घटनायें वहां हुई । नेहरू-नून सन्धि भी बहुत ही शीघ्र भंग कर दी गई थी । इस सम्बन्ध में जो बातें श्री जयपाल सिंह तथा बाजपेयी जी ने कही हैं मैं उन का समर्थन करता हूं । हमारे यहां के आश्वासनों से सीमा पर रहने वाले लोगों की जानें तो नहीं बच सकतीं क्या हम उन्हें उनके अपने बचाव के लिये शस्त्र नहीं दे सकते ।

अब हम ने गोआ के बारे में भी कुछ नही सुना उस का हल इस प्रकार चुपचाप बैठने से ही कैसे होगा यह हमारा भ्रम है कि यदि हम ने गोआ को लिया तो पश्चिमी देश हस्तक्षेप करेंगे या हम पर टूट पड़ेंगे ।

इसी के साथ हमें तानाशाही देशों से भी सावधान रहना चाहिये । हमें अपने स्कूलों के बच्चों को अनिवार्य सैनिक शिक्षा देनी चाहिये ।

हमें श्रीलंका में बसने वाले भारतीयों को भी कुछ न कुछ सहायता देनी चाहिये । उन की समस्या का हल भी कराना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

यह भी विचित्र है कि यह कैसा हुआ कि भारत का नक्शा किसी पुस्तक में अधूरा छपा। यह बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

श्री रघुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं ने एक सब्सीट्यूट मोशन दिया है और मैं उसी के आधार पर बोलना चाहता हूं। लेकिन इस के पहले कि मैं इस मोशन पर बोलू मैं आचार्य कृपालानी जी के भाषण के बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

आचार्य कृपालानी जी ने काश्मीर की नीति के ऊपर हमला करते हुए कहा है कि हम लोगों को एक आदमी के ऊपर अवलम्बित नही होना चाहिये। उन का यह संकेत है कि हम लोगों को बख्शी गुलाम मुहम्मद पर अवलम्बित नही होना चाहिये। लेकिन मैं उन से कहना चाहता हूं कि बख्शी गुलाम मुहम्मद साहब काश्मीर के लोगों के प्रतीक हैं, उनके नेता हैं, वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर हम उन के ऊपर अवलम्बित नही होंगे तो फिर काश्मीर में ऐसी कौन सी दूसरी शख्सियत है जिस पर अवलम्बित रह सकते हैं। इसलिये मेरा कहना है कि उन का यह रिमार्क अनुचित रिमार्क है।

दूसरी बात हमें काश्मीर के बारे में यह कहनी है कि काश्मीर का मामला बहुत दिनों से यू० एन० ओ० में है। हमें एक समय निश्चित करना चाहिये। अगर उस समय के बीच इस मामले का फैसला न हो तो हम को यह मामला यू० एन० ओ० से हटा लेना चाहिये। जब कि हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि काश्मीर हिन्दुस्तान से मिल गया है और काश्मीर हिन्दुस्तान का अभिन्न अंग है, तो ऐसी अवस्था में इस चीज का चलते रहना अनुचित सा प्रतीत होता है।

श्री ब्रजेश्वर प्रसाद जी ने कहा कि जितनी नेशन्स हैं सब एक दूसरे की ऐनीमी हैं। साथ ही साथ उन्हों ने यह कहा कि हिन्दुस्तान का चाइना के साथ इंटिग्रेशन होना चाहिये, सोवियत ऐशिया के साथ इंटीग्रेशन होना चाहिये। यह निराशावाद का द्योतक है और यह कायरता का द्योतक है कि हम किसी से मिलने जायें। जब हम अपने में कमजोरी अनुभव करेंगे तभी हम दूसरे के साथ जा कर मिल सकते हैं हम को किसी से मिलने की कोई जरूरत नही है। हमारी जो भारत सरकार की विदेश नीति है वह बहुत उचित है और हम को अपने पैरों के जोर पर खड़ा होना है। अगर हम अपने पैरों के जोर पर खड़े नही रह सकते तो हम दुनिया के किसी ब्लाक के, चाहे वह सोवियत ब्लाक हो या डिमाक्रेटिक ब्लाक हो सहारे खड़े नही रह सकते। जिस आदमी की कमर टूट गई हो उस को डोरी बांध कर या उस की कमर में लकड़ी बांध कर हम खड़ा नही कर सकते। इसलिये इस निराशावाद की भावना को हमें त्यागना चाहिये। मैं चंगेजखां का एक उदाहरण आप के सामने देना चाहता हूं। मैं उस को दुनिया का सब से बड़ा सेनापति समझता हूं। उस ने युरोप और एशिया के एक बड़े भाग को जीता था। जब वह बुखारा के पास आया तो लोगों ने कहा कि बुखारा के किले की दीवारें बहुत मज्बूत हैं, वह उस किले को नहीं जीत सकेगा। तो चंगेज खां ने कहा कि बुखारा के किले की दीवारों से बुखारा वालों की मजबूती नहीं है, उन के मनोबल में उन की मजबूती है, उन की आत्मा में उन की मजबूती है। अगर उन में मनोबल नहीं है तो बुखारा के किले की दीवारें उन की रक्षा नही कर सकेंगी। और चंगेजखां ने बुखारा पर हमला किया और बुखारा का पतन हुआ। इसी तरह से अगर हम में मनोबल नहीं होगा तो हम हिन्दुस्तान की रक्षा नही कर सकेंगे। यह मनोबल ही था जिस के द्वारा हम ने यहां से इतने बड़े ब्रिटिश साम्राज्य को हटाया और उसी के द्वारा हम हिन्दुस्तान की आजादी की भी रक्षा करेंगे।

आज कल चीन के विषय में बहुत सी बातें कही जाती हैं। मैं एक बात इस सम्बन्ध में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आज जो चीन और हिन्दुस्तान में एकता और स्नेह है इस के खिलाफ दुनिया में बड़ा प्रोपैगण्डा है ताकि यह स्नेह सूत्र टूट जाये। यहां हाउस में भी चीन के बारे में बहुत से प्रश्न

[श्री रघुनाथ सिंह]

किये जाते हैं। लेकिन हमें सावधान होना चाहिये। चीन ने आज तक कभी हिन्दुस्तान पर हमला नहीं किया यद्यपि वह हमेशा हमारी सीमा से लगा रहा है। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिये।

अभी डा० सुब्बरायन ने सीलोन में जो भारतीय हैं उन की सिटीजनशिप के बारे में कहा। यह सवाल केवल सीलोन में ही नहीं है बल्कि यह सवाल बर्मा, थाईलैंड, सिंगापुर, पिनांग, मलाया, इंडोनेशिया और अफ्रीका में भी है, और यह बहुत गहरा सवाल है। वहां पर हिन्दुस्तानी विपन्नावस्था में रह रहे हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि उन सभी लोगों को उन देशों में सिटीजनशिप का अधिकार मिलना चाहिये जो कि वहां पैदा हुए हैं। जो लोग उन देशों में पैदा हुए हैं कोई कारण नहीं है कि उन को वहां सिटीजनशिप का अधिकार न दिया जाये। ऐसा न होना अनुचित है। इसलिये मेरा कहना है कि जो लोग जिन देशों में पैदा हुए हैं उन को वहां की सिटीजनशिप जन्मना मिलनी चाहिये। उन को वहां पर यह राइट दिया जाना चाहिये।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी जी ने नेहरू-नून पैक्ट का जिक्र किया और कहा कि उस से हमें कोई फायदा नहीं हुआ चूंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने वह पैक्ट किया है इसलिये हमें उस की इज्जत तो करनी ही चाहिये लेकिन मैं इस बात को कहने के लिये बाध्य हूं कि इस पैक्ट में हम को सफलता नहीं मिली। हम ने यह पैक्ट इसलिये किया था कि हमको बार्डर रेड्स से मुक्ति मिल जाये लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि आज बार्डर रेड्स तेजी से और हो रही है, हम सुनते हैं कि सीमा पर पाकिस्तान की ओर बंकर बन रहे हैं, पाकिस्तान वहां पर अपनी फोर्स को एकत्र कर रहा है। ऐसी अवस्था में हम उस पैक्ट को सफल नहीं मान सकते और हमें पाकिस्तान से कहना चाहिये कि अगर बार्डर रेड नहीं रुकेंगे तो हम उस पैक्ट को मानने के लिये तयार नहीं हैं, क्योंकि जब मूल ही गायब है तो उस की शाखायें भी गायब हो ही जायेंगी।

कुछ माननीय सदस्यों ने कामनवैल्थ के बारे में जिक्र किया। हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि अगर कामनवैल्थ में रंगभेद की नीति बरती जाती है, अगर उस में काले गोरे के आधार पर व्यवहार किया जाता है तो वह कामन वैल्थ आदर्श कामनवैल्थ नहीं हो सकती। रंग भेद की नीति दूर होनी ही चाहिये। हमें कामनवैल्थ में रहने से क्या फायदा अगर उस के भीतर रंग भेद का व्यवहार होता है और अपार्टथीड की नीति के अन्तर्गत हिन्दुस्तानियों पर अत्याचार होते हैं। आप देखें कि हम भी उसी कामनवैल्थ में हैं और दक्षिण अफ्रीका भी उसी का सदस्य है। फिर भी हमारे विरुद्ध वहां पर रंगभेद की नीति बरती जाती है जो कि असंगत नीति है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि अगर कामनवैल्थ को कायम रखना है तो उस को अच्छे ढंग से रखना चाहिये जिस में सब लोगों को समान अधिकार प्राप्त हों।

कहा गया है कि केनिया में और ईस्ट अफ्रीका में हिन्दुस्तानियों की बहुत बड़ी आबादी है लेकिन उन को वोट का अधिकार प्राप्त नहीं है। यह मेरी समझ में नहीं आता कि जिन लोगों का चमड़ा गोरा है उन को वहां पर पैदा होने के कारण सिटीजनशिप का राइट मिलता है, पर चूंकि हम रंगीन हैं इसलिये हम को वह अधिकार नहीं मिलता। मेरी समझ में नहीं आता कि यह कामनवैल्थ कैसी है कि जिस में उन देशों में पैदा होने वाले गोरों को तो सिटीजनशिप का और वोट का अधिकार मिल सकता है लेकिन जो रंगीन लोग वहां पैदा होते हैं उन को वह अधिकार नहीं मिल सकता। अगर यही हालत रही तो कामनवैल्थ की दीवारें नहीं टिकी रह सकती, वे एक दिन ढह जायेंगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

हमारे संशोधन में यह है कि जो लोग आपर्टथोड का व्यवहार करते हैं, रंगभेद की नीति पर चलते हैं, और जो ऐटामिक बाम्ब और हाइड्रोजन बाम्ब का प्रयोग करते हैं वे शान्ति में बाधक हैं, इसलिये उन का सामाजिक वहिष्कार किया जाये। हमारे बहुत से भाई इस पर हंसेंगे और कहेंगे कि सामाजिक बहिष्कार क्या होता है। आप को याद होना चाहिये कि सामाजिक बहिष्कार बहुत बड़ी चीज है। भारतीय शास्त्र में कहा गया है कि सामाजिक बहिष्कार सब से बड़ा बहिष्कार है। कबीर दास जो ने कहा है :

गहरी मार कबीर की कि चित से दिया उतार

अर्थात् सबसे बड़ा बहिष्कार यही है कि चित से उतार दिया जाये। हम को ऐसे देशों के खिलाफ सारी दुनिया का लोकमत मोबिलाइज करना चाहिये। जो लोग ऐटामिक बाम्ब और हाइड्रोजन बाम्ब का प्रयोग करते हैं और जो रंग भेद की नीति पर चलते हैं हम को उन का बहिष्कार करना चाहिये क्योंकि व मनुष्य मनुष्य के बोच भेद करते हैं, देश देश में भेद करते हैं, उन के दिल में साम्राज्यवाद की भावना है जिस के खिलाफ हम ने युद्ध किया है। महात्मा गांधी ने इस सामाजिक बहिष्कार का सफल प्रयोग किया था। उसो प्रयोग के कारण हम को आजादी मिली। सामाजिक बहिष्कार के मानी हैं कि हम आप से प्यार करते हैं, आप से मुहब्बत करते हैं लेकिन आप के जो विचार हैं उन का हम समर्थन नहीं करते। अगर यू० एन० ओ० में पैक्टों और बहसों से काम न चलता हो, तो दुनिया के देशों को मिल कर उन देशों का सामाजिक बहिष्कार कर देना चाहिये, जो कि रंगभेद की नीति का व्यवहार करते हैं।

मेरे संशोधन में यह भी कहा गया है कि एशिया और अफ्रीका के देशों से हमारा सम्पर्क अधिक से अधिक होना चाहिये। इन देशों से और वहां रहने वाले हिन्दुस्तानियों से हमारा सम्पर्क बहुत कम है। कम से कम सात आठ देशों में मैं घूम आया हूं। मैं ने देखा कि वहां हमारी एम्बैसीज का वहां रहने वाले हिन्दुस्तानियों से बहुत कम सम्पर्क है। वहां के हिन्दुस्तानी अभी तक समझते हैं कि वे अंग्रेजों के समय के लोग बैठे हैं, वही आफिशियलडम है। बाहर रहने वाले हिन्दुस्तानियों में भी यह मानसिक बीमारी है और एम्बैसीज के लोगों में भी यह मानसिक बीमारी है। उस की औषधि होनी चाहिये। वह बोमारी कानून से दूर नहीं हो सकती है। वह विचार में परिवर्तन से दूर हो सकती है। इस लिये मैं कहना चाहता हूं कि एशिया और अफ्रीका के देशों में रहने वाले हिन्दुस्तानियों से ज्यादा से ज्यादा सम्पर्क स्थापित किया जाये।

†**श्री अन्सार हरवानी** (फतहपुर): श्रीमान् हमारी आज की वैदेशिक नीति सर्वोत्तम एवं सर्वश्रेष्ठ है। किन्तु अब हमें वह आधार बनाना है जिससे कि यही नीति भविष्य में भी जारी रहे।

हम पाकिस्तान की घटनाओं की ओर भी आंखें मूंद कर नहीं बैठ सकते। वहां के सामन्तशाही नेता वहां लोकतन्त्र की जड़ें मजबूत न कर सके अतः आज वहां सैनिक शासन बना है। हमें पाकिस्तान की जनता से जो सैनिक शासन के अधीन पिस रही है बड़ी सहानुभूति है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वहां की जनता भी हमारे हां की ही है। वे हमारे ही लोग तो है। मुझे आशा है कि वहां की जनता उठेगी। हमें उनके साथ अपनी सहानुभति रखनी चाहिये। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि उसे पाकिस्तान पर कड़ी निगाह रखनी चाहिये

यह ठीक है कि अन्य देशों में भारतीयों को जिन्होंने वहां की नागरिकता स्वीकार कर ली है वहां का ही वफादार रहना चाहिये। किन्तु दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में कौन किस प्रकार से सुखी रह

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अन्सार हरवानी]

सकता है ? हमें उनसे पूर्ण सहानुभूति प्रदर्शित करनी चाहिये। दक्षिण अफ्रीका तथा श्रीलंका कामन्वैल्थ ही के प्रतिनिधि हैं। हमें कामनवैल्थ के सहयोग से भी यह समस्यायें हल करानी चाहियें।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय प्रधान मन्त्री को उनकी नीति के लिये बधाई देता हूं।

श्री अ० मु० तारिक (जम्मू तथा काश्मीर) : मिस्टर स्पीकर, जनाबे वाला, में आपका बेहद ममनून हूं कि आज आपने मुझे दूसरी बार इस अज़ीम ऐवान को खताब करने का मौका बख्शा है। मैं समझता हूं कि मेरे पास ऐसी कोई खास बात नहीं थी जिसके लिए मैं आप से वक्त मांगता, क्योंकि मैं जानता हूं कि हिन्दुस्तान के बैरूनी मामलात एक ऐसी शख्सियत के हाथ में ह, जिसकी मुआमला-फ़हमी और मामलात के सुलझाने की काबलियत के बारे में कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। लेकिन आज के दिन जब इस ऐवान के एक ज़ी-इज्ज़त मेम्बर, श्री आचार्य कृपालानी ने काश्मीर के बारे में तज़किरा किया, तो मुझे उनकी राय से इन्तहाई अफ़सोस हुआ। आचार्य जी एक ज़माने में कांग्रेस के जेनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, ...

एक माननीय सदस्य : प्रधान भी रहे हैं।

श्री अ० मु० तारिक: आचार्य कृपालानी जिन्हें हम अपना दादा कहने में फ़ख्र महसूस करते हैं और जो अपने आपको महात्मा गांधी के फ़लसफ़े का पैग़म्बर कहते हैं और कभी कभी जानशीन भी तसुव्वर करते हैं। गांधीजी के फ़लसफ़े में ऐसी कोई बात मुझे नहीं दिखाई देती कि ज़ाती नफ़रत की बिना पर किसी शख्स को, जिसने अपने आप को कौम के हवाले किया हो, मरदूद करार दे दिया जाये और बेबुनियाद बातों पर इल्ज़ामात तराशे जायें। हम हर फ़र्दे-बशर की इज्ज़त करते हैं चाहे वह किसी जमात से भी ताल्लुक रखता हो। मैंने अपनी पिछली तक़रीर में जब कांग्रेस की साबिका जेनरल सेक्रेटरी मृदुला साराभाई जी का ज़िक्र किया था, तो मैंने कहा था कि वह हमारे खानदान की एक फ़र्द हैं और मुझे अपनी अर्ज़ीज़ बहन की तरह अज़ीज़ हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अगर खान-दान का कोई शख्स किसी गलत रास्ते पर चल पड़े तो खानदान के बुजुर्ग उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश न करें। हम लोगों का फ़र्ज़ है, खानदान में रहने वालों का फ़र्ज होता है कि उसको सही रास्ते पर लाया जाए। आचार्य क्रापलानी जी ने यह कहा है कि हम काश्मीर के बारे में किसी एक आदमी पर एतबार नहीं कर सकते। काश्मीर के एतबार का जहां तक सवाल है वह हमारा काम है, काश्मीरियों का काम है कि हम जिस शख्स को इस काबिल समझें हम उसे अपना रहनमा बनायेंगे। यह हमारा काम है, इसके बारे में किसी दूसरे की राय लेने को हम तैयार नहीं हैं, चाहे वह कितना ही अज़ीम क्यों न हो।

बख्शी गुलाम मुहम्मद को मैं जानता हूं जिस पालिसी या जिस काम को वह अमल में ला रहे हैं वह किसी फर्दे वाहिद का नहीं। बख्शी गुलाम मुहम्मद एक फर्द नहीं हैं। वह एक कौम हैं क्योंकि उन्हें तमाम काश्मीरियों ने अपना एतमाद बख्शा है। शेख मुहम्मद अब्दुल्ला हमारे रहनुमा थे। शेख साहब उन लोगों में से थे जिन्होंने काश्मीर की तारीख बनाई। शेख साहब वह थे कि जिसकी हम कसमें लिया करते थे, जिस के कहने पर हम अपनी औलादें कुर्बान करने से भी दरेग़ नहीं करते थे। लेकिन शेख साहब ने जो कुछ किया है उसके लिए वह खुद जिम्मेदार हैं। अगर वह गलत रास्ते पर जायें तो यह हमारा काम है कि उनको सही रास्ते पर लायें। हम यह गवारा नहीं कर सकते कि उन हालात में जब सरहदों पर फौजें खड़ी हों, जब हमारे देश पर छिले कई सालों से हमले के वाकात हो रहे हों, एक ऐसे शख्स को अपना सरबरा तसव्वुर करें जिस के समझने का ढंग, जिस के काम करने का ढंग बदल गया हो।

बख्शी गुलाम मुहम्मद के बारे में आचार्य कृपालानी जी ने जो कुछ कहा उसके लिए मुझे अफसोस है। लेकिन मैं आचार्य जी से मायूस नहीं हूं क्योंकि जो खुद एक ज़माने में कांग्रेसी थे वह आज कांग्रेस से दूर हो गये हैं। मुझे एक शेर याद आ रहा है जिसे मैं अगर वह यहां होते तो उनकी खिदमत में पेश करता। लेकिन अगर उनका कोई दोस्त यहां हो तो वह इसे उन तक पहुंचा दे।

हज़ार शुक्र है कि मायूस कर दिया तू ने।
यह और बात है कि तुझ से बड़ी उम्मीदें थीं।

इन अल्फ़ाज़ के साथ मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूं और एक बार फिर इत्मीनान दिलाता हूं हम काश्मीरी जब तक पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में इस मुल्क की कयादत है जब तक उनके हाथ में फारेन अफेयर्स का मामला है, परेशान नहीं हैं। हम किसी हमलावर से परेशान नहीं हैं, हम किसी कौम से परेशान नहीं हैं, हम किसी मुल्क की ताकत से परेशान नहीं हैं। लेकिन हम अपने दोस्तों से, इस मुल्क के रहने वाले बुजुर्गों से यह दरख्वास्त करेंगे कि वे इन हालात के पेशेनज़र, ज़ाती मामलात की बिना पर, ज़ाती नफरत की बिना पर तमाम कौम को और उस कौम के रहबर को मुद्दे इलज़ाम न करार दिया करें।

†**श्री न० र० घोष** (कूच-बिहार): मैं भारत की वैदेशिक नीति की सराहना करता हूं।

इस से अधिक आदर्श नीति हम कभी भी नहीं अपना सकते। हमारी भलाई ही इस बात में है कि हम किसी भी गुट में सम्मिलित न हों और अलग थलग रह कर काम करें।

हमारे सामने पाकिस्तान का बड़ा भारी प्रश्न है। सीमा के झगड़े दिन प्रति दिन बढ़ते ही जा रहे हैं और वहां रहने वालों की दशा बिगड़ती जा रही है। वे लोग अब अपने आप को असहाय समझने लगे हैं। उन का जीवन वहां दूभर हो गया है। केवल प्रोटैस्ट करने से कुछ नहीं बनता। हमें उन का वही जवाब देना चाहिये जिसे पाकिस्तान समझता हो।

मैं यह नहीं कहता कि हमें सम्बन्ध बनाये रखने के लिये छोटे-मोटे स्थानों का विनिमय नहीं करना चाहिये बल्कि मेरी प्रार्थना तो यह है कि जैसे वह हम से तिपरा का क्षेत्र मांगते हैं वैसे ही हम पूर्वी बंगाल की ओर एक क्षेत्र उन से मांग सकते हैं। यह काम हमारे पदाधिकारियों को करना चाहिये तथा हमारे प्रधान मंत्री को बता देना चाहिये कि अमुक स्थान पर अमुक आवश्यकता है। यदि हम ने उन से इसी प्रकार के समझौते ही करने हैं तो जहां कुछ दें वहां उन से कुछ लेना भी तो चाहिये। खैर जो वचन हमारे प्रधान मंत्री उन्हें दे बैठे हैं हमें उन का पालन तो करना ही है। किन्तु पाकिस्तान ने तो उस सन्धि को भी तोड़ डाला। उन्हों ने उस की तनिक परवाह भी नहीं की है।

सिलहट का थाना भी गलती से पाकिस्तान में सम्मिलित हो गया था। संभवतया यहां, वहां की जनता के अभ्यावेदन भी आये हों। हम उन का दावा भी कर सकते थे। मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री को पूर्ण तथ्यों से अवगत नहीं कराया गया। मैं यह नहीं कहता कि इन बातों के लिये हमें उन से युद्ध छेड़ देना चाहिये। इन सब बातों पर पुनर्विचार हो सकता है। हमें ये सारे झगड़े समाप्त करने चाहियें।

वास्तव में हमारी दान देने की यह नीति ही गलत है। हमें अपने अधिकारों पर भी आग्रह करना चाहिये। अतः अब हमें इस सारे प्रश्न पर पुनर्विचार करना चाहिये। जब सौबेबाजी हो तो

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री न० रा० घोष]

हमें भी उसी भावना से चलना चाहिये। यह क्या कि समस्या के हल के लिये हम १०,००० लोगों के लिये कठिनाइयां खड़ी कर दें। हमें ४¹/८ वर्गमील स्थान नहीं देना चाहिये अन्यथा जलपाईगुड़ी तथा कूचबिहार का सम्बन्ध ही टूट जायेगा। यदि हम ठीक तरह से चलें तो जनता को बचा सकते हैं।

इन शब्दों के साथ में अपनी वैदेशिक नीति का समर्थन करता हूं।

†**श्री हेम बरूग्रा** (गोहाटी) : अभी हाल से राजनैतिक गतिविधियों का क्षेत्र दक्षिणपूर्व से हट कर मध्यपूर्व हो गया है। इस का यह आशय नहीं है कि दक्षिणपूर्व की राजनैतिक समस्यायें हल हो गई हैं अपितु कुछ समस्यायें पहिले की तरह ही हैं। उदाहरणार्थ फारमोसा की समस्या अभी तक हल नहीं हुई है। कुछ राष्ट्रों की अनुचित जिद के कारण यह समस्या जटिलतर होती जा रही है। हमें इस समस्या का शान्तिपूर्ण हल करने में सहयोग देना चाहिये। इस के लिये मेरा यह सुझाव है कि फारमोसा में संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में जनमत संग्रह किया जाय और देखा जाय कि क्या वहां की जनता चीन गणराज्य में शामिल होना चाहती है या स्वतंत्र रहना चाहती है। मैं आशा करता हूं प्रधान मंत्री मेरे सुझाव पर ध्यान देंगे।

दूसरी समस्या जो अभी हाल में खड़ी हो गई है वह है भारत के पड़ौसी देशों में सैनिक तानाशाही का प्रादुर्भाव। बर्मा, पाकिस्तान और थाईलैण्ड में सैनिक तानाशाही का प्रादुर्भाव हो गया है। भारत और लंका केवल दो देश ही लोकतंत्र के समर्थक रह गये हैं अतः भारत इस स्थिति में निरपेक्ष दर्शक मात्र नहीं रह सकता है क्योंकि इन बातों से उस के लोकतंत्र शासन को भारी खतरा पैदा हो गया है। इस के दो कारण हैं पहिला तो यह कि पाकिस्तान के साथ भारत की कई समस्यायें अभी तक हल नहीं हो पाई हैं। हम ने पाकिस्तान की पुरानी सरकारों के साथ उन प्रश्नों के निपटारे का बहुत प्रयत्न किया तथापि हमें सफलता नहीं मिली। अब हमें ये प्रश्न एक सैनिक सरकार के समक्ष रखने हैं और वह सरकार उन्हें अपने दृष्टिकोण से देखेगी। पाकिस्तान की सैनिक सरकार के लिये अपने देश की समस्यायें सुलझाना सरल नहीं है क्योंकि वहां की समस्यायें बहुत जटिल हैं। अतः वहां से निराश होने पर वह दूसरे देशों के साथ संघर्ष का मार्ग अपना सकती हैं। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान को अमेरिका से बहुत सैनिक सहायता मिल रही है जिस को वह भारत के विरुद्ध प्रयोग कर सकता है।

इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम ने पाकिस्तान की सैनिक सरकार को मान्यता दे कर गलती की है। साथ ही हमें अब राष्ट्रमंडल के गठन पर भी विचार करना है। राष्ट्रमंडल उन देशों की संस्था है जो संसदीय लोकतंत्र में विश्वास करते हैं तब भला पाकिस्तान को, जहां सैनिक तानाशाही है उस में क्यों स्थान दिया जाता है।

उक्त बातों को दृष्टि में रख कर हमें अपनी सीमान्त समस्या को देखना है। वस्तुतः हमारी सीमांत समस्या विशेषतः उत्तरपूर्व में बहुत जटिल हो गई है। अभी हाल तुकेग्राम के सम्बन्ध में प्रश्न किये जाने पर प्रधान मंत्री ने स्पष्ट उत्तर नहीं दिया था। वस्तुतः तुकेग्राम ७ सितम्बर, १९५८ तक भारत सरकार के अधीन था विभाजन के समय इसका कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। न रेडक्लिफ पंचाट या बागे पंचाट में ही इस का जिक्र था। तब अचानक पाकिस्तान की सेना ने ७ सितम्बर, १९५८ को इसे अपने कब्जे में कर लिया और उस का सम्बन्ध पथरिया रक्षित बन से जोड़ दिया गया। वस्तुतः पथरिया रक्षित बन से इस का कोई सम्बन्ध नहीं है लेकिन अब पाकिस्तान इस क्षेत्र को पथरिया रक्षित बन की क्षतिपूर्ति के एवज में देना चाहता है। जो नितान्त अनुचित है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अब मैं बर्मा के भारतीयों के प्रश्न को लेता हूं। उन के सामने बहुत कठिनाइयां हैं। पहिला भारत को रुपया भेजने सम्बन्धी कठिनाई। दूसरी विदेशी पंजीयन प्रमाणपत्रों को नया बनाने की कठिनाई। जिस के लिये प्रत्येक व्यक्ति से ५० रु० लिया जाता है। जो एक अल्प वेतन भोगी भारतीय परिवार के लिये बहुत अधिक है अतः यह शुल्क परिवार के मुखिया से ही लिया जाना चाहिये। जो भारतीय वर्मा की नागरिकता के लिये आवेदन करते हैं उन्हें पहिले तमाम भारतीय अधिकारों को त्यागना होता है। और यदि वह आवेदन अस्वीकृत हो जाता है तो वह कठिनाई में पड़ जाता है। अतः मैं प्रधान मंत्री से निवेदन करता हूं कि वे इन प्रश्नों पर गौर करने की कृपा करें और देश के हितों का ध्यान रखते हुए इन प्रश्नों को हल करें।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, ९ दिसम्बर, १९५८ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।]

दैनिक संक्षेपिका

[सोमवार, ८ दिसम्बर, १९५८]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		१६८१—१७०६
तारांकित प्रश्न संख्या		
६५७	केरल राज्य व्यापार निगम	१६८१—८२
६५८	पंजाब के लिये इस्पात का कोटा	१६८२—८३
६५९	औद्योगिक श्रमिकों के लिये सामाजिक सुरक्षा योजना	१६८३—८४
६६०	नारियल जटा गवेषणा संस्था	१६८५—८७
६६१	हिमाचल प्रदेश में रेशम उद्योग	१६८७—८८
६६२	मशीनी औजार कारखाना, बंगलौर	१६८८—८९
६६३	अर्थर्टन वेस्ट मिल्स लि०	१६९०—९१
६६४	खादी का उत्पादन तथा विक्रय	१६९२—९४
६६६	सीमा घटनायें	१६९४—९७
६६७	काफी विपणन सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति	१६९७—९८
६६८	खेल का सामान तैयार करने का उद्योग	१६९८—९९
६६९	प्राकृतिक उड़नशील तेल	१६९९—१७०१
६७०	बतिया कैम्प में शरणार्थी	१७०१—०३
६७१	इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन	१७०३—०५
६७२	आसाम में रेशम की मिल	१७०५—०६
प्रश्नों के लिखित उत्तर		१७०६—६०
तारांकित प्रश्न संख्या		
६६५	खान अधिनियम, १९५२ का संशोधन	१७०६
६७३	निर्माण कार्यों के लिये धन आवण्टन	१७०६—०७
६७४	औद्योगिक श्रमिकों के लिये प्रशिक्षण	१७०७
६७५	भूटान	१७०७—०८
६७६	चपड़ा और दरदरी लाख का न्यूनतम क्रय मूल्य	१७०८
६७७	अन्दमान और निकोबार द्वीप-समूह का औद्योगिक विकास	१७०९

विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

६७८	अमरीका को टाट का निर्यात	१७०९
६७९	विदेशों में चाय सम्बन्धी जन सम्पर्क यूनिट	१७०९
६८०	पंजाब में निष्क्रम्य व्यक्तियों के मकानों में रहने वाले हरिजन	१७१०
६८१	इण्डिया हाउस, लन्दन	१७१०
६८२	जादवपुर पालिटक्निक में व्यापार सम्बन्धी पाठ्यक्रम	१७१०—११
६८३	प्याज का निर्यात	१७११
६८४	गोलमुड़ी की टाटानगर फाउण्ड्री	१७११—१२
६८५	डीजल इंजन	१७१२
६८६	दुर्गापुर का कोक भट्टी संयंत्र	१७१३
६८७	मद्रास के कपड़ा रंगने वालों और उत्पादकों का सम्मेलन	१७१३
६८८	किसान	१७१४
६८९	ट्रेक्टरों के कारखाने	१७१४
६९०	गोल मिर्च का निर्यात	१७१४—१५
६९१	घड़ियां और दीवार-घड़ियां	१७१५
६९३	कल्याण रुई	१७१६
६९४	नाभिकीय परीक्षणों का पता लगाने के सम्बन्ध में जेनेवा-सम्मेलन	१७१६—१७
६९५	राज्य गृह-निर्माण बोर्डों की स्थापना	१७१७
६९६	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (प्राइवेट) लिमिटेड	१७१७
६९७	हिमाचल देश में खानों से नमक निकालना	१७१८
६९८	कर्मचारी राज्य बीमा निगम	१७१८
६९९	एक्स-रे फिल्मों का आयात	१७१८—१९
७००	प्रबन्ध में श्रमिकों द्वारा भाग लिया जाना	१७१९
७०१	राज्य व्यापार निगम	१७१९
७०२	विदेशी सार्थों का भारतीयकरण	१७२०
७०३	कैलाश मानसरोवर के लिये तीर्थ-यात्री	१७२०
७०४	सरकारी क्वार्टरों का आवंटन	१७२०—२१
७०५	न्यूज़ीलैण्ड का उच्च आयुक्त	१७२१
७०६	भारतीय फर्में	१७२१
७०७	सान-फ्रेंसिस्को में स्मारक आश्रम	१७२१—२२
७०८	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मभारित कर्मचारी	१७२२

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

७०९	ब्रिटेन में चाय परिषद्	१७२२-२३
७१०	विस्थापित व्यक्तियों का चारबतियां कैम्प	१७२३
७११	ब्रिटेन को लाख का निर्यात	१७२३
७१२	हथकरघा उद्योग के लिये रंग	१७२३-२४
७१३	राजस्थान में नमक वाले क्षेत्र	१७२४
७१४	पैट्रोल उद्योग के लिये राष्ट्रीय न्यायाधिकरण	१७२४-२५
७१५	चण्डीगढ़ परियोजना	१७२५
७१६	सीमा घटनायें	१७२५
७१७	शीशे और शीशे के सामान का आयात	१७२५-२६
७१८	सीमेण्ट का निर्यात	१७२६
७१९	जापान के साथ व्यापार	१७२६-२७
७२०	रेशम लपेटने के तरीके का आधुनिक ढंग का बनाया जाना	१७२७
७२१	अम्बर चरखा कार्यक्रम	१७२७
७२२	जम्मू के ऊपर एक बिना पहचान का विमान	१७२७-२८
७२३	जमसार की जिपसम खानों में हड़ताल	१७२८

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१०४०	मूर्ति स्थापना समिति	१७२८
१०४१	नंगल उर्वरक तथा भारी पानी परियोजना	१७२८-२९
१०४२	पटसन की मिलें	१७२९
१०४३	दिल्ली में भूमिगत जल की सतह	१७२९-३०
१०४४	तेल उद्योग	१७३०
१०४५	अभ्रक	१७३०-३१
१०४६	मोटरकारें	१७३१
१०४७	ट्रैक्टर	१७३१
१०४८	फाउन्टेनपेन	१७३१-३२
१०४९	रेज़र ब्लेड	१७३२
१०५०	आसाम की दस्तकारी का एम्पोरियम	१७३२-३३
१०५१	हथकरघा उद्योग द्वारा इस्तेमाल किया गया सूत	१७३३
१०५२	ब्लेड	१७३३-३४

	विषय	पृष्ठ.

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित

प्रश्न संख्या

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१०५३	अखिल भारतीय नारियल जटा बोर्ड	१७३४
१०५४	मोटर उद्योग में विदेशी विनियोग . .	१७३४
१०५५	भारतीय विस्फोट पदार्थ कारखाना, गोमिया	१७३४-३५
१०५६	ताड़ी से शराब बनाना .	१७३६-३६
१०५७	साबुन	१७३६
१०५८	उड़ीसा में अम्बर चर्खा का क्रम	१७३६
१०५९	पंजाब में औद्योगिक विस्तार केन्द्र	१७३६-३७
१०६१	सेण्ट्रल क्राफ्ट्स इन्स्टीट्यूट, हैदराबाद . .	१७३७
१०६२	उत्तर प्रदेश में बिजली से चलाये जाने वाले करघे .	१७३८
१०६३	अणु शक्ति का विकास . .	१७३८-३९
१०६४	चीन में नि ोजित भारतीय . . .	१७३९
१०६५	पूर्वी पाकिस्तान में जेल भेजे गये भारतीय .	१७३९
१०६६	लोकमान्य तिलक का स्मारक .	१७३९-४०
१०६७	भारत-पाक सीमा का सीमांकन	१७४०
१०६८	सीमा घटना	१७४०
१०६९	नाभिकीय अस्त्रों का परीक्षण स्थगित करने का प्रस्ताव .	१७४१
१०७०	लाहौर में भारतीय उच्च आयुक्त के कार्यालय का लूटा जाना	१७४१
१०७१	पंचायती रेडियो लगाना .	१७४२
१०७२	राज्यों की योजनायें .	१७४२
१०७३	वैदेशिक व्यापार बोर्ड	१७४२
१०७४	"भारत-१९५८" प्रदर्शनी	१७४२-४३
१०७५	काफी का निर्यात . .	१७४३
१०७६	पंजाब में साइकिल निर्माता . .	१७४३-४४
१०७७	कार्यालयों का नागपुर भेजा जाना . . .	१७४४
१०७८	नेशनल इंस्ट्रूमेन्ट्स (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता .	१७४४-४५
१०७९	वस्त्र उद्योग की मशीनों का निर्माण	१७४५
१०८०	पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगिक विकास .	१७४५
१०८१	भारत और बर्मा के बीच व्यापार . .	१७४६
१०८२	अमरीका को चाय का निर्यात . .	१७४६
१०८३	रूस के साथ व्यापारान्तर	१७४६-४७
१०८४	पंजाब में निष्क्राम्य व्यक्तियों के मकान . . .	१७४७

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित

प्रश्न संख्या

१०८५	राष्ट्रपति की जापान यात्रा पर व्यय	१७४७
१०८६	अमरीकी मोटरों के लिये आयात . .	१७४७
१०८७	उड़ीसा में जूट की सुतली और रस्सी का कारखाना	१७४८
१०८८	कोचीन में निर्माण कार्य	१७४८
१०८९	कानपुर में औद्योगिक कारखाने	१७४८-४९
१०९०	जामसर जिप्सम खान . .	१७४९
१०९१	कन्टाई में नमक	१७५०
१०९२	पश्चिमी बंगाल को राज-सहायता . .	१७५०
१०९३	अम्बर खादी उद्योग	१७५०-५१
१०९४	हथकरघे के वस्त्रों के लिये निर्यात संवर्द्धन समिति .	१७५१
१०९५	तेल, तिलहन और खली के लिये मंत्रणा समिति .	१७५१
१०९६	बागान श्रमिक आवास योजना . . .	१७५१-५२
१०९७	भारतीय व्यापार मिशन . . .	१७५२
१०९८	अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां	१७५२
१०९९	अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिम जातियां .	१७५३
११००	सिलाई की मशीनों का निर्यात . . .	१७५३
११०१	सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि .	१७५३
११०२	रेडियो सेट	१७५३-५४
११०३	नारियल जटा उत्पादों का निर्यात .	१७५४
११०४	खादी ग्रामोद्योग आश्रम, नई दिल्ली . . .	१७५४
११०५	उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण में स्वच्छता . .	१७५४—५६
११०६	राज्य कर्मचारी बीमा योजना .	१७५६
११०७	जिलों तथा सब-डिवीजनों का पुनर्गठन . .	१७५६
११०८	दक्षिण अफ्रीका में भारतीय . . .	१७५७
११०९	अधिग्रहण किये गये मकानों को छोड़ देना . .	१७५७
१११०	अल्प-आय वर्ग आवास योजना . . .	१७५७
११११	मनीपुर में योजना का प्रचार	१७५८
१११२	तिलक नगर में नागरिक सुविधायें . .	१७५८
१११३	उद्योगों के लिये विदेशी मुद्रा . . .	१७५८
१११४	हथकरधा उद्योग के लिये प्रशिक्षण केन्द्र	१७५९
१११५	राजनैतिक पदाधिकारी . . .	१७५९-६०

विषय पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . १७३१–६२

निम्नलिखित पत्र टेबल पर रखे गये :—

१. अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत सूती वस्त्र (नियंत्रण) आदेश, १९४८ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २२ नवम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११०६ की एक प्रति ।

२. अमरीका को रुई देने के सम्बन्ध में तारांकित प्रश्न संख्या ११९९ पर १२ सितम्बर, १९५८ को सर्वश्री दामानी और अरुण चन्द्र गुह द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर को शुद्ध करने वाले वक्तव्य की एक प्रति ।

३. उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ की धारा ७ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित रिपोर्टों की एक-एक प्रति :—

(१) बाइसिकल उद्योग की विकास परिषद् का वर्ष १९५७-५८ का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(२) भारी बिजली के सामान के उद्योग की विकास परिषद् का वर्ष १९५७-५८ का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(३) हल्के बिजली के सामान के उद्योग की विकास परिषद् का वर्ष १९५७-५८ का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(४) अन्तर्दाह इंजन और विद्युत् चालित पम्पों की विकास परिषद् का वर्ष १९५७-५८ का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(५) अलौह धातुओं की विकास परिषद् का वर्ष १९५७-५८ का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(६) मशीनी औजार उद्योग की विकास परिषद् का वर्ष १९५७-५८ का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(७) भारी रसायन (अम्ल और उर्वरक) की विकास परिषद् का वर्ष १९५७-५८ का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(८) क्षार और सम्बद्ध उद्योगों की विकास परिषद् का वर्ष १९५७-५८ का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(९) कृत्रिम रेशम उद्योग की विकास परिषद् का वर्ष १९५७-५८ का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(१०) औषधियां, रंग और बीच के पदार्थों की विकास परिषद् का वर्ष १९५७-५८ का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(११) चीनी उद्योग की विकास परिषद् का वष १९५७-५८ का वार्षिक प्रतिवेदन ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—(क्रमशः) **विषय** **पृष्ठ**

(१२) ऊनीं उद्योग की विकास परिषद् का वर्ष १९५७-५८ का वार्षिक प्रतिवेदन।

४. बाट और माप प्रमाप अधिनियम, १९५६ की धारा १७ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २२ नवम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २४०३ में प्रकाशित बाट और माप प्रमाप नियम, १९५८ की एक प्रति।

राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर अनुमति १७६२

सचिव ने चालू अधिवेशन में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित किये गये और लोक-सभा द्वारा १७ नवम्बर, १९५८ को ी गई अन्तिम सूचना के बाद राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त चाय (सीमा-शुल्क तथा उत्पादन-शुल्क में परिवर्तन) विधेयक, १९५८ सभा-पटल पर रखा।

लोक-लेखा समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . १७६२

दसवां प्रतिवेदन उपस्थापित हुआ।

१९५८-५९ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगों के बारे में विवरण . १७६२

योजना उपमंत्री (श्री श्या० न० मिश्र) ने वर्ष, १९५८-५९ के लिये आय-व्ययक (सामान्य) के बारे में अनुपूरक अनुदानों की मांगों का एक विवरण उपस्थापित किया।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . १७६३-६४

श्री राजेन्द्र सिंह ने पटसन के मूल्य के एक दम गिर जाने से देश में पटसन उगाने वालों की दशा की ओर वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री का ध्यान दिलाया।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

विधेयक—पुरःस्थापित १७६४-६५

(१) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) विधेयक, १९५८।

(२) भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक, १९५८।

(३) भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक, १९५८।

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव . . . . . . १७६५—१८०१

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और भारत सरकार की तत्सम्बन्धी नीति पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

मंगलवार, ९ दिसम्बर, १९५८ के लिये कार्यावलि—

वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और भारत सरकार की तत्सम्बन्धी नीति पर अग्रेतर चर्चा। हिमाचल प्रदेश विधान-सभा (गठन तथा कार्यवाही) मान्यीकरण विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा और विधेयक का पारित किया जाना।